



# क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

## ग्राम पंचायत - आहोपुर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
उत्तर प्रदेश सरकार



जौनपुर







# कलाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



जौनपुर

ग्राम पंचायत - आहोपुर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
उत्तर प्रदेश सरकार



## प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार  
ईमेल: doeuplko@yahoo.com वेबसाइट: upenv.upsdc.gov.in

## तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन  
गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (जीईएजी)

## मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार  
श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव  
श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

### जिला प्रशासन

श्री रविंद्र कुमार माँदड़, आईएएस, जिलाधिकारी (डीएम), जौनपुर  
श्री सीलम साई तेजा, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), जौनपुर  
श्री प्रवीण खरे, आईएफएस, प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ), जौनपुर

### वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ  
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक  
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ सलाहकार

### गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

डॉ. शिराज वजीह, अध्यक्ष

## लेखक

### वसुधा फाउंडेशन

सुश्री वसुंधरा सिंह, सुश्री स्वाति गुप्ता, सुश्री रिनी दत्त, सुश्री शिविका सोलंकी

### गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

## शोध समर्थन

### वसुधा फाउंडेशन

डॉ प्रीती सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

### आहोपुर ग्राम पंचायत

श्री मनोज कुमार सिंह, ग्राम प्रधान

## क्षेत्रीय शोध समर्थन

### भारतीय जन कल्याण एवं प्रशिक्षण संस्थान

सुश्री उषा गुप्ता, श्री जयशंकर, श्री रविशंकर

## डिज़ाइन एवं लेआउट

### वसुधा फाउंडेशन

श्री ससाधर रॉय, श्री रोहिण कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया







मुख्य विकास अधिकारी,  
जौनपुर, उत्तर प्रदेश



दिनांक:- अक्टूबर, 2024

:: संदेश ::

मै क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत- आहोपुर, विकास खण्ड-बदलापुर, जनपद जौनपुर की कार्ययोजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

यह कार्ययोजना ग्राम पंचायतो में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करे। साथ मिलकर हम प्रभारी जलवायु नीतियों को लागू कर सकते हैं, स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि समाजिक रूप से भी न्याय संगत हो।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

मुख्य विकास अधिकारी,  
जौनपुर।





प्रवीन खरे  
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक  
वानिकी प्रभाग जौनपुर

दिनांक:

—: संदेश :-

“जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना” कार्ययोजना एक आवश्यक संसाधन है जिसे हमारी ग्राम पंचायत की विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) को तैयार करने और लागू करने में सहायता करने के लिये यह रूप-रेखा तैयार की गयी है जो टिकाऊ और जलवायु अनुकूल दोनों है।

जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना व्यवहारिक रणनीतियों और समाधानों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है जिन्हें ज़मीनी स्तर पर सम्मिलित किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे समुदाय न केवल जलवायु अनुकूल हों अपितु टिकाऊ और आत्मनिर्भर भी हों।

ग्राम पंचायत-आहोपुर, विकास खण्ड-बदलापुर, जनपद-जौनपुर की यह कार्ययोजना केवल एक तकनीकी मार्गदर्शिका से कहीं अधिक है; यह प्रत्येक ग्राम पंचायत सदस्य, समुदाय के नेता और नागरिक को जलवायु अनुकूल गांवों के निर्माण में सक्रिय रूप से सम्मिलित करने का प्रयास है। यह समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है जहां किसानों, महिलाओं, युवाओं और उपेक्षित समूहों की आवाज़ सुनी जाती है और योजना प्रक्रिया में उन पर विचार किया जाता है।

आइये हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिये कार्य करें कि हमारे गांव जलवायु स्मार्ट विकास के मॉडल बनें, जो न केवल राज्य के लिये बल्कि पूरे देश के लिये उदाहरण स्थापित करें।

इसके साथ ही मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी होगी।

  
(प्रवीन खरे)

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक  
वानिकी प्रभाग जौनपुर





# मनोज कुमार सिंह

(प्रधान)

ग्राम पंचायत-आहोपुर  
क्षेत्र पंचायत-बदलापुर  
तहसील-बदलापुर  
जनपद-जौनपुर



: निवास :

ग्राम-आहोपुर  
पोस्ट-सिंगरामऊ  
जनपद-जौनपुर  
मो0-9794195169  
7275790517

पत्रांक-मेमो/2024-25,

दिनांक 26-07-2024

:: आभार ::

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान, ग्राम पंचायत-आहोपुर, विकास खण्ड-बदलापुर, जौनपुर की ओर से सादर नमस्कार व अभिनन्दन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लॉइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाये गये प्रथम कदम/प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियाँ प्रत्येक दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं और हमारे समुदाय व भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए उन पर कार्य करना हमारी सामुहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लॉइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्याओं एवं मुद्दों की पहचान करना जिसके लिए सामुदायिक सहभागिता के साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्रित किया गया। आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिये मैं स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.आई.ए.जी.), गोरखपुर एवं हमारे समस्त ग्रामवासियों के समर्थन एवं सक्रिय भागीदारी के लिये हृदय से धन्यवाद।

इसके साथ ही मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउन्डेशन, नई दिल्ली का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने एकत्र किये गये आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों को क्लॉइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिये हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइये हम सभी मिलकर एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें और दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करें।

॥ धन्यवाद ॥

(प्रधान)

ग्राम पंचायत-आहोपुर,  
वि0ख0-बदलापुर, जौनपुर।







# विषय-वस्तु

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | <b>कार्यकारी सारांश</b>                                | 1  |
| 2 | <b>ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल</b>                          | 5  |
|   | ▪ आहोपुर ग्राम पंचायत एक नजर में                       | 5  |
|   | ▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल                       | 6  |
|   | ▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ                             | 7  |
|   | ▪ कार्यरत महिलाएं                                      | 8  |
|   | ▪ कृषि   | 9  |
|   | ▪ प्राकृतिक संसाधन                                     | 9  |
|   | ▪ आहोपुर में सुविधाएं                                  | 10 |
| 3 | <b>कार्बन फुटप्रिंट</b>                                | 11 |
| 4 | <b>व्यापक मुद्दे</b>                                   | 12 |
| 5 | <b>प्रस्तावित मुद्दाव</b>                              | 13 |
|   | 1. सतत कृषि  | 14 |
|   | 2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प                   | 20 |
|   | 3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना                | 26 |
|   | 4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन                             | 30 |
|   | 5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच   | 35 |
|   | 6. सतत और उन्नत गतिशीलता                               | 45 |
|   | 7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना                | 49 |
| 6 | <b>विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची</b>          | 53 |
| 7 | <b>अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव</b> | 59 |
| 8 | <b>आगे की राह</b>                                      | 65 |
| 9 | <b>अनुलग्नक</b>  | 66 |

## चित्र

|          |   |    |
|----------|---|----|
| चित्र 1  | : आहोपुर ग्राम पंचायत, जिला जौनपुर का भूमि-उपयोग मानचित्र           | 6  |
| चित्र 2  | : आहोपुर का वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1991-2018         | 7  |
| चित्र 3  | : आहोपुर में वार्षिक वर्षा, 1991-2018                               | 7  |
| चित्र 4  | : आहोपुर में परिवारों की आय के स्रोत                                | 7  |
| चित्र 5  | : आहोपुर में घरेलू स्तर पर आय वितरण                                 | 8  |
| चित्र 6  | : आहोपुर में राशन कार्ड वाले परिवार                                 | 8  |
| चित्र 7  | : आहोपुर में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या | 8  |
| चित्र 8  | : आहोपुर में केवल कृषि पर निर्भर परिवार                             | 9  |
| चित्र 9  | : आहोपुर में सकल फ़सल क्षेत्र का फ़सलवार वितरण                      | 9  |
| चित्र 10 | : 2022 में आहोपुर में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट        | 11 |
| चित्र 11 | : 2022 में आहोपुर के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी   | 11 |



## कार्यकारी सारांश

**जौनपुर जिले की आहोपुर ग्राम पंचायत** उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। आहोपुर की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु गतिविधियों/प्रक्रियाओं को मजबूत करने और पंचायत को वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट रोडमैप/दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत लचीलापन, अनुकूल क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ ही ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजनाओं के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर यह कार्ययोजना तैयार की गई है। आहोपुर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे आहोपुर ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

कार्ययोजना प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, पूर्वी मैदान कृषि-जलवायु क्षेत्र की समस्याओं, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित करती है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए आहोपुर ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधार रेखा बनाने और आहोपुर के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली है।

### दृष्टिकोण

#### प्राथमिक सर्वेक्षण उपकरण का विकास

**सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़े को एकत्र करना:** पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन की गतिविधियों यथा समूह केन्द्रित चर्चा, गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से आंकड़े एकत्र किए गए।

#### आंकड़ों का विश्लेषण और योजना तैयार करना:

- ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करना: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत रूपरेखा विकसित की गई। इस रूपरेखा में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और आहोपुर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित है।
- मुख्य मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (HRVCA) में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- अनुमानित कार्बन फुटप्रिंट: आहोपुर में प्रमुख गतिविधियों के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया।
- प्रस्तावित गतिविधियाँ/संस्तुतियाँ: पहचाने गए/चिन्हित पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर आहोपुर के लिए गतिविधियाँ/संस्तुतियाँ तैयार की गईं। इन गतिविधियों/संस्तुतियों में पूर्वी मैदान की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, आहोपुर की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना तैयार किए जाने के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

- \* गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत, आवासीय खाना बनाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्य योजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन और जोखिम भेद्यता और क्षमता मूल्यांकन (HRVCA)के पहलू शामिल हैं

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है, ग्राम पंचायत में एक राजस्व गांव, 7 बस्तियां और 362 परिवार हैं, जिनकी कुल आबादी 2,580 है। मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि आहोपुर ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट ~ 1,312 tCO<sub>2</sub>e<sup>3</sup> है।

ग्राम पंचायत आहोपुर में तत्काल कार्रवाई हेतु पहचाने गए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न हैं:

- विविध फ़सल पद्धतियों, जलवायु अनुकूल फसलों, जैविक उर्वरकों और कृषि-वानिकी प्रथाओं को अपनाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सतत कृषि प्रक्रियाओं/गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- हरित आवरण में सुधार और सामुदायिक सहभागी प्रबंधन सहित वर्तमान जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने जैसे उपायों को लागू करना।
- घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं और परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन/गाय के गोबर/ईंधन की लकड़ी के उपयोग से स्थायी विकल्पों को अपनाना।
- नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और सौर-संचालित पंप, ऊर्जा कुशल पंप और सोलर रूफटॉप स्थापना जैसे ऊर्जा कुशल समाधानों का उपयोग करना।

संवेदनशील क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षणों से उभरने वाले मुद्दों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। गतिविधियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाना, टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ गतिशीलता और बढ़ी हुई आजीविका और हरित उद्यमिता के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इन अनुशंसाओं के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है- चरण I (2024-27), चरण II (2027-30) और चरण III (2030-35)। चरणबद्ध लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरणबद्ध लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

आहोपुर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे आहोपुर ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) निम्नलिखित द्वारा आहोपुर जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगी:

- जलवायु परिपेक्ष के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना।

इस कार्ययोजना में अंतर्गत निर्धारित गतिविधियां/सुझाव और वार्षिक लक्ष्यों को आहोपुर की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

2 जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या - 1,274

3 इसमें ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन का दायरा (स्कोप) 2 शामिल है (UPPCL से प्राप्त आंकड़े और CEA से ग्रिड उत्सर्जन के कारक)



इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से कम किए गए कुल उत्सर्जन का अनुमान प्रति वर्ष लगभग 977 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO<sub>2</sub>e) है और अगले 20-25 वर्ष में पृथक्करण क्षमता 97,000 tCO<sub>2</sub> तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹26 करोड़ (11 वर्ष के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग सम्मिलित है। इसमें से आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹9 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशनो/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी फंड से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभावित रूप से सीएसआर को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।





## आहोपुर

## आहोपुर ग्राम पंचायत एक नजर में

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
|    | <b>स्थान</b>                    | ब्लॉक - बदलापुर,<br>जनपद - जौनपुर   |
|    | <b>कुल क्षेत्रफल</b>            | 156.7 हेक्टेयर  |
|    | <b>संयोजन</b>                   | 1 राजस्व गांव और<br>7 बस्तियां  |
|    | <b>कुल जनसंख्या<sup>4</sup></b> | 2,580   |
|   | <b>पुरुषों की संख्या</b>        | 1,340   |
|  | <b>महिलाओं की संख्या</b>        | 1,240   |
|  | <b>कुल परिवार<sup>5</sup></b>   | 362   |
| <b>पंचायत अवसंरचना</b>  |                                 |   |
|  |                                 | 3-(पंचायत भवन, 1 प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र)                               |
|  | <b>प्राथमिक आर्थिक गतिविधि</b>  | कृषि  |
| <b>भूमि उपयोग<sup>6</sup></b>   |                                 |   |
|  |                                 | कृषि भूमि - 126.5 हेक्टेयर  |
|  |                                 | शेष भूमि: 30.12 हेक्टेयर<br>(आवासीय क्षेत्र और जल निकायों के क्षेत्र को जोड़ते हुए) |


**जल संसाधन:**

4 तालाब

15 कुएं

पीली नामक छोटी नदी

**कृषि-जलवायु क्षेत्र<sup>7</sup>**

- पूर्वी मैदानी क्षेत्र
- जलवायु परिस्थितियाँ: गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियों के साथ अर्ध-शुष्क से उप-आर्द्र जलवायु
-  न्यूनतम तापमान: 5.7°C
- अधिकतम तापमान: 41.4°C
- औसत वार्षिक वर्षा: 803 मिलीमीटर
- मिट्टी: जलोढ़ मिट्टी जो चावल, गन्ना, मक्का, दालों और सब्जियों जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है

**जिले की समग्र भेद्यता<sup>8</sup>**

मध्यम

**जिले के क्षेत्रीय जोखिम सूचकांक**

- वन भेद्यता: अधिक
- ऊर्जा भेद्यता: अधिक
- कृषि भेद्यता: मध्यम
- आपदा प्रबंधन भेद्यता: मध्यम
- ग्राम्य विकास भेद्यता: मध्यम
- स्वास्थ्य भेद्यता: मध्यम
- जल भेद्यता: मध्यम



+ योजना के विकास के लिए किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण के आंकड़ों से प्राप्त (फरवरी, 2023)

4 जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या - 1,274


5 271 पक्के घर और 91 कच्चे घर (मिट्टी, भूसा, टिन)

6 प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी पर आधारित

7 कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश

8 उत्तर प्रदेश SAPCC 2.0





## आहोपुर ग्राम पंचायत

बदलापुर ब्लॉक

जौनपुर डिस्ट्रिक्ट

उत्तर प्रदेश राज्य

स्रोत: स्पेस बेस्ड इनफार्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग  
<https://bhuvan-panchayat3.rsc.gov.in/>

चित्र 1: आहोपुर ग्राम पंचायत, जिला जौनपुर का भूमि-उपयोग मानचित्र

## जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफाइल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)<sup>9</sup> से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता आंकड़ों (तापमान और वर्षा) से ज्ञात होता है कि 1991 और 2018 के बीच क्षेत्र में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है (चित्र 2 देखें)। इसी समयावधि के दौरान, वार्षिक वर्षा में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है (चित्र 3 देखें)। हालाँकि, आईएमडी आंकड़ें पंचायत स्तर पर तापमान परिवर्तनशीलता को सम्मिलित नहीं करते हैं और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया सम्पूर्ण विश्व की भूमि और महासागर के सापेक्ष औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020 के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है<sup>10</sup>। अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)<sup>11</sup> और भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि भी की गई है।<sup>12</sup>

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चाओं से मौसम परिवर्तन के विषय में समुदाय के विचारों के बारे में पता चलता है, उनके द्वारा बताया गया कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 7 दिनों की वृद्धि देखी गई है। सर्दियों के दिनों की संख्या में लगभग 25 से 30 दिनों की कमी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 25 से 30 दिनों की कमी आई है।<sup>13</sup>

ग्राम पंचायत हेतु किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया

9 दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) आंकड़े और दैनिक वर्षा आंकड़े वाराणसी बाबतपुर (ए) स्टेशन से लिये गए हैं। वर्ष 1990 के लिए वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान आंकड़े और वार्षिक वर्षा आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।


10 2023 में एशिया में जलवायु की स्थिति <https://library.wmo.int/records/item/68890-state-of-the-climate-in-asia-2023>

11 AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023(ipcc.ch) <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>


12 भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) की एक रिपोर्ट <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2>, स्रोत: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

13 योजना तैयार करने के लिए किए गए फ़ील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े






चित्र 2: आहोपुर का वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1991-2018



चित्र 3: आहोपुर में वार्षिक वर्षा, 1991-2018


## प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में कृषि और पशुपालन आय के प्राथमिक स्रोत हैं, जिससे लगभग 75 प्रतिशत परिवार जुड़े हुए हैं। इसके बाद 7 प्रतिशत परिवार गैर-कृषि मजदूरी से जुड़े हुए हैं। शेष अन्य परिवार स्थानीय व्यवसाय, उद्यमिता, सेवा क्षेत्र और कुटीर उद्योग आदि में संलग्न हैं, जैसा कि चित्र 4 में प्रस्तुत है।




चित्र 4: आहोपुर में परिवारों की आय के स्रोत

प्राथमिक सर्वेक्षण की सहायता से परिवारों की वार्षिक आय की जानकारी ली गयी जिसमे बड़ी संख्या में परिवारों (39 प्रतिशत) की आय प्रति वर्ष ₹50,000 से ₹1,00,000 तक है, इसके सापेक्ष बहुत छोटी संख्या में परिवार (3 प्रतिशत) ₹5,00,000 लाख से अधिक कमाते हैं (चित्र 5 देखें)।



चित्र 5: आहोपुर में घरेलू स्तर पर आय वितरण


राशन कार्ड संबंधी आंकड़ें बताते हैं कि ग्राम पंचायत में लगभग 67 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजनाओं (पीडीएस) से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं। कुल राशन कार्डधारी परिवारों में से 62 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड<sup>14</sup> है (चित्र 6 देखें)।



चित्र 6: आहोपुर में राशन कार्ड वाले परिवार

## कार्यरत महिलाएं

क्षेत्र सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार आहोपुर ग्राम पंचायत में कुल 381 महिलाएं काम करती हैं। ये महिलाएँ अधिकतर कृषि संबंधी कार्यों और गैर-कृषि मजदूरी से जुड़ी हुई हैं। आजीविका के अन्य स्रोतों में पशुपालन सम्मिलित है। महिलाओं की एक छोटी संख्या व्यवसाय और सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं जैसे शिक्षक, बैंक और अन्य सरकारी नौकरियां (चित्र 7 देखें)। ग्राम पंचायत में 30 परिवार ऐसे हैं जिनकी मुखिया महिला हैं<sup>15</sup> जो ग्राम पंचायत में कुल घरों के ~8 प्रतिशत हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि पंचायत में 7 स्वयं सहायता समूह हैं जो अधिकतर पशुपालन, कृषि गतिविधियां और स्थानीय दुकानों के संचालन में संलग्न हैं।




चित्र 7: आहोपुर में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या

14 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल <https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/ReportNikayWise.aspx?val=NCMxNDkjUiMwMDE5OTIjMDU5NTYx>

15 महिला मुखिया वाले परिवार वे परिवार हैं जिनमें केवल महिलाएं कामकाजी हैं।


## कृषि

ग्राम पंचायत में लगभग 60 प्रतिशत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, जैसा चित्र 4 में प्रस्तुत है। ये परिवार विभिन्न तरीकों से कृषि से जुड़े हैं<sup>16</sup> (चित्र 8 देखें)।



चित्र 8: आहोपुर में केवल कृषि पर निर्भर परिवार

आहोपुर में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 126.5 हेक्टेयर है जबकि सकल फसल क्षेत्र 304 हेक्टेयर है। चित्र 9 ग्राम पंचायत में सकल फसल क्षेत्र का फसल-वार वितरण दर्शाता है। क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ़ फ़सल धान (4,550 क्विंटल) है। क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फ़सलें गेहूँ (4,200 क्विंटल), सरसों (320 क्विंटल) और आलू (1,200 क्विंटल) हैं। सिंचाई के मुख्य स्रोत वर्षा जल और भूजल हैं (ट्यूबवेल के माध्यम से)। ग्राम पंचायत में 3 ग्रिड से जुड़े इलेक्ट्रिक पंपों और 57 डीजल पंपों का उपयोग किया जाता है।



चित्र 9: आहोपुर में सकल फ़सल क्षेत्र का फ़सलवार वितरण

इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत की लगभग 15 प्रतिशत आबादी पशुपालन से जुड़ी हुई है। आहोपुर में कुल पशुधन आबादी 535 (140 गाय, 65 भैंस, 80 बकरियाँ और 250 भेड़) है।

## प्राकृतिक संसाधन

आहोपुर में 15 कुएं और चार तालाब हैं साथ ही, पिली नामक छोटी नदी ग्राम पंचायत से होकर गुज़रती है। तालाबों के आसपास और छोटी नदी के किनारों पर बबूल के पेड़ लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत में 15-20 फ़लों के पेड़ हैं - आम, जामुन और कटहल। क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार, ग्राम पंचायत के अन्दर कोई वन भूमि नहीं है।

16 ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत में कई परिवार एक से अधिक कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, छोटी भूमि के मालिकों का बड़े खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करना। इसके अतिरिक्त, बड़े खेत के मालिक अनुबंध कृषि से भी जुड़े हो सकते हैं।

## आहोपुर में सुविधाएं

### बिजली तथा रसोई गैस (एलपीजी)

- बिजली कनेक्शन: 100% परिवार
- रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन: 81% परिवार



### पानी

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत - भूजल



### अपशिष्ट पदार्थ

- पंचायत खुले में शौच से मुक्त अर्थात ओडीएफ़ का दर्जा प्राप्त
- घरेलू शौचालय कवरेज: 54%



### आवागमन और बाज़ार तक पहुंच

- राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 56)
- निकटतम रेलवे स्टेशन - 7 किलोमीटर
- निकटतम बस स्टेशन - 6 किलोमीटर
- निकटतम बैंक - 2.5 किलोमीटर
- निकटतम डाक घर (पोस्ट ऑफिस) - 2.5 किलोमीटर
- निकटतम कृषि बाज़ार - 2.5 किलोमीटर
- ग्राम पंचायत के भीतर सरकारी राशन की दुकान



### शैक्षिक संस्थाएं

- ग्राम पंचायत के भीतर प्राथमिक विद्यालय
- उच्च प्राथमिक विद्यालय - 1.5 किलोमीटर
- हाई स्कूल - 2.5 किलोमीटर
- 2 डिग्री कॉलेज - 2.5 किलोमीटर

### स्वास्थ्य संस्थान


- उप-स्वास्थ्य संस्था - 1 किलोमीटर
- 1 आंगनवाड़ी केंद्र
- जिला अस्पताल - 9 किलोमीटर



ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की संपूर्ण आधार रेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालाँकि, संस्तुतियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या हवा में कार्बन से होने वाले प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) अनुमान सम्मिलित नहीं किया गया है।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए संस्तुतियाँ प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, आहोपुर ग्राम पंचायत ने विभिन्न गतिविधियों से ~1,312 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO<sub>2</sub>e) उत्सर्जित किया है (चित्र 10 देखें)।

कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन सेक्टर में होने वाली गतिविधियों ने आहोपुर ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट में अपना योगदान दिया है। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन से उत्सर्जन और फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाला उत्सर्जन शामिल हैं। ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन बिजली की खपत<sup>17</sup>, खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी और रसोई गैस (एलपीजी) के उपयोग, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग, पावर बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीज़ल) के उपयोग के कारण होता है। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 10: 2022 में आहोपुर में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

कृषि क्षेत्र का योगदान कुल उत्सर्जन का 53 प्रतिशत है, जिसमें धान की खेती (~483 tCO<sub>2</sub>e) और पशुधन (~133 tCO<sub>2</sub>e) से उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के प्रमुख कारण हैं। कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा 39 प्रतिशत है। ऊर्जा क्षेत्र के भीतर, परिवहन प्रमुख उत्सर्जक है (~192 tCO<sub>2</sub>e), इसके बाद आवासीय खाना पकाना (~147 tCO<sub>2</sub>e), बिजली की खपत (~102 tCO<sub>2</sub>e), डीज़ल पंप (~60 tCO<sub>2</sub>e) और आवासीय जनरेटर (~16 tCO<sub>2</sub>e) आते हैं। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत है।



चित्र 11: 2022 में आहोपुर के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

17 बिजली की खपत से हुए उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि बिजली उत्पन्न करने के लिए (कोयला) दहन ग्राम पंचायत के बाहर होता है

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गयी है।

जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे एवं गतिविधियां अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध हैं।

- मौसम की अवधि में बदलाव और अनियमित वर्षा से ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के साथ-साथ बुआई का समय, कटाई का समय और फसलों की सिंचाई की आवश्यकताएँ भी प्रभावित हो रही हैं
- जून से अगस्त माह में बार-बार सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे अन्य पहलुओं के साथ-साथ कृषि, पशुधन और पानी की उपलब्धता प्रभावित हो रही है
- अस्थायी कृषि और पशुपालन पद्धतियाँ
- ग्राम पंचायत में खराब जल निकासी के कारण मानसून में जलभराव की समस्याएं होती हैं
- सीमित स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाएँ
- प्राकृतिक संसाधनों का खराब रखरखाव
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता
- ग्राम पंचायत से बाहर जाने वाली खराब सड़कों के कारण दूसरे गावों के साथ सीमित आवागमन ही संभव होता है
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई गतिविधियों/संस्तुतियों को शामिल किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है। गतिविधियों/संस्तुतियों को चरणबद्ध लक्ष्यों और लागत अनुमानों<sup>18</sup> (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण-I (2024-25 से 2026-27); चरण-II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)' दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

पहचाने गए वित्तपोषण के विकल्पों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) संस्तुतियों के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत संस्तुतियाँ निम्नलिखित अनुभाग में हैं।

### कार्ययोजना में मुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. सतत कृषि
2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच
6. सतत और उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित पहलों/प्रयासों/नवाचरों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये पहल/प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं, इसलिए इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण से इन्हें मुख्य गतिविधियों/संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

18 लागत का अनुमान विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है जैसे:

ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त जानकारी,  
या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत का अनुमान,  
अथवा आवश्यक इनपुट की प्रति इकाई अनुमानित लागत  
अथवा विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूचियाँ।



# सतत कृषि



## संदर्भ एवं मुद्दे

- आहोपुर में कृषि क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल ~126 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्र लगभग 304 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 60% परिवार कृषि पर निर्भर हैं और 15% परिवार आय के स्रोत के रूप में पशुपालन पर निर्भर हैं।
- खरीफ़ और रबी सीज़न में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूँ (~142 हेक्टेयर), धान (~142 हेक्टेयर), सरसों (~16 हेक्टेयर) और आलू (~4 हेक्टेयर) हैं।<sup>19</sup>
- ग्राम पंचायत में वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में जून से अगस्त<sup>20</sup> के माह में सूखे की स्थिति हुई थी जिससे फ़सल को नुकसान और पानी का संकट हुआ था।
- पानी की कमी के कारण धान की बुआई का समय जून माह के मध्य सप्ताह से जुलाई माह के मध्य सप्ताह में स्थानांतरित हो गया है। गेहूँ के मामले में बारिश और सर्दी के मौसम के देरी से आने से बुआई का समय अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से नवंबर माह के मध्य सप्ताह - दिसंबर में स्थानांतरित हो गया है।<sup>21</sup>
- पिछले 5 वर्ष में अनियमित वर्षा और लू के साथ-साथ कीटों और बीमारियों के कारण किसानों को फ़सल की हानि हुई है। यह नुकसान उपज में लगभग 4,100 क्विंटल था (धान और गेहूँ) तथा धनराशि में लगभग 64.30 लाख रुपये (संबंधित वर्ष के प्रचलित एमएसपी द्वारा समर्थित) था।
- आहोपुर में किसान प्रति वर्ष ~29 टन यूरिया, ~15 टन डीएपी, और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं जिससे प्रति वर्ष ~52 टन CO<sub>2</sub>e का ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं। आहोपुर में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।<sup>22</sup>
- जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में बताया गया है, कृषि में जल की मांग में वृद्धि हुई है, जिसके कारण जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों के उपयोग पर ज़ोर दिये जाने की आवश्यकता है।
- जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में बताया गया है, ग्राम पंचायत में किसान उत्पादक संगठन और बीज बैंक नहीं हैं जिस कारण किसान तीव्र मौसमी आपातकालीन स्थितियों के दौरान जोखिम प्रबंधन करने से चूक जाते हैं।

उपरोक्त बिंदु अनुकूली क्षमता बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

19 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

20 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

21 ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्रदान की गई जानकारी के अनुसार

22 ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्रदान की गई जानकारी के अनुसार





## जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

| I  | II  | III  |
|--|---|--|
| 2024-25 से 2026-27   | 2027-28 से 2029-30  | 2030-31 से 2034-35   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म-सिंचाई प्रक्रियाओं का प्रचार करना और अपनाना</li> <li>बाढ़ से खेतों की रक्षा करने के लिए उनके चारों ओर पेड़ों से मेड़बंधी का निर्माण करना</li> <li>जहां संभव हो कृषि तालाबों के निर्माण को बढ़ावा देना</li> <li>फ़सल में पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए चावल की सूखा प्रतिरोधी किस्म को अपनाना और ड्राई डाइरैक्ट सीडेड किस्मों को अपनाना</li> <li>बाजरे की खेती को अपनाना</li> <li>किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना</li> <li>फ़सलों में आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन (जैसे, जैविक पुनर्चक्रण, फोलिअर स्प्रे के लिए पोषक तत्व, आदि)<sup>23</sup></li> <li>सिंचाई की गई भूमि से वाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मल्लिचिंग का उपयोग करना</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना</li> <li>मेड़बंधी का विस्तार करना</li> <li>अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण करना</li> <li>सूखा सहन करने वाली फ़सलों की किस्मों को अपनाने के लिए चरण I की गतिविधियों का विस्तार करना</li> <li>बाजरा और फ़लियों जैसे अकाल सहने योग्य फ़सलों सहित फ़सल परिक्रमण और मिश्रित फ़सल अपनाना</li> <li>जागरूकता बढ़ाने वाले प्रयासों को जारी रखना और किसानों को फ़सल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करना</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना</li> <li>सूखा सहन करने वाली फ़सलों की किस्मों को अपनाने के लिए चरण II की गतिविधियों का विस्तार करना</li> </ol> |

23 सूखानियम-पुस्तिका (2020), <https://vedas.sac.gov.in/static/pdf/Drought%20Manual-2020.pdf>

## लक्ष्य

1. 20 हेक्टेयर कृषि भूमि में सूक्ष्म-सिंचाई अपनाना (सरसों और आलू के अंतर्गत 100% भूमि)
2. 64 हेक्टेयर में पेड़ों से मेड़बंधी का निर्माण (कुल कृषि क्षेत्र का 50%)
3. यथासंभव 300 m<sup>3</sup> क्षमता के 5 कृषि तालाबों का निर्माण करना

1. 64 हेक्टेयर कृषि भूमि (कुल कृषि भूमि का 100%) में पेड़ों के साथ मेड़ का निर्माण
2. यथासंभव 10 कृषि तालाबों का निर्माण

मेड़बंधी और कृषि तालाबों का रखरखाव करना

## अनुमानित लागत

1. सूक्ष्म सिंचाई: ₹20,00,000
  2. मेड़: प्राय: ₹1,20,000
  3. कृषि तालाब: ₹4,50,000
- कुल लागत: ₹25.7 लाख

1. मेड़: ₹1,20,000
  2. कृषि तालाब: ₹13,50,000
- कुल लागत: ₹14.7 लाख

आवश्यकता के अनुसार



## प्राकृतिक खेती अपनाना

## चरण

2024-25 से 2026-27

1. जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।
  - » प्रशिक्षण और प्रदर्शन
  - » नर्सरी एवं स्थानीय बीज बैंक का विकास (सामुदायिक बीज बैंक के विकास संबंधी पहलों के लिए "अतिरिक्त योजनाओं की सूची" देखें)
  - » प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रक्रिया प्रारम्भ करना
  - » बाजार संपर्कों का पता लगाया जाना
2. मिश्रित फ़सल, फ़सल चक्र, मल्लिचंग, जीरो टिलेज जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना



2027-28 से 2029-30

1. कृषि भूमि की प्राकृतिक खेती में परिवर्तन जारी रखना (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणन तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना)
2. चरण I में क्रियान्वित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना



2030-31 से 2034-35

100% कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

## सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

## लक्ष्य

19 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

50 हेक्टेयर (अतिरिक्त 40%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

शेष 57 हेक्टेयर (100%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

## अनुमानित लागत

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
  2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹47,07,200
- कुल लागत: ₹47.67 lakhs

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
  2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ~₹1,25,52,600
- कुल लागत: ₹1.26 करोड़

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
  2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ~₹1,41,21,700
- कुल लागत: ₹1.41 करोड़



## सतत पशुधन प्रबंधन

### चरण

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

| I  | 2024-25 से 2026-27  |
|----|---|
| 1. | पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना   |
| 2. | पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित करना |
| 3. | पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने संबंधी हस्तक्षेप के लिए अनुभाग 'अतिरिक्त संस्तुतियाँ' देखें।   |

| II | 2027-28 से 2029-30                                 |
|----|--|
| 1. | प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार |
| 2. | आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना    |

| III | 2030-31 से 2034-35                                 |
|-----|--|
| 1.  | प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार |
| 2.  | आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना    |

## लक्ष्य

|    |  |
|----|--|
| 1. | पशुपालन में लगे परिवारों के लिए सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना |
| 2. | 2 पैरा-वेट्स का प्रशिक्षण <sup>24</sup>  |

|    |  |
|----|--|
| 1. | रोग की रोकथाम और सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना |
| 2. | पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण                        |

|    |   |
|----|---|
| 1. | रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना |
| 2. | पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण                               |

24 प्रशिक्षण दिए जाने वाले समुदाय आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या ग्राम पंचायत की आवश्यकता पर आधारित है

कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उ.प्र. बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफिंग प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों की सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा की स्थापना और संचालन ("स्वच्छ, सतत, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप) करना।
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंगेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और टिकाऊ पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- साथ ही, आहोपुर में सतत कृषि करने वाले किसानों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, और अन्य समुदाय के सदस्यों के क्षमता निर्माण का कार्य क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कंपनियों के सहयोग से किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (सीआईपीएम)
- मत्स्य पालन विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए)
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी
- जैविक खेती हेतु क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केंद्र, जौनपुर

# 2

## जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प



### संदर्भ एवं मुद्दे<sup>25</sup>

- आहोपुर ग्राम पंचायत मुख्य रूप से कृषि और घरेलू दोनों जरूरतों के लिए पानी के प्राथमिक स्रोत के रूप में भूजल पर निर्भर है। 2018 से 2022 तक हर वर्ष जुलाई और अगस्त के महीनों में लगातार सूखे की घटनाएं घटित हुई हैं। गर्मियों के दौरान, हैंडपंप के पानी का स्तर गिर जाता है जिससे ग्राम पंचायत में पीने के पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है।
- ग्राम पंचायत में 15 कुएं हैं, जिनमें से 10 कुओं का उचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा है और वे गाद, मलबे और कचरे से भरे हुए हैं। इसलिए, ग्राम पंचायत में स्थानीय जल संसाधनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- आहोपुर में जलजमाव की भी गंभीर समस्या है और विशेषकर मानसून के महीनों के दौरान यह समस्या अधिक हो जाती है क्योंकि यहां जल निकासी की खराब व्यवस्था है। यह ग्राम पंचायत में आवागमन को प्रभावित करता है, जल निकायों और नालियों में कचरा जमा हो जाता है और दूषित पानी से होने वाली बीमारियां होती हैं, साथ ही पीने का पानी भी प्रदूषित होता है।<sup>26</sup>
- भूजल पर निर्भरता और 2018 से लेकर 2022 तक हुए सूखे की लगातार घटनाएं जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को फिर से भरने/पुनर्जीवित करने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की आवश्यकता को प्रदर्शित करती हैं।<sup>27</sup>

आहोपुर में संवेदनशीलता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नलिखित संस्तुतियाँ प्रस्तावित हैं।

25 क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और अन्य प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्ट किया गया

26 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी पर आधारित

27 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी पर आधारित



## जल निकायों का रखरखाव

| चरण                                       | I   | II   | III   |
|---|---|--|---|
|   | 2024-25 से 2026-27  | 2027-28 से 2029-30   | 2030-31 से 2034-35  |
| मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. तालाबों का जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार कार्य</li> <li>2. कुओं की सफ़ाई और मरम्मत</li> <li>3. हैंडपंपों की रीबोरिंग</li> <li>4. तालाबों के आसपास ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण</li> <li>5. जल के उचित उपयोग और जल संरक्षण में सुधार के लिए विभिन्न सामुदायिक समूहों के मध्य जागरूकता बढ़ाने हेतु मौजूदा ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का क्षमता विकास करना।</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. तालाबों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण का कार्य</li> <li>2. चरण I की गतिविधियों का विस्तार करना</li> <li>3. समुदाय और अन्य हितधारकों के क्षमता विकास का कार्य</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. तालाबों का नियमित रखरखाव किया जाना</li> <li>2. चरण I की गतिविधियों का विस्तार करना</li> </ol>             |
| लक्ष्य                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 तालाबों का जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार कार्य<sup>28</sup></li> <li>2. 7 कुओं की सफ़ाई और मरम्मत<sup>29</sup></li> <li>3. 15 हैंडपंपों की रीबोरिंग<sup>30</sup></li> <li>4. ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ों का रोपण (जल निकायों के आसपास)</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 तालाबों और 7 कुओं का रखरखाव कार्य</li> <li>2. जल निकायों के आसपास अतिरिक्त ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ों का रोपण</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 तालाबों और 7 कुओं का रखरखाव कार्य</li> <li>2. आवश्यकता के अनुसार चरण I गतिविधियों का विस्तार</li> </ol> |

28 विशिष्ट स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

29 विशिष्ट स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

30 विशिष्ट स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

अनुमानित लागत

|   |  |  |
|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. तालाबों का जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार कार्य: ₹15,00,000</li> <li>2. कुओं की सफ़ाई और मरम्मत: ₹6,00,000</li> <li>3. 15 हैंडपंप: ₹9,00,000</li> <li>4. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना" अनुभाग में सम्मिलित है: ₹12,70,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹30 लाख</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 तालाबों और 7 कुओं का रखरखाव कार्य: ₹33,75,000</li> <li>2. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना" अनुभाग में सम्मिलित है: ₹12,70,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹33.75 लाख</p> | <p>2 तालाबों और 7 कुओं का रखरखाव कार्य: ₹33,75,000</p> <p>कुल लागत: ₹33.75 लाख</p> |
|---|--|--|



## नालों के बुनियादी ढांचो का सुदृढीकरण

| चरण  | I<br>2024-25 से 2026-27  | II<br>2027-28 से 2029-30                 | III<br>2030-31 से 2034-35                |
|--|--|--|--|
| सफ़ाई गड्ढे जलवायु स्मार्ट लक्ष्य गतिविधियाँ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जलजमाव की रोकथाम के लिए नालियों की सफ़ाई और नई नालियों की खुदाई का कार्य</li> <li>2. नए आरसीसी जल निकासी तंत्र का निर्माण कार्य</li> </ol>                         | मौजूदा नालियों के नियमित रखरखाव का कार्य | मौजूदा नालियों के नियमित रखरखाव का कार्य |
| लक्ष्य                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. विशिष्ट स्थान में मौजूदा 1 किलोमीटर लंबी नाली की सफ़ाई और खुदाई</li> <li>2. विशिष्ट स्थान में 1.5 किलोमीटर लंबे आरसीसी जल निकासी तंत्र का निर्माण कार्य</li> </ol> | मौजूदा नालियों के नियमित रखरखाव का कार्य | मौजूदा नालियों के नियमित रखरखाव का कार्य |
| अनुमानित लागत                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. नाली की सफ़ाई और खुदाई: ₹20,00,000</li> <li>2. आरसीसी जल निकासी तंत्र का निर्माण: ₹98,00,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹1.18 करोड़</p>                               | आवश्यकता के अनुसार                       | आवश्यकता के अनुसार                       |





## वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रथाएं

| चरण                                       | I<br>2024-25 से 2026-27   | II<br>2027-28 से 2029-30   | III<br>2030-31 से 2034-35  |
|---|---|--|--|
| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ | <ol style="list-style-type: none"> <li>पंचायत में स्थित सरकारी भवनों (पीआरआई) में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना का कार्य</li> <li>सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1,500 वर्ग फुट से अधिक भूखंड के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना</li> <li>सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1,000 वर्ग फुट से अधिक भूखंड के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना</li> <li>सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना</li> </ol> |
| लक्ष्य                                    | 2 सरकारी भवनों (पीआरआई) (प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र) में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना का कार्य   | 148 पक्के घरों में 10 m <sup>3</sup> की औसत क्षमता वाली वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना करना   | 54 पक्के घरों में 10 m <sup>3</sup> की औसत क्षमता वाली वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना करना।   |
| अनुमानित लागत                             | आरडब्ल्यूएच: ₹70,000<br>कुल लागत: ₹70,000   | आरडब्ल्यूएच: ₹51,80,000<br>कुल लागत: ₹51 लाख   | आरडब्ल्यूएच: ₹18,90,000<br>कुल लागत: ₹18 lakhs   |



## भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण

| चरण                                       | I<br>2024-25 से 2026-27  | II<br>2027-28 से 2029-30  | III<br>2030-31 से 2034-35   |
|---|--|---|---|
| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ | <ol style="list-style-type: none"> <li>विशिष्ट स्थानों में भूजल को बेहतर बनाने के लिए पुनर्भरण गड्ढे खोदना<sup>31</sup></li> <li>निम्न विषयों पर छात्रों युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र: <ul style="list-style-type: none"> <li>जल संरक्षण की आवश्यकता</li> <li>उपलब्ध जल संसाधनों का सफल प्रबंधन</li> </ul> </li> <li>जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु मौजूदा ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी), निर्माण कार्य समिति और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का क्षमता विकास करना</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>चिन्हित जलग्रहण क्षेत्रों (जहां वर्षा का जल एकत्र होता है) में अधिक पुनर्भरण गड्ढों/खाइयों की खुदाई</li> <li>निम्न विषयों पर छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र</li> <li>ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा जल निकायों और पुनर्भरण गड्ढों का रखरखाव जारी रखना</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकता के अनुसार पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण</li> <li>निम्न विषयों पर छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र</li> <li>जल निकायों और पुनर्भरण गड्ढों का रखरखाव जारी रखना</li> </ol> |
| लक्ष्य                                    | 15 पुनर्भरण गड्ढों की खुदाई का कार्य   | अतिरिक्त 30 पुनर्भरण गड्ढों की खुदाई का कार्य   |   |
| अनुमानित लागत                             | पुनर्भरण गड्ढे: ₹52,500<br>कुल लागत: ₹52,500   | पुनर्भरण गड्ढे: ₹1,05,000<br>कुल लागत: ₹1,05,000  |   |

31 अधिक विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

## मौजूदा योजनाएँ और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान द्वारा उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत यूपी राज्य का वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रखरखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/सीएसआर को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग ग्राम पंचायत में गुरुत्वाकर्षण आधारित/सौर संचालित आरओ जल निस्पंदन प्रणाली की स्थापना के लिए किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग

# 3

## हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना



### संदर्भ एवं मुद्दे

- क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार, ग्राम पंचायत के अन्दर कोई वन भूमि नहीं है। ग्राम पंचायत में 15-20 फलों के पेड़ हैं - आम, जामुन और कटहल।<sup>32</sup>

आहोपुर ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह न केवल बढ़ते तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अतिरिक्त, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेगा।

### हरित क्षेत्र में सुधार

| चरण                                       | I<br>2024-25 से 2026-27  | II<br>2027-28 से 2029-30  | III<br>2030-31 से 2034-35   |
|---|--|---|---|
| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ | <ol style="list-style-type: none"> <li>विभिन्न पहलों के माध्यम से वार्षिक सामुदायिक वृक्षारोपण गतिविधियों<sup>33</sup> का आयोजन करना:               <ul style="list-style-type: none"> <li>» छात्रों के लिए ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम<sup>34</sup> (5 छात्र चयनित)</li> <li>» देशी फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>वर्तमान बागानों और नर्सरियों का रखरखाव</li> <li>बाल वन<sup>35</sup> के निर्माण के साथ अतिरिक्त छोटे पौधे लगाना</li> <li>किसानों को कृषि वन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना</li> <li>आरोग्य वन की स्थापना करना</li> <li>छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>बाल वन और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियाँ जारी रखना और उनमें वृद्धि करना</li> <li>कृषि-वन पहल के अंतर्गत ~ 57 हेक्टेयर (कृषि वन के लिए उपयुक्त भूमि का 100%) भूमि पर कृषि वन की स्थापना<sup>36</sup></li> </ol> |

32 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान और समुदाय से प्राप्त जानकारी के अनुसार

33 अनुलग्नक VI में वृक्षों के नामों की सूची है

34 स्कूली बच्चों से पौधे लगवाए जाएंगे और हर एक कक्षा से छात्र मार्गदर्शकों को चुना जाएगा जो ग्राम पंचायत में अपने जैसे अन्य छात्रों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे

35 नए माता-पिताओं को उनके बच्चे के जन्म के अवसर पर देसी सदाबहार पेड़ों के पौधे दिए जाएंगे और उन्हें अपने बच्चे के साथ-साथ उन पौधों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

36 गेहूं (~57 हेक्टेयर) के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि को कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त माना जाता है।

## सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

2. **आरोग्य वन** का विकास - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और वृक्षारोपण
3. छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र:
  - » जगलों और हरित क्षेत्रों का महत्व
  - » वृक्षारोपण और पेड़ों की देखरेख

3. आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयों की स्थापना
4. छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र

## लक्ष्य

1. तालाबों, नदियों, सड़कों और अन्य स्थानों में आम और लुप्त हो रहे पेड़ों के 1,000 पौधों का रोपण और कम से कम 65% पौधों को जीवित रखना सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड के उपयोग से)।  
पृथक्करण क्षमता<sup>37</sup> : 15-20 वर्षों में 5,600 tCO<sub>2</sub> से 10,000 tCO<sub>2</sub> अनुमानित
2. आरोग्य वन स्थापित करने के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि का आवंटन/सीमांकन

1. अतिरिक्त 1,000 से 1,500 पौधों का रोपण  
पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 7,000 tCO<sub>2</sub> से 12,500 tCO<sub>2</sub>
2. आरोग्य वन की स्थापना एवं रखरखाव
3. ~23 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी को अपनाया जाना (40% भूमि कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त), 2,300 पौधों को रोपित किए जाने का कार्य  
सागवान वृक्षारोपण से  
पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 12,880 tCO<sub>2</sub> से 23,000 tCO<sub>2</sub>

1. अतिरिक्त 1,500 से 2,000 पौधे लगाए जाने का कार्य  
पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 9,800 tCO<sub>2</sub> से 17,500 tCO<sub>2</sub>
2. शेष 34 हेक्टेयर भूमि में कृषि वन की स्थापना, 3400 वृक्षारोपण करना  
पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 19,040 tCO<sub>2</sub> से 34,000 tCO<sub>2</sub>
3. आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक दवाओं और पूरकों का उत्पादन  
(जैसा कि 'आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देने' अनुभाग में वर्णित है)

## अनुमानित लागत

वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹12,70,000  
कुल लागत: ₹12.7 लाख

1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹24,99,500
  2. कृषि वानिकी की लागत: ₹9,12,000
- कुल लागत: ₹34 लाख

1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹35,90,500
  2. कृषि वानिकी की लागत: ₹13,68,000
- कुल लागत: ₹49.5 लाख

37 सागवान की प्रजाति के आधार पर पृथक्करण क्षमता का अनुमान लगाया गया



## नर्सरी की स्थापना

| चरण                                       | I<br>2024-25 से 2026-27  | II<br>2027-28 से 2029-30 | III<br>2030-31 से 2034-35 |
|---|--|--------------------------|---------------------------|
| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ | <ol style="list-style-type: none"> <li>3 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को रोज़गार देकर नर्सरी पॉलीहाउस की स्थापना</li> <li>नर्सरी के रखरखाव और संचालन के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रशिक्षित करना</li> </ol> | नर्सरी का रखरखाव         | नर्सरी का रखरखाव          |
| लक्ष्य                                    | ग्राम पंचायत भूमि पर एक फल और वन पौधा नर्सरी पॉलीहाउस स्थापित करना जिससे हरित क्षेत्र में सुधार हो सके और महिलाओं को अतिरिक्त आय भी मिल सके।   | नर्सरी का रखरखाव         | नर्सरी का रखरखाव          |
| अनुमानित लागत                             | नर्सरी के निर्माण और संचालन की लागत: ₹3,00,000<br>कुल लागत: ₹3,00,000  | आवश्यकता के अनुसार       | आवश्यकता के अनुसार        |



## जन जैवविविधता रजिस्टर

| चरण                                       | I<br>2024-25 से 2026-27   | II<br>2027-28 से 2029-30  | III<br>2030-31 से 2034-35   |
|---|---|---|---|
| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ | <ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन</li> <li>लोगों और सभी हितधारकों में जन जैवविविधता रजिस्टर के प्रति जागरूकता बढ़ाना</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का नियमित अद्यतन जारी रखना</li> <li>जागरूकता को मज़बूत करना</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का नियमित अद्यतन जारी रखना</li> <li>जागरूकता को मज़बूत करना</li> </ol> |
| लक्ष्य                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) का गठन और क्षमता विकास</li> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन</li> </ol>                  | जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना  | जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना  |

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उप्र राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उ.प्र राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
  - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
  - » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाएं।
  - » वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- बागवानी नर्सरी जैसी गतिविधियों का लाभ एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के माध्यम से उठाया जा सकता है।
- जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (ओएसआर) से एकत्र राजस्व
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ

38 जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>



# 4

## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



### संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक स्थानों और वाणिज्यिक क्षेत्रों) से उत्पन्न कुल कचरा<sup>39</sup> लगभग 206 किलो प्रति दिन है। इसमें से ~120 किलोग्राम प्रति दिन बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा और ~86 किलोग्राम प्रति दिन गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरा होता है। (अनुमान पद्धति के लिए संलग्नक IV देखें)
- क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपशिष्ट पृथक्करण और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता की कमी है और इस कारण ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर खुली जगहों, तालाबों और सड़कों पर कचरा फेंका जाता है। इसके परिणामस्वरूप मानसून के दौरान नालियों में कचरे द्वारा रुकावट के कारण जलजमाव होता है, जिससे स्वास्थ्य को खतरा होता है।<sup>40</sup>
- आहोपुर में कृषि और पशु अपशिष्ट की बड़ी मात्रा अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ाती हैं। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 535 है (गाय, भैंस, बकरियां सहित) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 2.3 टन प्रति दिन है जिसे खाद, वर्मिकम्पोस्टिंग, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से काफी हद तक प्रबंधित किया जा सकता है।<sup>41</sup>
- घरेलू शौचालय कवरेज ~54% है। क्षेत्र सर्वेक्षणों और समूह केंद्रित चर्चाओं से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत में शौचालयों तक पहुंच में सुधार लाने की आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

39 अनुमान पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें

40 क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार

41 माना जा रहा है कि गाय प्रति दिन 10 किलो, भैंस प्रति दिन 15 किलो और बकरी प्रति दिन 150 ग्राम गोबर करती है





## अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

|        | I<br>2024-25 से 2026-27   | II<br>2027-28 से 2029-30   | III<br>2030-31 से 2034-35  |
|--------|---|--|--|
|        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरे के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा स्थापित करना</li> <li>2. कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन और मजदूरों को नियुक्त करना: <ul style="list-style-type: none"> <li>» घरों और सार्वजनिक सुविधाओं से पृथक्कृत कचरे को एकत्र करना</li> <li>» घरों से ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण सुविधा तक</li> </ul> </li> <li>3. कचरा संग्रहण हेतु कूड़ेदानों की स्थापना</li> <li>4. पंचायत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्क्रेप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच साझेदारी स्थापित करना</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ग्राम पंचायत स्तर का रखरखाव: पृथक्करण और भंडारण की सुविधा</li> <li>2. ग्राम पंचायत स्तर पर प्लास्टिक श्रेडर यूनिट की स्थापना</li> <li>3. स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए रणनीतिक/चयनित स्थानों पर कूड़ेदानों की अतिरिक्त स्थापना</li> <li>4. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निम्न का रखरखाव करना: <ul style="list-style-type: none"> <li>» पृथक्करण और भंडारण सुविधाएं</li> <li>» इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन</li> <li>» स्थापित कूड़ेदान</li> </ul> </li> <li>2. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol> |
| लक्ष्य | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ग्राम पंचायत की अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था में 2,580 घरों (100%) को शामिल किया गया</li> <li>2. 1 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन</li> <li>3. 15 कूड़ेदानों की स्थापना</li> <li>4. कचरा संग्रहण/परिवहन के लिए पंचायत और स्थानीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्वयं सहायता समूहों, अनौपचारिक कचरा बीनने वालों और स्थानीय स्क्रेप डीलरों के बीच साझेदारी स्थापित करना</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना</li> <li>2. वर्तमान केन्द्रों और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का रखरखाव करना</li> <li>3. साझेदारी बढ़ाना</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कूड़ेदान</li> <li>2. मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का रखरखाव करना</li> <li>3. साझेदारी बढ़ाना</li> </ol>   |

## अनुमानित लागत

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा: ₹5,50,000</li> <li>2. 1 इलेक्ट्रिक वाहन: ₹1,00,000</li> <li>3. 15 कूड़ेदान: ₹15,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹6,65,000</p> | आवश्यकतानुसार | आवश्यकतानुसार |
|---|---------------|---------------|



## जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन

### चरण

|   | I<br>2024-25 से 2026-27   | II<br>2027-28 से 2029-30                                     | III<br>2030-31 से 2034-35                                    |
|---|---|--|--|
| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. वर्मिकम्पोस्ट गड्ढे और नाडेप कम्पोस्ट गड्ढे स्थापित करना</li> <li>2. जैविक खाद का उत्पादन करने वाले उपक्रमों की स्थापना करना (अधिक जानकारी के लिए "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग देखें)</li> </ol> | वर्मिकम्पोस्ट और नाडेप कम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव करना | वर्मिकम्पोस्ट और नाडेप कम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव करना |

### लक्ष्य

|  |   |  |
|--|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 25 वर्मिकम्पोस्ट और 10 नाडेप कम्पोस्ट गड्ढे स्थापित करना</li> <li>2. घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पन्न खाद: प्रति दिन 60 किलो</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मौजूदा कम्पोस्ट गड्ढों की क्षमता बढ़ाना/नए कम्पोस्ट गड्ढे स्थापित करना</li> <li>2. 100 प्रतिशत बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे का निपटान</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कम्पोस्ट गड्ढे स्थापित करना</li> <li>2. कम्पोस्ट गड्ढों और मौजूदा बायोगैस संयंत्रों का रखरखाव</li> </ol> |
|--|---|--|

### अनुमानित लागत

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <p>25 वर्मिकम्पोस्ट और 10 नाडेप कम्पोस्ट गड्ढों की लागत: ₹3,50,000<sup>42</sup></p> <p>कुल लागत: ₹3,50,000</p> | आवश्यकता के अनुसार | आवश्यकता के अनुसार |
|--|--------------------|--------------------|

42 अधिक विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें



## स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचों में सुधार

| चरण                                       | I<br>2024-25 से 2026-27                                       | II<br>2027-28 से 2029-30   | III<br>2030-31 से 2034-35        |
|---|---|--|----------------------------------|
| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ | घरेलू शौचालय कवरेज बढ़ाना                                     | शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचों का रखरखाव करना   | मौजूदा बुनियादी ढांचों का रखरखाव |
| लक्ष्य                                    | 100 घरों में ट्विन पिट (दो गड्ढों वाले) शौचालयों का निर्माण   | 1. शेष 167 घरों में ट्विन पिट (दो गड्ढों वाले) शौचालयों का निर्माण<br>2. मौजूदा बुनियादी ढांचों का नियमित रखरखाव | मौजूदा बुनियादी ढांचों का रखरखाव |
| अनुमानित लागत                             | ट्विन पिट शौचालयों की लागत: ₹17,50,000<br>कुल लागत: ₹17.5 लाख | ट्विन पिट शौचालयों की लागत: ₹29,22,500<br>कुल लागत: ₹29.2 लाख  | आवश्यकतानुसार                    |



## एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

| चरण                                       | I<br>2024-25 से 2026-27   | II<br>2027-28 से 2029-30                                  | III<br>2030-31 से 2034-35   |
|---|---|---|---|
| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ | 1. निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम:<br>» ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)<br>» छात्र एवं युवा समूह<br>» समुदाय के सदस्य और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान<br>2. सहभागिता मॉडल: अधिक जानकारी के लिए "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग देखें | जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम जारी रखना | 1. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम जारी रखना<br>2. पिछले चरणों की सफलताओं को मॉडल के रूप में उपयोग कर आसपास के ग्राम पंचायतों में इस पहल का विस्तार किया जा सकता है |

1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध
2. प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद बनाने में 50 महिलाओं को जोड़ा जाना

1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध
2. निम्न को जोड़ते हुए ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों में भागीदारी को बढ़ाना:
  - » अतिरिक्त 100 महिलाएं
  - » अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी

1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध
2. निम्न को जोड़ते हुए ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों में भागीदारी को बढ़ाना:
  - » अतिरिक्त 150 महिलाएं
  - » अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्डों, पृथक्करण और भंडारण शेड के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड और पंचायत-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल प्लांट, पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, विपणन, अपशिष्ट परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने और व्यक्तिगत स्तर पर टिकाऊ/सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाइड और अनटाइड बजट सहित ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से एकत्र राजस्व का उपयोग किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

# 5

## स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच



### संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत आहोपुर ने 2022-23 में लगभग 1,24,565 इकाई बिजली की खपत की है। ग्राम पंचायत में ~100% घरों में बिजली कनेक्शन है, परन्तु जैसा कि समुदाय के सदस्यों द्वारा जानकारी दी गयी है, पंचायत में बिजली की आपूर्ति 24\*7 नहीं है। ग्राम पंचायत में प्रतिदिन औसतन 7-8 घंटे बिजली की कटौती होती है<sup>43</sup>।
- बिजली कटौती के कारण, पावर बैकअप के लिए ग्राम पंचायत<sup>44</sup> में 3 डीजल जनरेटर चल रहे हैं और वे सालाना लगभग ~6 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- सिंचाई के लिए 57 डीजल पंपों का उपयोग होता है<sup>45</sup> जो सालाना ~22 किलोलीटर बिजली की खपत करते हैं।
- सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) और अन्य विद्युत स्थिरता और कम दक्षता वाले उपकरण कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में उपयोग में हैं। साथ ही, ग्राम पंचायत में 90 सोलर स्ट्रीट लाइटों और 12 सोलर हाई मास्ट लाइटों की आवश्यकता है।<sup>46</sup>
- आहोपुर में लगभग ~81% घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं जबकि 70 घरों में खाना पकाने के लिए गोबर के उपलों और लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में, स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों में बदलाव की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी अपितु घरों के भीतर की वायु की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी मिलेंगे।
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों के भीतर भी तापमान बढ़ रहा है जिसके कारण स्थायी स्थान शीतलन की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की पहचानी गई ऊर्जा संबंधी समस्याओं/चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में प्रारम्भ किए गए और साथ ही पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022, अन्य, को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए निम्नलिखित समाधान/गतिविधियां आहोपुर में क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी अपितु ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

43 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में समुदाय द्वारा साझा किया गया है

44 क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार

45 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

46 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर



## सोलर रूफटॉप की स्थापना

चरण  
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

|   | I<br>2024-25 से 2026-27   | II<br>2027-28 से 2029-30   | III<br>2030-31 से 2034-35 |
|---|---|--|---------------------------|
| सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक की स्थापना। <sup>47</sup> (प्राथमिक विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्र)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पक्के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना</li> <li>2. सभी नई इमारतों में सोलर पैनल लगाना (जिनका निर्माण चरण II के दौरान हुआ है)</li> <li>3. सोलर रूफटॉप का नियमित रखरखाव किया जाना</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पक्के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना का विस्तार करना</li> <li>2. सभी नई इमारतों में सोलर पैनल लगाना (जिनका निर्माण चरण III के दौरान हुआ है)</li> <li>3. सोलर रूफटॉप का नियमित रखरखाव किया जाना</li> </ol>   |                           |
| <p>स्थापित की गई सोलर रूफटॉप क्षमता:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» प्राथमिक विद्यालय: (1,960 वर्ग फुट छत क्षेत्र); 10 kWp</li> <li>» आंगनवाड़ी केंद्र: 840 वर्ग मीटर ; 10 kWp</li> </ul> <p>इस चरण में स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप क्षमता: 20 kWp</p> <p>बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 26,784 kWh (प्रति दिन 73 इकाई)</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 22 tCO<sub>2</sub>e</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 108 पक्के घरों की छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना (मौजूदा 40% पक्के घर)<sup>48</sup></li> </ol> <p>स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप की क्षमता: 3 kWp</p> <p>इस चरण में स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप क्षमता: 325 kWp</p> <p>बिजली उत्पादन क्षमता: प्रति वर्ष 4,35,508<sup>49</sup> kWh (प्रति दिन 1,193 इकाई)</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 357 tCO<sub>2</sub>e</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. सोलर रूफटॉप का रखरखाव किया जाना</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. शेष 163 पक्के घरों की छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना (मौजूदा 100% पक्के घर)</li> </ol> <p>इस चरण में, कुल स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप क्षमता: 488 kWp</p> <p>बिजली उत्पादन क्षमता: प्रति वर्ष 6,53,262 kWh<sup>50</sup> (प्रति दिन 1,790 इकाई)</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 536<sup>51</sup> tCO<sub>2</sub>e</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. सोलर रूफटॉप का रखरखाव किया जाना</li> </ol> |                           |
| लक्ष्य  |   |  |                           |

47 5 सरकारी भवनों में 70% छत क्षेत्र सहित सोलर स्थापना की अधिकतम सीमा 10 किलोवाट

48 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना गया है

49 ग्राम पंचायत में वर्तमान ऊर्जा खपत से 4 गुना अधिक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन होने की संभावना है

50 ग्राम पंचायत में वर्तमान ऊर्जा खपत से 6 गुना अधिक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन होने की संभावना है

51 कम हुए उत्सर्जन से ग्राम पंचायत कार्बन न्यूट्रैलिटी प्राप्त करने में सक्षम होगा

| चरण           | I                                     | II  | III  |
|---------------|---------------------------------------|---|--|
|               | 2024-25 से 2026-27                    | 2027-28 से 2029-30  | 2030-31 से 2034-35   |
| अनुमानित लागत | लागत: ₹10,00,000<br>कुल लागत: ₹10 लाख | लागत: ₹1,62,60,000<br>सांकेतिक सब्सिडी <sup>52</sup> : ~40% (राज्य + केंद्र)<br>प्रभावी लागत: ₹97.5 लाख | लागत: ₹2,43,90,000<br>सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + केंद्र)<br>प्रभावी लागत: ₹1.18 करोड़ |



## कृषि-फोटोवोल्टिक

| चरण                                       | I   | II  | III  |
|---|---|---|--|
|   | 2024-25 से 2026-27  | 2027-28 से 2029-30  | 2030-31 से 2034-35   |
| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ | किसान, किसान समूहों आदि के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य | बागवानी सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना | अतिरिक्त बागवानी सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| लक्ष्य        | किसानों के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन करना | बागवानी के अंतर्गत 2 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना<br><br>स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 500 kWp (प्रति हेक्टेयर 250 kWp)<br><br>बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 6,69,600 <sup>53</sup> kWh; प्रति दिन 1,835 इकाई<br><br>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO <sub>2</sub> e | बागवानी के अंतर्गत 2 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना<br><br>स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 250 kWp (प्रति हेक्टेयर 500 kWp)<br><br>बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 6,69,600 kWh<br><br>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO <sub>2</sub> e |
| अनुमानित लागत | आवश्यकतानुसार  | कुल लागत: ₹5 करोड़ <sup>54</sup>   | कुल लागत: ₹5 करोड़   |

52 सब्सिडी परिवर्तनशील है और इनमें समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी की राशी पिछले रुझानों और औसत के आधार पर निर्धारित की गई है और वर्तमान में यह सटीक नहीं भी हो सकती है।

53 ग्राम पंचायत में वर्तमान ऊर्जा खपत से 6 गुना अधिक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन होने की संभावना है

54 प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण कृषि-फोटोवोल्टिक्स की लागत में कमी आ रही है। हालाँकि, उच्च स्तर पर लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अनुमान लगाया गया है कि किसान बागवानी और उस तरह की फ़सलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फ़सल चक्र अपनाते हैं। इसलिए, कृषि-फोटोवोल्टिक्स की स्थापना के लिए बागवानी के अंतर्गत उपलब्ध भूमि के एक प्रतिशत पर ही विचार किया गया है





## सौर पंप

### चरण मुझाईगाई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

| I  | II   | III  |
|--|--|--|
| 2024-25 to 2026-27   | 2027-28 to 2029-30   | 2030-31 to 2034-35   |
| <p>ग्राम पंचायत में मौजूदा डीज़ल पंप सेटों को सौर पंपों से बदला जाना*</p> <p>*यदि सौर पंप संभव नहीं है, तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है।</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत में अतिरिक्त डीज़ल पंप सेटों को सौर पंपों से बदला जाना</li> <li>सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ग्रिड से जुड़े विद्युत पंपों का सौर्यीकरण किया जाना</li> <li>सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना</li> </ol> |

### लक्ष्य

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>वर्तमान में स्थापित 28 मौजूदा डीज़ल पंप सेटों को सौर पंपों से बदला जाना</p> <p>स्थापित पंपों की क्षमता: 154 kW</p> <p>बिजली उत्पादन: प्रतिवर्ष 2,06,236 kWh</p> <p>डीज़ल की खपत में कमी: प्रति वर्ष 10,920 लीटर</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 29.4t CO<sub>2</sub>e</p> | <p>वर्तमान में स्थापित अतिरिक्त 29 मौजूदा डीज़ल पंप सेटों को सौर पंपों से बदला जाना</p> <p>स्थापित पंपों की क्षमता: 160 kW</p> <p>बिजली उत्पादन: प्रतिवर्ष 2,13,602 kWh</p> <p>डीज़ल की खपत में कमी: प्रति वर्ष 11,310 लीटर</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 30 tCO<sub>2</sub>e</p> | <p>3 ग्रिड से जुड़े विद्युत पंपों का सौर्यीकरण किया जाना</p> |
|--|---|--|

### अनुमानित लागत

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>कुल लागत: ₹84,00,000- ₹1,40,00,000</p> <p>सब्सिडी: ~60% (राज्य + केंद्र)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹33,60,000 - ₹56,00,000</p> | <p>कुल लागत: ₹87,00,000- ₹1,45,00,000</p> <p>सब्सिडी: ~60% (राज्य + केंद्र)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹34,80,000 - ₹58,00,000</p> | <p>कुल लागत: ₹9,00,000 - ₹15,00,000</p> <p>सब्सिडी: ~60% (राज्य + केंद्र)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹1,20,000 - ₹6,00,000</p> |
|--|--|--|





## रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

| चरण                                       | I<br>2024-25 से 2026-27  | II<br>2027-28 से 2029-30  | III<br>2030-31 से 2034-35   |
|---|--|---|---|
| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ | <p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 3: सौर इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)</p>  | <p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 3: सौर इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)</p>   | <p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 3: सौर इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)</p>   |
|   | <p>परिदृश्य 1: 19 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (25% घर जिनके पास मवेशी हैं) + 343 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं</p> <p>परिदृश्य 2: 8 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 354 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं</p> <p>परिदृश्य 3: 8 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 18 घर बेहतर चूल्हों का उपयोग करते हैं (50% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 337 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं</p> | <p>परिदृश्य 1: अतिरिक्त 19 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (कुल 50% घर) + 325 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं</p> <p>परिदृश्य 2: अतिरिक्त 8 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करते हैं (अतिरिक्त 25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 346 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं</p> <p>परिदृश्य 3: अतिरिक्त 8 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (अतिरिक्त 25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) का उपयोग करते हैं + अतिरिक्त 18 घर बेहतर चूल्हे का उपयोग करते हैं (शेष 50% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 311 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं</p> | <p>परिदृश्य 1: अतिरिक्त 38 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (कुल 100% घरों में मवेशी हैं) + 287 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं</p> <p>परिदृश्य 2: अतिरिक्त 16 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (100% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 330 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं</p> <p>परिदृश्य 3: अतिरिक्त 16 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (100% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) का उपयोग करते हैं + 35 घर पहले से ही बेहतर चूल्हों का उपयोग कर रहे हैं (जैसा कि चरण II में है) + 260 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं</p> |
| लक्ष्य                                    |  |   |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए<br/>₹9,37,500</p> <p>परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन<br/>कुकस्टोव के लिए ₹3,60,000</p> <p>परिदृश्य 3: ₹3,60,000 +<br/>₹52,500</p> <p>औसत कुल लागत: ₹5,70,000</p> | <p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए<br/>₹9,37,500</p> <p>परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन<br/>कुकस्टोव के लिए ₹3,60,000</p> <p>परिदृश्य 3: ₹3,60,000 +<br/>₹52,500</p> <p>औसत कुल लागत: ₹5,70,000</p> | <p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए<br/>₹18,75,000</p> <p>परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के<br/>लिए ₹7,20,000</p> <p>परिदृश्य 3: ₹7,20,000 + ₹1,05,000</p> <p>औसत कुल लागत: ₹11,40,000</p> |
|---|---|---|



## ऊर्जा कुशल फिक्स्चर

|  | I<br>2024-25 से 2026-27  | II<br>2027-28 से 2029-30   | III<br>2030-31 से 2034-35  |
|--|--|--|--|
| <p>सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सभी सरकारी भवनों में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदला जाना</li> <li>2. ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम 1 सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब और/या एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना</li> <li>3. ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना</li> <li>4. ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से बदले जाने के कार्य का विस्तार करना</li> <li>2. ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदले जाने के कार्य का विस्तार करना</li> <li>3. सभी घरों में कम-से-कम 1 पारंपरिक फैन के बदले ऊर्जा कुशल फैन लगाना</li> <li>4. ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना</li> </ol> | <p>घरों में पारंपरिक पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदले जाने के कार्य को बढ़ाना</p> |

## लक्ष्य

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>सभी सरकारी भवनों में 100% मौजूदा फिक्सचर को एलईडी ट्यूब लाइटों और ऊर्जा कुशल पंखों से बदला जाना</li> <li>सभी घरों में मौजूदा 362 सीएफएल को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना (प्रति घर 1 ट्यूब लाइट)</li> <li>सभी घरों में मौजूदा 362 ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना (प्रति घर 1 ट्यूब लाइट)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>सभी घरों में अतिरिक्त मौजूदा 724 सीएफएल को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना (प्रति घर 2 ट्यूब लाइट)</li> <li>सभी घरों में मौजूदा 724 ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना (प्रति घर 2 ट्यूब लाइट)</li> <li>सभी (100%) घरों में 362 ऊर्जा कुशल पंखे लगाया जाना (प्रति घर 1 पंखा)</li> </ol> | सभी (100%) घरों में 724 ऊर्जा कुशल पंखे लगाया जाना (प्रति घर 2 पंखे) |
|---|---|--|

## अनुमानित लागत

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>एलईडी (LED) बल्ब की लागत: ₹25,340</li> <li>एलईडी (LED) ट्यूब लाइट की लागत: ₹79,640</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹1,04,980</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>एलईडी (LED) बल्ब की लागत: ₹50,680</li> <li>एलईडी (LED) ट्यूब लाइट की लागत: ₹1,59,280</li> <li>ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹4,01,820</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹6,11,780</p> | <p>ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹8,03,640</p> <p>कुल लागत: ₹8,03,640</p> |
|---|--|---|



## सौर स्ट्रीट लाइटें

### चरण

|   | 2024-25 से 2026-27   | 2027-28 से 2029-30  | 2030-31 से 2034-35 |
|---|--|---|--------------------|
| <p>1. सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों में सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना</p> <p>2. सड़कों, फूटपाथों के किनारे, सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों के आसपास और अन्य मुख्य स्थानों में हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित करना</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>नए सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना</li> <li>अतिरिक्त हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्थापित करना</li> <li>मौजूदा स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव और उनकी मरम्मत</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटों को सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों में बदला जाना</li> <li>आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त हाई-मास्ट को हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों में बदला जाना</li> </ol> |                    |

मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

## लक्ष्य

1. विशिष्ट स्थानों में 45 एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना<sup>55</sup>
2. 12 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना

1. 45 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना
2. आवश्यकता के अनुसार प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित करना

1. आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटों को सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों में बदला जाना
2. आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित करना

## अनुमानित लागत

1. 45 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना: ₹4,50,000
  2. 12 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट: ₹6,00,000
- कुल लागत: ₹10.5 लाख

- 45 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना: ₹4,50,000
- कुल लागत: ₹4,50,000

आवश्यकतानुसार

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022<sup>56</sup> में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :
  - » आवासीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा की स्थापना पर सब्सिडी: एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹30,000/- प्रति उपभोक्ता तक
  - » स्वयं के द्वारा रेस्को<sup>57</sup> मोड में संस्थानों में या यूपीएनईडीए के परामर्श के साथ संयंत्र की 3 प्रतिशत लागत के परामर्श शुल्क के साथ सौर ऊर्जा की स्थापना के प्रावधान
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
  - » 3 किलोवाट क्षमता तक के आरटीएस सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत तक सीएफए दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले आरटीएस (RTS) सिस्टम के लिए, 40 प्रतिशत का सीएफए केवल पहले 3 किलोवाट की क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से अधिक (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए सीएफए 20 प्रतिशत तक ही होगा।
  - » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सीएफए आम सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आरटीएस संयंत्र की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत तक सीमित है। जीएचएस/आरडब्ल्यूए के लिए सीएफए के लिए पात्र क्षमता प्रति घर 10 किलोवाट तक सीमित है और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं है
  - » गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किये जा सकते हैं<sup>58</sup>। यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए प्रणाली लागत का 60% तथा 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता को 3 किलोवाट पर सीमित किया गया है। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी है।

55 अधिक विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

56 [https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/उत्तर\\_प्रदेश\\_सोलर\\_एनर्जी\\_पॉलिसी\\_2022.pdf](https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/उत्तर_प्रदेश_सोलर_एनर्जी_पॉलिसी_2022.pdf)

57 तृतीय पक्ष (RESCO मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

58 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

- पीएम कुसुम योजना में निम्न प्रावधान किया गया है :
  - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना का घटक A, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने को बढ़ावा देती है।
  - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक B और C के तहत, केंद्र और राज्य सरकार प्रति पंप के आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10 प्रतिशत की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान बैंक को किस्तों में किया जा सकता है।
- पीएम कुसुम योजना में यूपी सरकार का योगदान:
  - » घटक C -1 के तहत: किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सौरीकरण (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी); यह एमएनआरई (MNRE) की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है
  - » घटक C-2 के तहत: एमएनआरई (MNRE) की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार द्वारा ₹50 लाख प्रति मेगावाट की वार्डएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ (VGF)) प्रदान करके अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं<sup>59</sup>
  - » EESL पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को अपनी स्वयं की लागत पर LED स्ट्रीट लाइटों से बदलता है और 7 वर्षों तक LED बल्बों का मुफ्त प्रतिस्थापन और रखरखाव करता है।
  - » अटल ज्योति योजना और MNRE सौर ऊर्जा स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम 12 वाट की LED और 3 दिनों की बैटरी बैक-अप के साथ सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु सब्सिडी प्रदान करते हैं।
- ग्राम उजाला योजना<sup>60</sup>
  - » ₹.10 प्रति बल्ब की सस्ती कीमत पर LED बल्ब उपलब्ध हैं।
  - » ग्रामीण ग्राहकों को काम कर रहे बल्बों के बदले में तीन साल की वारंटी के साथ 7-वाट और 12-वाट के LED बल्ब दिए जाएंगे
- कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए सब्सिडी
  - » परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
    - » कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) कार्यान्वित कर रहा है।
    - » राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) बागवानी के उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश सब्सिडी "नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चैन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना पर घटक 35 प्रतिशत की दर से अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसे गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला<sup>61</sup> के साथ बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण हेतु प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चैन के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ-साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है। ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण के लिए सौर-आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों की बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है।
- EESL कार्बन फाइनेंसिंग का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग सलूशन के लिए बाजार आधारित हस्तक्षेपों को शुरू करने की योजना बना रहा है।
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।

59 ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम।

60 ग्राम उजाला योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए (फरवरी 2023), पीआईबी।

61 यानी फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन करना, छंटवाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान वाला कोल्ड स्टोरेज, CA स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, IQF, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग यूनिट्स

- » स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन योजना 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों<sup>62</sup> की स्थापना हेतु प्रति जिला 50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- उत्तर प्रदेश जैव-ऊर्जा नीति 2022<sup>63</sup> गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहन के अतिरिक्त CBG संयंत्रों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
  - » कंप्रेसड बायोगैस (CBG) उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर रु. 75 लाख प्रति टन से अधिकतम रु. 20 करोड़ तक का प्रोत्साहन
  - » विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रभारित विकास शुल्क पर छूट
  - » स्टांप ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
  - » यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है
  - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता रु. 0.25 करोड़ प्रति 12000 m<sup>3</sup>/दिन है<sup>64</sup>
- पीएम-सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य भारत में उन घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जो सौर छत स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं<sup>65</sup>।

## वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप आदि की खरीद हेतु ऋण के लिए स्थानीय बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ संबंध का पता लगाना।
- एग्रो-फोटोवोल्टिक के लिए सोलर डेवलपर्स के साथ साझेदारों का पता लगाना।
- सीएसआर (CSR) निधियों का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिया जा सकता है:
  - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम हेतु सब्सिडी के अतिरिक्त सोलर रूफटॉप/ एग्रो-फोटोवोल्टिक्स/सोलर पंप की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत सुरक्षित करना
  - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/SHG के सदस्यों को संचालन एवं रखरखाव" का प्रशिक्षण प्रदान करना
  - » रूफटॉप सोलर (उत्तर प्रदेश सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (प्रधानमंत्री-कुसुम, उत्तर प्रदेश सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली वर्तमान सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान का आयोजन करना

## प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL)
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

62 <https://pib.gov.in/PressReleaseframePage.aspx?PRID=1883926>

63 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

64 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

65 <https://pmsuryaghar.gov.in/>



# 6

## सतत और उन्नत गतिशीलता



### संदर्भ एवं मुद्दे

- आहोपुर में कुल 212 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 200 - दोपहिया वाहन, 6 कारें, 2 ऑटो-रिक्शे और 4 ट्रैक्टर।<sup>66</sup>
- आईसीई वाहन द्वारा कुल ईंधन खपत इस प्रकार है: प्रति वर्ष ~38 किलो लीटर डीज़ल और प्रति वर्ष ~55 किलो लीटर पेट्रोल। कुल मिलकर, परिवहन सेक्टर द्वारा ईंधन की खपत से 192 tCO<sub>2</sub> से अधिक का उत्सर्जन हुआ है।<sup>67</sup>
- इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि ग्राम पंचायत के अंदर की अनेक सड़कों में जलजमाव की समस्या है।

इस कारण से, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों में बदलाव की पहल की महत्वपूर्ण संभावना है।

### मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

| चरण                                       | I<br>2024-25 से 2026-27   | II<br>2027-28 से 2029-30  | III<br>2030-31 से 2034-35   |
|---|---|---|---|
| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ | <ol style="list-style-type: none"> <li>सड़क उच्चिकरण और इंटरलॉकिंग कार्य</li> <li>फुटपाथ का निर्माण</li> </ol>  | <p>आवश्यकता पड़ने पर सड़क के बुनियादी ढांचे का रखरखाव और मरम्मत</p> | <p>आवश्यकता पड़ने पर सड़क के बुनियादी ढांचे का रखरखाव और मरम्मत</p> |
| लक्ष्य                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.25 किलोमीटर लंबी सड़क का उच्चिकरण और इंटरलॉकिंग कार्य<sup>68</sup></li> <li>विशिष्ट स्थान पर कनेक्टिविटी सड़क का निर्माण<sup>69</sup></li> </ol> | <p>नियमित और समय पर सड़कों का रखरखाव/मरम्मत</p>                     | <p>नियमित और समय पर सड़कों का रखरखाव/मरम्मत</p>                     |

66 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी जानकारी के अनुसार

67 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

68 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

69 अधिक विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें



## अनुमानित लागत

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <p>1. सड़क आरसीसी (RCC)/ इंटरलॉकिंग कार्य: ₹1,25,00,000</p> <p>2. 1.1 किलोमीटर लंबे फुटपाथ का निर्माण: ₹55,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹1.85 करोड़</p> | आवश्यकतानुसार | आवश्यकतानुसार |
|--|---------------|---------------|



## मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना

| चरण                                       | 2024-25 से 2026-27  | 2027-28 से 2029-30  | 2030-31 से 2034-35                                     |
|---|---|---|--|
| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ | ग्राम पंचायत में मौजूदा पेट्रोल संचालित ऑटो रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदला जाना  | पंचायत के प्रत्येक हिस्से में पहुँच बनाने हेतु अधिक ई-ऑटोरिक्शा को क्रय किया जाना | मांग के आधार पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जा सकते हैं |
| लक्ष्य                                    | मौजूदा डीज़ल संचालित ऑटो रिक्शा के स्थान पर 2 ई-ऑटोरिक्शा ग्राम पंचायत के आईपीटी बेड़े में जोड़ा जाना   | आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदना                                    | आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदना         |
| अनुमानित लागत                             | <p>एक ई-ऑटोरिक्शा की लागत<sup>70</sup> : लगभग ₹3,00,000</p> <p>» 20 ई-ऑटोरिक्शा की प्रभावी लागत: ₹5,76,000</p> <p>ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: 3.27 tCO<sub>2</sub>e<sup>71</sup></p> | आवश्यकतानुसार   | आवश्यकतानुसार  |

70 ई-ऑटोरिक्शा की लागत अन्य विशेषताओं सहित कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार, आदी के आधार पर ₹1,50,000 से ₹4,00,000 के प्राइस बैंड या इससे अधिक होती है। परोपकार और अन्य फंडिंग एजेंसियों से प्राप्त संभावित सब्सिडी/अनुदान/प्रारंभिक पूंजी/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखकर ई-ऑटोरिक्शा की कीमत प्राइस बैंड के मध्य में माना जा रहा है

71 समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रति ऑटोरिक्शा से 1.63 tCO<sub>2</sub> ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी आई। डीज़ल ऑटोरिक्शा के स्थान पर ई-ऑटोरिक्शा आने से इस उत्सर्जन में गिरावट आएगी और इस तरह ग्राम पंचायत कार्बन न्यूट्रल या यहाँ तक कि कार्बन नेगेटिव भी बन सकता है।



## ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टर को अपनाने हेतु बढ़ावा देना

| चरण                                       | I<br>2024-25 से 2026-27  | II<br>2027-28 से 2029-30   | III<br>2030-31 से 2034-35  |
|---|--|--|--|
| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ | <ol style="list-style-type: none"> <li>डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना</li> <li>आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों/उद्यमियों) को संवेदनशील बनाना</li> <li>ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहनों को किराए पर लेने की सुविधा उपलब्ध करना ("आजीविका और हरित उद्यमशीलता बढ़ाना" अनुभाग में वर्णित)</li> </ol> | आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना। | आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना। |
| लक्ष्य                                    | कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहनों का क्रय किया जाना   | आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना  | आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना  |
| अनुमानित लागत                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>5 ई-ट्रैक्टर: ₹30,00,000</li> <li>5 ई-माल वाहक: ₹25,00,000 – ₹50,00,000</li> </ol> कुल लागत: ₹55 लाख – ₹80 लाख  | लागत बाज़ार दर पर आधारित   | लागत बाज़ार दर पर आधारित   |

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और MGNREGS की सहायता से सड़क के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और उसमें सुधार किया जा सकता है
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 में प्रावधान है
  - » खरीदारों के लिए 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
  - » 1 साल की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन<sup>72</sup> के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत; 2-व्हीलर EV: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत; 3-व्हीलर EV: प्रति वाहन ₹12000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत
- ई-रिक्शों के लिए सब्सिडी का लाभ फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज II (फेम II) स्कीम के तहत भी लिया जा सकता है

## वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और स्वयं की आय के स्रोत (ओएसआर)
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) समर्थन के साथ बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों से ऋण

## प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय योग्य ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)

<sup>72</sup> सरकारी सब्सिडी में समय-समय पर सब्सिडी की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों के आधार पर परिवर्तन आते हैं। इसलिए, इस कार्ययोजना के किसी भी अनुभाग में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक है, और वास्तविक खरीदारी के समय इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है।

# 7

## आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना



कृषि और पशुपालन इस ग्राम पंचायत की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं और 75% से अधिक परिवार इनसे जुड़े हुए हैं। दोनों क्षेत्रों में आजीविका संबंधी अनिश्चितता है, जिनका कारण विशेष रूप से बारंबार होने वाले सूखे की घटनाएं, जलवायु परिवर्तन तथा वर्तमान में कृषि और पशुपालन में की जाने वाली अरक्षणीय प्रथाएं हैं। इसके परिणामस्वरूप, आबादी का एक बड़ा भाग अनिश्चितता में फंसा हुआ है। ग्राम पंचायत में कृषि संबंधी कार्य और/या स्थानीय व्यवसाय/दुकानें अन्य मुख्य आय के स्रोत हैं। पिछले 5 वर्ष में 30 परिवार बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से पलायन कर गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

वर्तमान में, उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत के भीतर नौकरियों के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित गतिविधियां आने वाले वर्ष में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए दिशा प्रदान करती हैं। इनके विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत हैं:

### सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करें

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. टिकाऊ उत्पादों (बैग, घर के सजावटी सामान, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) के निर्माण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना।)
2. इसके लिए क्षमता निर्माण:
  - » उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
  - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

#### निम्न का प्रारंभिक जुड़ाव:

- 50 महिलाएं
- 7 स्वयं सहायता समूह
- स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करें

#### इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- अतिरिक्त 100 महिलाएं
- अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी

लक्ष्य



## जैविक कचरे को खाद बनाकर उसे उर्वरक के रूप में बेचना

सुझाई गई जलवायु  
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता निर्माण
  - » खाद और वर्मी-खाद बनाने की तकनीक
  - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

लक्ष्य

1. **तत्काल लक्ष्य:**
  - » घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पन्न खाद: प्रति दिन 60 किलो; प्रति माह 1,800 किलो (वर्तमान में उत्पन्न होने वाले कचरे के अनुसार)
2. **दीर्घकालिक लक्ष्य:**
  - » जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार कम्पोस्ट/ वर्मी -कम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



## ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

सुझाई गई जलवायु  
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर को वाणिज्यिक किराए पर लेने की सुविधा (किराये के आधार पर) यूपी ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को संवेदनशील बनाना

लक्ष्य

1. **तत्काल लक्ष्य**
  - » 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: ₹6 लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)
  - » 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)
2. **मध्यावधि लक्ष्य**
  - » अतिरिक्त 2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 इलेक्ट्रिक वाहन मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रक (ध्यान दें: यह माना जा रहा है कि आहोपुर में 35 HP ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है जिसकी कीमत प्रायः 6 लाख रुपए है)



## सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों के भीतर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज में जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर उत्पन्न करना
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिजनेस/व्यवसाय मॉडल/गठजोड़

### लक्ष्य

5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (मीट्रिक टन क्षमता सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर)

लगत: लगभग ₹8,00,000 से ₹15,00,000



## प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. विकास के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन और प्राकृतिक औषधियों एवं अनुपूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन का रखरखाव
2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ सहभागिता

### लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि को आरोग्य वन के रूप में स्थापित किया जाना





## विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्थापनाओं का क्रियान्वयन एवं रखरखाव (O&M)

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव पर कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास।
2. ग्राम पंचायत के भीतर सोलर और बायो-गैस स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव व्यवसायों की स्थापना में सीएसआर, केंद्र और राज्य सरकार की अपस्किनिंग योजनाओं से सहायता

### वित्त पोषण एवं कौशल विकास

1. हरित उद्यमशीलता और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से); सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला उद्यमियों का बढ़ावा दे सकती हैं।
2. सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले आवश्यक कौशल विकास।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

## 1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

यह गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण <sup>73,74,75</sup>:

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

## 2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि के उपयोग को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी) करना चाहिए।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

73 [https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium\\_Updated\\_20230922.pdf](https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf)

74 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

75 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय<sup>76</sup>, थार रेगिस्तान, राजस्थान का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़<sup>77</sup>:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

### 3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र<sup>78</sup>:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

76 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

77 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

78 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

## 4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्तुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, भटिंडा और तरनतारन, पंजाब<sup>79,80</sup>

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेड जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

### निर्मल गुजरात अभियान<sup>81</sup>

- गुजरात के हिममतनगर में पशु आश्रय स्थल गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु आवास) में बायोगैस और वर्मिकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मिकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)<sup>82</sup>" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशित द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

## 5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर<sup>83</sup>

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच" अनुभाग से जुड़ी है।

79 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

80 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

81 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

82 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/csssscspcc>

83 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

## 6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है<sup>84</sup>।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

## 7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में<sup>85</sup>

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

## 8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

84 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

85 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना <sup>86</sup>

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

## 9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एम्पिफिसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले<sup>87</sup>

स्वयं शिक्षान प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

## 10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे जबकि स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

86 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

87 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>



## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)<sup>88</sup>

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

## 11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:




आंध्र प्रदेश राज्य में<sup>89</sup>

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

88 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

89 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>





## सतत कृषि

| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ   | अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ  | एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>90</sup>   |
|---|---|--|
| क. जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि</li> <li>मृदा स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार</li> <li>कृषि जल सुरक्षा में सुधार</li> <li>शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई</li> <li>वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई</li> </ul> | <b>एसडीजी 2: शून्य भूख</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 2.3</li> <li>लक्ष्य 2.4</li> <li>लक्ष्य 2.ए ; अनुच्छेद 10.3.ई</li> </ul> <b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.4</li> <li>लक्ष्य 13.1</li> </ul> <b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul> |
| ख. प्राकृतिक खेती अपनाना<br>     |   |  |
| ग. सतत पशुधन प्रबंधन<br>         |   |  |



90 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

## जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प



| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ  | अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ  | एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया   |
|--|---|--|
| <p>क. जल निकायों का रखरखाव</p>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है</li> <li>बेहतर भूजल पुनर्भरण</li> <li>पानी की गुणवत्ता में वृद्धि</li> <li>सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना</li> <li>कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार</li> <li>स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा</li> </ul> | <p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.1</li> <li>लक्ष्य 6.3</li> <li>लक्ष्य 6.4</li> <li>लक्ष्य 6.5</li> </ul> |
| <p>ख. नालों के बुनियादी ढांचो का सुदृढीकरण</p>    |   | <p><b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.4</li> </ul>  |
| <p>ग. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रथाएं</p>  |   | <p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> </ul>                                      |
| <p>घ. भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण</p>           |   | <p><b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> </ul>                                    |
|  |   | <p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> <li>लक्ष्य 15.5</li> </ul>   |









## हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना






| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ  | अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ   | एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया   |
|--|--|--|
| क. हरित क्षेत्रों में सुधार<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र</li> <li>सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी</li> </ul>  | <b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.7</li> <li>लक्ष्य 11.4</li> </ul>  |
| ख. नर्सरी की स्थापना<br>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा</li> <li>बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस)</li> </ul>  | <b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> </ul>   |
| ग. जन जैवविविधता रजिस्टर<br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>पशुधन उत्पादकता में सुधार</li> <li>कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन</li> <li>जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> </ul> | <b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul> <b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> <li>लक्ष्य 15.2</li> <li>लक्ष्य 15.3</li> <li>लक्ष्य 15.5</li> <li>लक्ष्य 15.9</li> </ul> |






## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ  | अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ   | एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया   |
|--|--|--|
| क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>जलभराव कम हुआ</li> <li>जल और भूमि प्रदूषण में कमी/स्वच्छता में सुधार</li> </ul>   | <b>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 3.3</li> <li>लक्ष्य 3.9</li> </ul> |
| ख. जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन<br>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण</li> </ul> | <b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.3</li> <li>लक्ष्य 6.8</li> </ul>      |
|  |  | <b>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 8.3</li> </ul>                     |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>ग. स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>आजीविका और आय सृजन</li> <li>राजस्व और लाभ सृजन</li> <li>सतत कृषि के लिए उन्नत इनपुट</li> </ul> | <p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul> <p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.4</li> <li>लक्ष्य 12.5</li> <li>लक्ष्य 12.8</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul> <p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> </ul>     |
| <p>घ. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p>           |   |   |

## स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ   | अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ  | एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया  |
|---|---|---|
| <p>क. सोलर रूफ टॉप की स्थापना</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ऊर्जा सुरक्षा</li> <li>उष्ण से राहत</li> <li>आजीविका के उन्नत विकल्प</li> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> <li>उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है</li> <li>विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट</li> </ul> | <p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b></p> <p>लक्ष्य 6.4</p> <p><b>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 7.1</li> <li>लक्ष्य 7.2</li> <li>लक्ष्य 7.3</li> <li>लक्ष्य 7.ए</li> <li>लक्ष्य 7.बी</li> </ul>   |
| <p>ख. एग्रो-फोटोवोल्टिक</p>        |   |   |
| <p>ग. सौर पंप</p>                  |   |   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ</li> <li>• घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी</li> <li>• विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>• ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है</li> <li>• आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि</li> </ul> | <p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• लक्ष्य 9.1</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• लक्ष्य 13.2</li> <li>• लक्ष्य 13.3</li> </ul>   |
| <p>ड. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर</p>            |  |  |
| <p>च. सोलर स्ट्रीट लाइट</p>              |  |  |

## समतत और उन्नत गतिशीलता

| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ   | अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ   | एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया   |
|---|--|--|
| <p>क. मौजूदा बुनियादी सड़क ढांचे को बढ़ाना</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है</li> <li>• जोखिम वाले और संवेदनशील लोगों के लिए बेहतर पहुंच</li> <li>• अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> <li>• वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> <li>• जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के माध्यम से लचीलेपन में सुधार</li> </ul> | <p><b>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• लक्ष्य 7.2</li> </ul> <p><b>एसडीजी 11: टिकाऊ शहर और समुदाय</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• लक्ष्य 11.2</li> </ul> <p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• लक्ष्य 9.1</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• लक्ष्य 13.2</li> <li>• लक्ष्य 13.3</li> </ul>     |
| <p>ख. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना</p>             |  |  |
| <p>ग. ई-वाहनों और ई-ट्रेक्टर को अपनाने को बढ़ावा देना</p>  |  |  |



# आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

| सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ   | अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ  | एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया  |
|---|---|---|
| <p>क. सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करें</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>जल एवं भूमि प्रदूषण में कमी</li> <li>स्थायी कृषि के लिए उन्नत इनपुट</li> <li>100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण</li> </ul> | <p><b>एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 5.5</li> </ul>   |
| <p>ख. जैविक कचरे से खाद बनाना और उसे उर्वरक के रूप में बेचना</p>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> <li>आजीविका के उन्नत विकल्प</li> </ul>   | <p><b>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 8.3</li> </ul>   |
| <p>ग. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराये पर लेने की सुविधा</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ</li> <li>कृषिवानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन।</li> </ul>   | <p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> <li>लक्ष्य 12.4</li> <li>लक्ष्य 12.5</li> <li>लक्ष्य 12.8</li> </ul>  |
| <p>घ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका को बेहतर बनाना</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि</li> <li>स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है</li> </ul>                            | <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>   |
| <p>ङ. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> </ul>   |     |
| <p>च. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्थापनाओं का क्रियान्वयन एवं रखरखाव (O&amp;M)</p>                |   |   |

**का**र्यान्वयन में प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियों/अनुशंसाओं से आहोपुर के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत जलवायु स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। आहोपुर के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर आहोपुर को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, आहोपुर जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के कार्यान्वयन के बाद, नई अवसरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही आहोपुर को एक मॉडल जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ़ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

## अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

### पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के तहत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया<sup>91</sup>। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

आहोपुर के लिए जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना<sup>92</sup> का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

### कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़ील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि

91 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

92 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।

- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- हितधारकों को जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
  - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
  - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
  - » आहोपुर ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें जलवायु-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

# अनुलग्नक II: प्रश्नावली



## उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत :आहोपुर

विकासखण्ड : बदलापुर

जनपद : जौनपुर

### I. गाँव की रूपरेखा

|     | विवरण  | संख्या (सूचना का स्रोत- समुदाय के सदस्य)                                 |
|-----|--|--|
| 1   | राजस्व गाँव की संख्या  | 1  |
| 2   | टोलों की संख्या  | 7  |
| 3   | a कुल जनसंख्या   | 2580   |
|     | b कुल पुरुषों की जनसंख्या  | 1340   |
|     | c कुल महिलाओं की जनसंख्या  | 1240   |
|     | d विकलांगजन की जनसंख्या  | 11   |
|     | e कुल बच्चों की जनसंख्या   | 445  |
|     | f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)                             | 225  |
| 4   | कुल परिवार की संख्या   | 370  |
| a   | गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या                | 62   |
| 5   | कुल भौगोलिक क्षेत्रफल  | 115.123 हेक्टेअर   |
| 6 a | साक्षरता दर  | 65 प्रतिशत   |
| 7 a | पक्का घरों की संख्या   | 315  |
| b   | कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें) | 55 (मिट्टी की दिवाल, छत फुस का, दिवाल पक्की और छत टिनसेड व एडवेस्टर शीट) |

### II. सामाजिक आर्थिक

| 8 | ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार                         | कुल परिवारों की संख्या |
|---|--|------------------------|
|   | निजी भूमि/स्वयं की भूमि  | 308                    |
|   | किराए की भूमि (हुण्डा)   | Nil                    |
|   | अनुबंध खेती  | NIL                    |
|   | दिहाड़ी मजदूर  | 175                    |
|   | अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)  | 35                     |
|   | अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें) | NIL                    |





| 9  |  | ग्राम पंचायत में आय के स्रोत   | कुल परिवारों की संख्या   |                                  |
|----|--|--|--|----------------------------------|
|    |  | सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)   | 20   |                                  |
|    |  | कुटीर उद्योग   | 10   |                                  |
|    |  | कृषि   | 308  |                                  |
|    |  | कला / हस्तकला  | NIL  |                                  |
|    |  | पशुपालन  | 75   |                                  |
|    |  | व्यवसाय (स्थानीय दुकान)  | 20   |                                  |
|    |  | व्यवसाय / उद्यम  | 15   |                                  |
|    |  | दैनिक / दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)  | 35   |                                  |
|    |  | अन्य   | 35   |                                  |
| 10 |  | पलायन  | हां  | नहीं                             |
| a  |  | क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?                     | हां <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/>         |
| b  |  | पलायन करने वाले स्थान  | पिछले पांच वर्षों में पलायन करने वाले परिवार / व्यक्तिगत की संख्या | पलायन के मुख्य कारण              |
|    |  | अन्य गांव  | NIL  |                                  |
|    |  | निकट के शहर  | NIL  |                                  |
|    |  | राज्य के प्रमुख शहर  | NIL  |                                  |
|    |  | देश के प्रमुख महानगर   | 30   | रोजी रोटी कमाने                  |
| c  |  | क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार / व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?            | हां <input type="checkbox"/>                                       | नहीं <input type="checkbox"/> no |
| d  |  | पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें। | NIL  |                                  |

| 11 |  | महिलाओं की स्थिति  |            |
|----|--|--|------------|
| a  |  | महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला) | 30         |
| b  |  | खेती में कार्यरत महिला                                     | कुल संख्या |
|    |  | निजी भूमि / स्वयं की भूमि                                  | 50         |







|   |  |            |
|---|--|------------|
|   | किराए की भूमि/हुण्डा   | NIL        |
|   | अनुबंध खेती  | NIL        |
|   | दिहाड़ी मजदूर  | 70         |
|   | अन्य व्यवस्था  | NIL        |
|   | अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें) | NIL        |
| c | नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं   | कुल संख्या |
|   | सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)                         | 06         |
|   | कुटीर उद्योग   | 05         |
|   | कृषि   | 200        |
|   | कला/हस्तकला  | NIL        |
|   | पशुपालन  | 75         |
|   | व्यवसाय (स्थानीय दुकान)  | 15         |
|   | दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)  | 80         |
|   | अन्य   | NIL        |

| 12 | स्वयं सहायता समूहों                        |                   |                                       |                  |                          |
|----|--|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
|    | स्वयं सहायता समूह का नाम                   | सदस्यों की संख्या | अपनायी गई गतिविधियाँ                  | वार्षिक बचत (₹0) | बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव |
| 1  | डा0भीमराव अम्बेडकर महिला स्वयं सहायता समूह | 10                | बचत,                                  | 9600             | हां                      |
| 2  | रमाबाई स्वयं सहायता समूह                   | 10                | बचत, बकरी पालन व खेती, कासमेटिक दुकान | 9600             | हां                      |
| 3  | भीमाबाइ स्वयं सहायता समूह                  | 12                | बचत,                                  | 11520            | हां                      |
| 4  | रबीदास महिला स्वयं सहायता समूह             | 10                | बचत, बकरी पालन व खेती, कासमेटिक दुकान | 6720             | हां                      |
| 5  | प्रबुद्ध महिला स्वयं सहायता समूह           | 10                | बचत,                                  | 9600             | हां                      |
| 6  | जनाश्रय महिला स्वयं सहायता समूह            | 10                | बचत व खेती, कासमेटिक दुकान            | 9600             | हां                      |
| 7  | गौतमबुद्ध महिला                            | 10                | बचत                                   | 9600             | हां                      |



|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| स्वयं सहायता समूह |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|

| 13 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) |                                    |   |   |             |  |  |
|----------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------|--|--|
| एफ0पी0ओ0 का नाम                  | क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं? | प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की संख्या | एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत | कृषि उत्पाद | पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियां/ गतिविधियों का क्षेत्र |  |
| NIL                              | <input type="checkbox"/>           |   |   |             |  |  |
|                                  | <input type="checkbox"/>           |   |   |             |  |  |
|                                  | <input type="checkbox"/>           |   |   |             |  |  |
|                                  | <input type="checkbox"/>           |   |   |             |  |  |
|                                  | <input type="checkbox"/>           |   |   |             |  |  |

| 14 अन्य समुदाय आधारित संगठन/ |                                |                                    |                   |                            |             |                         |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
|                              | सामाजिक संगठन/ समितियों के नाम | क्या महिला प्रमुख संगठन/समिति हैं? | सदस्यों की संख्या | प्राप्त वार्षिक राजस्व/बचत | उत्पाद/सेवा | विपणन/लक्षित उपभोगकर्ता |
| 1                            | युवक मंगल दल                   | नहीं <input type="checkbox"/>      | 10                | NIL                        |             |                         |
| 2                            | महिला युवक मंगल दल             | हां <input type="checkbox"/>       | 10                | NIL                        |             |                         |
|                              |                                | <input type="checkbox"/>           |                   |                            |             |                         |

| 15 योजनाएं |  |                            |                                   |  |                      |  |  |
|------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|--|
| a          | योजना के नाम                                     | पंजीकृत लाभार्थी की संख्या | लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या | विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु0) | अन्य कोई बकाया (रु0) | की गई गतिविधियां/ कार्य  |  |
|            | मनरेगा   | 596                        | 403                               | 2202120  | 488000               | इन्टरलाकिंग, मिट्टी का कार्य, टडबन्ध कार्य, समतीकरण, मेढबन्दी, तालाब निर्माण |  |
|            | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना/ एन.एफ.एस.ए. |                            |                                   |  |                      |  |  |





|   |   |     |     |                       |         |  |
|---|---|-----|-----|-----------------------|---------|--|
|   | प्रधानमंत्री उज्जवला योजना                      | 25  | 25  | गैस चूल्हा व सिलिन्डर |         |  |
|   | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना                  | NIL |     |                       |         |  |
|   | प्रधान मंत्री कुसुम योजना                       | NIL |     |                       |         |  |
| b | अन्य योजनाएं                                    |     |     |                       |         |  |
|   | ग्राम उज्जवला योजना                             | NIL |     |                       |         |  |
|   | ऊर्जा दक्षता योजना                              | NIL |     |                       |         |  |
|   | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम              | NIL |     |                       |         |  |
|   | प्रधानमंत्री आवास योजना                         | 13  | 13  | 520000                | 1040000 | लाभार्थी का आवास बन रहा है।                |
|   | सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0)             | 251 |     |                       |         | प्रत्येक माह 5-35 किलो खाद्यान्न मिलता है। |
|   | कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम                   | NIL |     |                       |         |  |
|   | उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन                    | NIL |     |                       |         |  |
|   | राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)               | NIL |     |                       |         |  |
|   | मौसम आधारित फसल बीमा                            | NIL |     |                       |         |  |
|   | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)             | NIL |     |                       |         |  |
|   | मृदा स्वास्थ्य कार्ड                            | NIL |     |                       |         |  |
|   | किसान क्रेडिट कार्ड                             | 130 |     |                       |         |  |
|   | स्वच्छ भारत मिशन                                | 150 | 100 | 1200000               |         | लाभार्थी के घर शौचालय बना है।              |
|   | सौर सिंचाई पम्प योजना                           |     |     |                       |         |  |
|   | नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम | NIL |     |                       |         |  |
|   | विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना             | NIL |     |                       |         |  |
|   | गोवर्धन योजना                                   | NIL |     |                       |         |  |
|   | जल पुनर्भरण योजना                               | NIL |     |                       |         |  |





|  |  |     |  |  |  |  |
|--|--|-----|--|--|--|--|
|  | रेनवाटर हार्वेस्टिंग                           | NIL |  |  |  |  |
|  | समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम                | NIL |  |  |  |  |
|  | अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं                     | NIL |  |  |  |  |
|  | अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य) | NIL |  |  |  |  |
|  | उद्यमितता सहायतित योजनाएं आदि                  | NIL |  |  |  |  |
|  |  |     |  |  |  |  |
|  |  |     |  |  |  |  |
|  |  |     |  |  |  |  |

|    |  |      |
|----|--|------|
| 16 | सक्रिय बैंक खाता धारकों की संख्या  | 1280 |
| 17 | ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या | 85   |

| 18 | निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र | क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/क्रय केन्द्र का उपयोग होता है |                          | यदि नहीं, तो बाजार/ केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता | उत्पादित फसल (कु0)                   | बिक्री हुई फसल (कु0) | ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0) |
|----|--|--|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--|
|    |  | हां  | नहीं                     |   |                                      |                      |  |
| 1  | सिगरा मऊ                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/> |   | 3800 कु0<br>गेहूँ<br>3500 कु0<br>धान | 2000 कु0<br>800 कु0  | 6 किमी0<br>10 किमी0  |
|    |  | <input type="checkbox"/>                                     | <input type="checkbox"/> |   |                                      |                      |  |
|    |  | <input type="checkbox"/>                                     | <input type="checkbox"/> |   |                                      |                      |  |

|    |                                |                        |                                      |   |   |
|----|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 19 | शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में) |                        |                                      |   |   |
|    | प्रकार/ स्तर                   | उपलब्ध छत का क्षेत्रफल | कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या | विगत वर्ष में कुल ज्ञाप आऊट विद्यार्थियों की संख्या | ज्ञाप आऊट के मुख्य कारण (स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), |





|  |   |                   | (वर्ग मी०) |     |   | आर्थिक समस्या—(3), अन्य—(4) उल्लेख करें)                                  |
|--|---|-------------------|------------|-----|---|---|
|  | a | प्राथमिक विद्यालय | 166.6      | 126 | - | 15 से 20 प्रतिशत बच्चें मानसून व कृषि कार्यों के कारण अनुपस्थित रहते हैं। |
|  |   |                   |            |     |   |   |
|  |   |                   |            |     |   |   |
|  | b | जू० हाई स्कूल     | NIL        |     |   |   |
|  |   |                   |            |     |   |   |
|  |   |                   |            |     |   |   |
|  |   |                   |            |     |   |   |
|  | c | हाई स्कूल         | NIL        |     |   |   |
|  |   |                   |            |     |   |   |
|  |   |                   |            |     |   |   |
|  |   |                   |            |     |   |   |
|  | d | अन्य संस्थान      | NIL        |     |   |   |
|  |   |                   |            |     |   |   |
|  |   |                   |            |     |   |   |
|  |   |                   |            |     |   |   |

| 20 | कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में) | उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी०) | संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2) | नामांकित व्यक्तियों की संख्या | नामांकित व्यक्तियों की आयु |
|----|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|    | NIL  |                                   |                                      |                               |                            |
|    |  |                                   |                                      |                               |                            |
|    |  |                                   |                                      |                               |                            |
|    |  |                                   |                                      |                               |                            |





|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| 21 | राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता       |                                     |                      |   |
|----|--|-------------------------------------|----------------------|---|
|    | राजमार्ग का नाम                            | राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 | ग्राम पंचायत से दूरी | सम्पर्क मार्ग की स्थिति<br>अच्छा (1),<br>खराब (2), घटिया (3),<br>सबसे घटिया (4) |
|    | बदलापुर जौनपुर सुल्तानपुर मार्ग<br>N.H. 56 | 2, राष्ट्रीय राजमार्ग               | 5 KM                 | अच्छा (1)   |
|    |  |                                     |                      |   |
|    |  |                                     |                      |   |
|    |  |                                     |                      |   |

### III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

| 22 | वन भूमि का विवरण  |     |
|----|---|-----|
| a  | वन का क्षेत्र   | NIL |
| b  | वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र                          | NIL |
| c  | सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र                    | NIL |
| d  | कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?                             | NIL |
| e  | विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां | NIL |
| f  | अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)           | NIL |

| 23 | अन्य भूमि का वर्गीकरण                                  |                                   |                                       |                    |
|----|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| a  | ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है? | 2.557 हेक्टेअर                    |                                       |                    |
| b  | कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)                      | 1.5 हेक्टेअर                      |                                       |                    |
| c  | ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां                        | हां<br><input type="checkbox"/> √ | नहीं<br>नहीं <input type="checkbox"/> | आच्छादित क्षेत्रफल |







|  |  |     |
|--|--|-----|
|  | खनन के प्रकार<br>बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2,<br>अन्य (उल्लेख करें) 3 | Nil |
|  | अतिरिक्त सूचनाएं   | NIL |

| 24 | जल निकाय क्षेत्र   |   |                          |
|----|--|---|--------------------------|
|    | विवरण  | हां   | नहीं                     |
| a  | क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?                 | हाँ <input checked="" type="checkbox"/> ✓         | <input type="checkbox"/> |
| b  | ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या                | 4, निजी- 2  |                          |
| c  | क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?                           | हाँ <input checked="" type="checkbox"/> ✓         | <input type="checkbox"/> |
| d  | जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?                          | 15 से 20 साल                                      |                          |
| e  | क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है? | हाँ <input checked="" type="checkbox"/> ✓ 1.5 हे० |                          |

| 25 | जल आपूर्ति   |  |
|----|--|--|
| a  | ग्राम पंचायत में घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है?<br>नहर (1)<br>वर्षा जल—(2)<br>भूमिगत जल—(3)<br>तालाब/झील—(4)<br>अन्य— (5)  | भूमिगत जल—(3) इंडिया मार्का हैण्डपम्प, छोटा निजी हैण्डपाइप (6 नं०) |
| b  | क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?   | बारह मासी  |
| c  | घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है?<br>पाइप जलापूर्ति (1)<br>ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2)<br>पानी टंकी (3)<br>महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4)<br>हैण्डपम्प (5)<br>ऊँचा सतही जलाशय (6) | हैण्डपम्प (5) हैण्डपम्प<br>कूआ (7) 5 कुएँ का प्रयोग                |



|   |  |  |
|---|--|--|
|   | कूआ (7)<br>अन्य (8), उल्लेखित करें।<br>अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?   |  |
| d | कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?   | NIL  |
| e | क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?   | NIL  |
| f | पइप जलापूर्ति की नियमितता<br>24× 7 घण्टे (1)<br>काफी नियमित (2)<br>अनियमित (3)   | NIL  |
| g | ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है?<br>नहर (1)<br>वर्षा जल (2)<br>भूमिगत जल – (नलकूप (3 A), कूआ (3 B))<br>तालाब/झील (4)<br>पानी टैंक (5)<br>नदी (6)<br>अन्य (7)   | वर्षा जल (2)<br>भूमिगत जल – (नलकूप (3 A), कूआ (3 B))                                       |
| h | क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?  | बारहमासी, नलकूप एवं व्यक्तिगत बोरिंग का प्रयोग फसल के आवश्यकतानुसार एवं वर्षा जल मौसमी है। |
| i | क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?   | संतोषजनक   |
| j | अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है)<br>क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया?<br>क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है? | घरेलू प्रयोग हेतु पर्याप्त है एवं कृषि कार्य हेतु अपर्याप्त है।<br>NIL                     |

#### IV. जलवायु की धारणा

|  |  |
|--|--|
| तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव |  |
| 26                                       |  |





|           |  |   |                            |                                      |
|-----------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|
| a         | गर्मी के माह में देखा गया  |   |                            |                                      |
| b         | गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)                | गर्म दिनों में वृद्धि                                       | गर्म दिनों में कमी         | गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं     |
|           |  | <input type="checkbox"/> √                                  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>             |
| c         | दिनों की संख्या  | 7 दिन   |                            |                                      |
| d         | अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)                                | गर्मी के दिनों में वृद्धि हुई                               |                            |                                      |
| <b>27</b> |  |   |                            |                                      |
| a         | सर्दी के माह में महसूस किया गया  |   |                            |                                      |
| b         | सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)      | ठण्ड दिनों में वृद्धि                                       | ठण्ड दिनों में कमी         | ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं     |
|           |  | <input type="checkbox"/>                                    | <input type="checkbox"/> √ | <input type="checkbox"/>             |
| c         | दिनों की संख्या  |   | 25 से 30 दिन               |                                      |
| d         | अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)                                | तापमान पहले की तरह कम नहीं होता है।                         |                            |                                      |
| <b>28</b> |  |   |                            |                                      |
| a         | मानसून माह में महसूस किया गया  |   |                            |                                      |
| b         | मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)     | वर्षा के दिनों में वृद्धि                                   | वर्षा के दिनों में कमी     | वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं |
|           |  | <input type="checkbox"/>                                    | <input type="checkbox"/> √ | <input type="checkbox"/>             |
| c         | दिनों की संख्या  |   | 25 से 30 दिन               |                                      |
| d         | अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)                               | देर से शुरू होकर जल्दी खतम होता है, कम दिनों में अधिक वर्षा |                            |                                      |
| <b>29</b> |  |   |                            |                                      |
| a         | क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में) | वर्षा के दिनों में वृद्धि                                   | वर्षा के दिनों में कमी     | वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं |
|           |  | <input type="checkbox"/> √                                  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>             |
| b         | ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन                               | वर्षा दिनों में वृद्धि                                      | वर्षा दिनों में कमी        | वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं |
|           |  | <input type="checkbox"/>                                    | <input type="checkbox"/> √ | <input type="checkbox"/>             |
| c         | दिनों की संख्या  |   | 25 से 30 दिन               |                                      |
| d         | शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन                                   | वर्षा के दिनों में वृद्धि                                   | वर्षा के दिनों में कमी     | वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं |
|           |  | <input type="checkbox"/>                                    | <input type="checkbox"/> √ | <input type="checkbox"/>             |
| e         | दिनों की संख्या  |   | 10 दिन                     |                                      |
| f         | अन्य सूचनाएं/जानकारी   | NIL   |                            |                                      |





### चरम मौसम की घटनाएं

| 30 सूखा    |  |  |                          |                                     |  |                                     |
|------------|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| a          | सूखे की घटना   | प्रथम वर्ष<br>(2022)   | द्वितीय वर्ष<br>(2021)   | तृतीय वर्ष<br>(2020)                | चतुर्थ वर्ष<br>(2019)                  | पंचम वर्ष<br>(2018)                 |
|            |  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b          | किस माह में सूखा देखा गया  | जून जुलाई  | जुलाई अगस्त              | जून जुलाई                           | जून जुलाई                              | जून जुलाई                           |
| c          | सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि) | घरेलू स्तर पर प्रबन्धन- नहीं   |                          |                                     | कृषि स्तर पर प्रबन्धन- अतिरिक्त सिंचाई |                                     |
| d          | सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)                     | वृद्धि   | कमी                      | कोई परिवर्तन नहीं                   |  |                                     |
|            |  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |                                     |
| e          | अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2             | 1995 में सूखा पड़ा था जिसमें पूरा गाँव व 125 हे० कृषि भूमि प्रभावित हुई थी |                          |                                     |  |                                     |
| 31 बाढ़    |  |  |                          |                                     |  |                                     |
|            | बाढ़ की घटना- नहीं   | प्रथम वर्ष<br>(2022)   | द्वितीय वर्ष<br>(2021)   | तृतीय वर्ष<br>(2020)                | चतुर्थ वर्ष<br>(2019)                  | पंचम वर्ष<br>(2018)                 |
|            |  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/>            |
| b          | किस माह में बाढ़ देखा गया  |  |                          |                                     |  |                                     |
| c          | बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)            | घरेलू स्तर पर प्रबन्धन   |                          |                                     | कृषि स्तर पर प्रबन्धन                  |                                     |
| d          | बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)                     | वृद्धि   | कमी                      | कोई परिवर्तन नहीं                   |  |                                     |
|            |  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |                                     |
| e          | अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2             |  |                          |                                     |  |                                     |
| 32 भूस्खलन |  |  |                          |                                     |  |                                     |
| a          | भूस्खलन की घटना- नहीं  | प्रथम वर्ष<br>(2022)   | द्वितीय वर्ष<br>(2021)   | तृतीय वर्ष<br>(2020)                | चतुर्थ वर्ष<br>(2019)                  | पंचम वर्ष<br>(2018)                 |
|            |  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/>            |
| b          | किस माह में भूस्खलन देखी गई  |  |                          |                                     |  |                                     |
| c          | भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)         | घरेलू स्तर पर प्रबन्धन   |                          |                                     | कृषि स्तर पर प्रबन्धन                  |                                     |
| d          | भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)               | वृद्धि   | कमी                      | कोई परिवर्तन नहीं                   |  |                                     |
|            |  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |                                     |
| e          | अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी  |  |                          |                                     |  |                                     |





|           |  |   |   |   |   |   |
|-----------|--|---|---|---|---|---|
|           | प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2                                   |   |   |   |   |   |
| <b>33</b> | <b>ओलावृष्टि</b>   |   |   |   |   |   |
| <b>a</b>  | ओलावृष्टि की घटना- नहीं  | प्रथम वर्ष (2022)   | द्वितीय वर्ष (2021)   | तृतीय वर्ष (2020)   | चतुर्थ वर्ष (2019)  | पंचम वर्ष (2018)  |
|           |  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <b>b</b>  | किस माह में ओलावृष्टि हुई  |   |   |   |   |   |
| <b>c</b>  | ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)   | घरेलू स्तर पर प्रबन्धन  |   |   | कृषि स्तर पर प्रबन्धन   |   |
| <b>d</b>  | ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)       | वृद्धि  | कमी   | कोई परिवर्तन नहीं   |   |   |
|           |  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |   |   |
| <b>34</b> | <b>फसलों के कीट/बीमारी</b>   |   |   |   |   |   |
| <b>a</b>  | कीट/बीमारी की घटनाक्रम   | प्रथम वर्ष (2022)   | द्वितीय वर्ष (2021)   | तृतीय वर्ष (2020)   | चतुर्थ वर्ष (2019)  | पंचम वर्ष (2018)  |
|           |  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <b>b</b>  | किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?                                    | जुलाई से फरवरी  |   |   |   |   |
| <b>c</b>  | किस प्रकार के कीट/बीमारी को देखा गया?                                  | माहो, गंधी कीट, झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक, तना छेदक एवं विषाणुजनित रोग | माहो, गंधी कीट, झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक, तना छेदक एवं विषाणुजनित रोग | माहो, गंधी कीट, झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक, तना छेदक एवं विषाणुजनित रोग | माहो, गंधी कीट, झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक, तना छेदक एवं विषाणुजनित रोग | माहो, गंधी कीट, झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक, तना छेदक एवं विषाणुजनित रोग |
| <b>d</b>  | कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि) | किसान दुकानदार से पूछ कर कीटनाशक दवा खरीदते हैं व छिड़काव करते हैं।           |   |   |   |   |
| <b>e</b>  | कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में) | वृद्धि  | कमी   | कोई परिवर्तन नहीं   |   |   |
|           |  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |   |   |
|           | अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं   | NIL   |   |   |   |   |

|           |  |  |   |     |      |
|-----------|--|--|---|-----|------|
| <b>35</b> | <b>ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी</b> |  |   |     |      |
|           |  | ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध हैं? | क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है? |     |      |
|           | आपदा तैयारी के उपाय                    | हां  | नहीं                                      | हां | नहीं |





|  |                          |                                     |                          |                          |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| पूर्व चेतावनी प्रणाली / मौसमी चेतावनी प्रणाली / कृषि चेतावनी प्रणाली | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| आपातकाल अनाज बैंक  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| अन्य   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| <b>36</b> | <b>अनाज भण्डारण</b>  |     |
| <b>a</b>  | <b>ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?</b> |     |
|           | अनाज (विवरण दें)   | NIL |
|           | तेल  | NIL |
|           | चीनी   | NIL |
|           | अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें  | NIL |
| <b>b</b>  | क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?                                | NIL |

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| <b>37</b> | <b>ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत</b> |     |
|           | स्थानीय कृषि अधिकारी   | NIL |
|           | समाचार पत्र/समाचार/रेडियो  | √   |
|           | मोबाईल फोन/एप  | √   |
|           | मौखिक  | √   |
|           | कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र  | NIL |
|           | पशुपालन विभाग  | NIL |
|           | उद्यान विभाग   | NIL |
|           | अन्य   | NIL |





### कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)

| 38 फसल हानि |                     |  |                                  |   |  |  |
|-------------|---------------------|--|----------------------------------|---|--|--|
| a           | घटना का वर्ष        | हानि की ऋतु/मौसम<br>खरीफ (1)<br>रबी (2)<br>जायद/अन्य ऋतु (3) | फसल का नाम                       | हानि के कारण<br>रोग, चरम,<br>घटनाक्रम—<br>गर्मी, टण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि | अनुमानित हानि की मात्रा<br>(कुन्तल)      | परिणाम स्वरूप आय में हानि<br>(औसत रु०) |
|             | प्रथम वर्ष (2022)   | खरीफ (1)<br><br>रबी (2)                                      | धान<br><br>गेहूँ<br>तिलहन<br>आलू | रोग, बर्षा<br><br>शीतलहर  | 500 कु०<br>600 कु०<br>100 कु०<br>120 कु० | 750000<br>1140000<br>450000<br>120000  |
|             | द्वितीय वर्ष (2021) | खरीफ (1)<br><br>रबी (2)                                      | धान<br><br>गेहूँ<br>तिलहन<br>आलू | रोग, बर्षा<br><br>शीतलहर  | 300 कु०<br>500 कु०<br>100 कु०<br>120 कु० | 450000<br>950000<br>450000<br>120000   |
|             | तृतीय वर्ष (2020)   | खरीफ (1)<br><br>रबी (2)                                      | धान<br><br>गेहूँ<br>तिलहन        | रोग, बर्षा<br><br>शीतलहर  | 300 कु०<br>800 कु०<br>100 कु०            | 450000<br>1120000<br>450000            |
|             | चतुर्थ वर्ष (2019)  | खरीफ (1)<br><br>रबी (2)                                      | धान<br><br>गेहूँ<br>तिलहन        | रोग, बर्षा<br><br>शीतलहर  | 300 कु०<br>800 कु०<br>100 कु०            | 450000<br>1120000<br>450000            |
|             | पंचवां वर्ष (2018)  | खरीफ (1)<br><br>रबी (2)                                      |                                  |   |  |  |





|  |          |   |   |                          |  |  |  |
|--|----------|---|---|--------------------------|--|--|--|
|  |          |   |   |                          |  |  |  |
|  | <b>b</b> | क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?   | हां                                       | नहीं                     |  |  |  |
|  |          |   | <input type="checkbox"/> √                | <input type="checkbox"/> |  |  |  |
|  |          | अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी— बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि)<br><br>फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है? | फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता है।<br><br>NIL |                          |  |  |  |

| 39 फसल पद्धति में बदलाव |          |             |                       |   |                   |  |
|-------------------------|----------|-------------|-----------------------|---|-------------------|--|
|                         | <b>a</b> | सामान्य फसल | खरीफ                  | रबी   | जायद/अन्य ऋतु     |  |
|                         | <b>b</b> | फसल का नाम  | पारम्परिक बोआई का समय | विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है/देखा है | अभी बोआई का समय   | परिवर्तन के कारण   |
|                         |          | धान         | 15 जून से 15 जुलाई तक | जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई तक                           | 15 जुलाई के बाद   | देर से बारिश होना  |
|                         |          | गेहूँ       | अक्टूबर               | अक्टूबर से नवम्बर   | नवम्बर से दिसम्बर | देर से ठंड का पड़ना, अक्टूबर के अन्त तक बेसमय वर्षा होना |
|                         |          | सरसों       | अक्टूबर               | अक्टूबर का अंतिम सप्ताह                                   | नवम्बर            | देर से वर्षा होना  |
|                         |          |             |                       |   |                   |  |
|                         |          |             |                       |   |                   |  |
|                         |          |             |                       |   |                   |  |
|                         |          |             |                       |   |                   |  |





|   |  |   |
|---|--|---|
| c | अन्य सूचना/जानकारी (विलुप्त फसल/प्रजाति आदि उल्लेख करें) | देशी धान के बीज, जौ, मोटे अनाज की फसलें बिलुप्त हो गयी है। थोड़ा बहुत अगर किसान बोआई कर भी रहा है तो उसका रकबा कम है। |
|---|--|---|

| 40 सिंचाई प्रणाली/पद्धति में परिवर्तन |  |   |  |   |  |  |
|---------------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| a                                     | फसल का नाम   | वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें) | वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़) | पूर्व में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें) | पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़) |  |
|                                       | धान  | (4)<br>(6) निजी बोरिंग  | 3000   | (4)<br>(6) निजी बोरिंग  | 1800   |  |
|                                       | गेहूँ  | (4)<br>(6) निजी बोरिंग  | 2000   | (4)<br>(6) निजी बोरिंग  | 1200   |  |
|                                       |  |   |  |   |  |  |
| b                                     | ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या  | डीजल आधारित   | विद्युत आधारित                                       | सौर पम्प  | पारम्परिक सिंचाई विधियां                           |  |
|                                       |  | 70  | 03   | NIL   | वर्षा आधारित                                       |  |
| c                                     | अन्य सूचनाएं/जानकारी अगर कोई है  | NIL   |  |   |  |  |
| 41 पशु पालन/पशुधन                     |  |   |  |   |  |  |
| a                                     | ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी :<br>डेयरी (1)<br>मुर्गी पालन (2)<br>मत्स्य पालन (3)<br>सूअर पालन (4)<br>मधुमक्खी पालन (5)<br>अन्य- स्पष्ट करें (6)- बकरी पालन | डेयरी (1)<br><br>बकरी पालन (6)  |  |   |  |  |



|   |                         |   |   |   |                         |   |
|---|-------------------------|---|---|---|-------------------------|---|
| b | डेयरी पर प्रभाव         | पशु हानि<br>गाय (1)<br>भैंस (2)<br>अन्य (3) बकरी, भेंड़ | पशु हानि की<br>संख्या<br>(प्रत्येक पशु को<br>उल्लेख करें)     | हानि के कारण<br>(रोग, आयु,<br>दुर्घटना आदि) | हानि का<br>मौसम         | उत्पादकता में कोई<br>परिवर्तन देखा<br>गया? वृद्धि (1)<br>कमी (2)<br>परिवर्तन नहीं (3)       |
|   | प्रथम वर्ष (2022)       | (1)(3)  | गाय 5<br>बकरी 15  | शीतलहर, रोग                                 | सर्दी                   | (2)   |
|   | द्वितीय वर्ष (2021)     | (1)(3)  | बकरी 20<br>भेंड़ 10   | शीतलहर, रोग                                 | सर्दी                   | (2)   |
|   | तृतीय वर्ष (2020)       | (1)(3)  | बकरी 15<br>गाय 3  | शीतलहर, रोग                                 | सर्दी                   | (2)   |
|   | चतुर्थ वर्ष (2019)      | (1)(3)  | गाय 5<br>बकरी 15  | शीतलहर, रोग                                 | सर्दी                   | (2)   |
|   | पंचम वर्ष (2018))       | (3)   | बकरी 10   | शीतलहर, रोग                                 | सर्दी                   | (2)   |
|   | अन्य<br>जानकारी/सूचनाएं | NIL   |   |   |                         |   |
| c | मुर्गी पालन पर प्रभाव   | पक्षी हानि<br>मुर्गी (1)<br>बत्तख (2)<br>अन्य (3)       | पक्षी हानि की<br>संख्या<br>(प्रत्येक पक्षी का<br>उल्लेख करें) | हानि के कारण                                | हानि के<br>मौसम/<br>ऋतु | उत्पादकता में कोई<br>परिवर्तन पाया गया<br>है?<br>वृद्धि (1)<br>कमी (2)<br>परिवर्तन नहीं (3) |
|   | प्रथम वर्ष (2022)       | NIL   |   |   |                         |   |
|   | द्वितीय वर्ष (2021)     | NIL   |   |   |                         |   |
|   | तृतीय वर्ष (2020)       | NIL   |   |   |                         |   |
|   | चतुर्थ वर्ष (2019)      | NIL   |   |   |                         |   |
|   | पंचम वर्ष (2018))       | NIL   |   |   |                         |   |
|   | अन्य<br>जानकारी/सूचनाएं | NIL   |   |   |                         |   |
| d | अन्य पशुओं पर प्रभाव    | पशु हानि<br>(कृपया निर्दिष्ट करें<br>कि कौन से हैं)     | पशु हानि की<br>संख्या (प्रत्येक<br>पशु का उल्लेख<br>करें)     | हानि के कारण                                | हानि की<br>ऋतु          | उत्पादकता में कोई<br>परिवर्तन पाया गया<br>है?<br>वृद्धि (1)<br>कमी (2)<br>परिवर्तन नहीं (3) |
|   | प्रथम वर्ष (2022)       | NIL   |   |   |                         |   |



|  |                          |     |  |  |  |  |
|--|--------------------------|-----|--|--|--|--|
|  | द्वितीय वर्ष (2021)      | NIL |  |  |  |  |
|  | तृतीय वर्ष (2020)        | NIL |  |  |  |  |
|  | चतुर्थ वर्ष (2019)       | NIL |  |  |  |  |
|  | पंचम वर्ष (2018)         | NIL |  |  |  |  |
|  | अन्य<br>जानकारी / सूचनाए | NIL |  |  |  |  |





## V. कृषि व पशुपालन

| 42 a   |              | प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी |  |   |   |  |  |  |                              |   |  |
|--|--------------|---|--|---|---|--|--|--|------------------------------|---|--|
| फसल<br>(अनाज,<br>तिलहन,<br>दलहन,<br>उद्यान<br>एवं फूल<br>आदि ) | ऋतु/<br>मौसम | उपज<br>(कु0)  | उर्वरक उपयोग                                 |   |   | कीटनाशक उपयोग                              |  |  | खरपतवारनाशी                  |   |  |
|  |              |   | उर्वरक के<br>प्रकार                          | औसत<br>प्रयुक्त<br>मात्रा<br>(किग्रा0/<br>एकड़) | क्या विगत<br>पांच वर्षों में<br>उपयोग किये<br>गये उर्वरकों<br>की मात्रा में<br>वृद्धि (1)<br>कमी (2)<br>परिवर्तन नहीं<br>है (3) | कीटनाशकों<br>के प्रकार                     | औसत<br>प्रयुक्त<br>मात्रा<br>(किग्रा/<br>एकड़) | क्या विगत पांच<br>वर्षों में उपयोग<br>किये गये<br>कीटनाशकों की<br>मात्रा में<br>वृद्धि (1)<br>कमी (2)<br>परिवर्तन नहीं है<br>(3) | खरपतवार<br>नाशी के<br>प्रकार | औसत प्रयुक्त<br>मात्रा<br>(किग्रा/एकड़) | क्या विगत पांच<br>वर्षों में उपयोग<br>किये गये<br>खरपतवार की<br>मात्रा में<br>वृद्धि (1)<br>कमी (2)<br>परिवर्तन नहीं है<br>(3) |
| धान  | गर्मी        | 3700  | यूरिया,<br>डाई,<br>जिन्क,<br>सल्फर           | 150 कि0<br>50 कि0<br>1 कि0                      | (1)   | प्युराडान,<br>इंडोफिल,<br>एम 45            | 200g<br>200ml                                  | (1)  | मीरा 71                      | 200 ग्राम/एकड़                          | (1)  |
| गेहूँ  | सर्दी        | 3500  | डाई,<br>यूरिया,<br>सुपर<br>फास्फेट,<br>जिन्क | 50 कि0<br>100 कि0<br>10 कि0                     | (1)   | प्युराडान,<br>इंडोफिल,<br>एम 45            | 200g<br>200ml                                  | (1)  | मीरा 71                      | 200 ग्राम/एकड़                          | (1)  |
| सरसों  | सर्दी        | 300   | यूरिया,<br>डाई,<br>पोटाश                     | 25 कि0<br>40 कि0<br>5 कि0                       | (1)   | इमिडा<br>क्लोरोपिट,<br>रोगार,<br>प्युराडान | 1 ml/lt  | (1)  | मीरा 71                      | 200 ग्राम/एकड़                          | (1)  |
| आलू  | सर्दी        | 800   | यूरिया,<br>डाई,<br>पोटाश                     | 50 कि0<br>100 कि0<br>5 कि0                      | (1)   | इमिडा<br>क्लोरोपिट,<br>रोगार,              | 1 ml/lt  | (1)  | मीरा 71                      | 200 ग्राम/एकड़                          | (1)  |





#### 43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां

| फसल | क्षेत्रफल | प्रति फसल आय<br>(₹0 / कुन्तल) | बिक्री हेतु बाजार | तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित / सत्यापित |
|-----|-----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|     | NIL       | NIL                           | NIL               | NIL                                   |
|     |           |                               |                   |                                       |
|     |           |                               |                   |                                       |
|     |           |                               |                   |                                       |
|     |           |                               |                   |                                       |
|     |           |                               |                   |                                       |

#### 44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)

| फसल | स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मलिन्या, फसल चक्र, अर्न्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसले, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि ) | क्षेत्रफल (एकड़) | प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया) |
|-----|--|------------------|------------------------------|
| NIL | NIL  | NIL              | NIL                          |
|     |  |                  |                              |
|     |  |                  |                              |
|     |  |                  |                              |
|     |  |                  |                              |





45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां

| पौध रोपण गतिविधियों के प्रकार | आच्छादित क्षेत्रफल | स्थान | योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6)– उल्लेख करें | मोनोक्लचर (1), मिश्रित प्रजाति (2) | रोपित प्रजाति यां | आरम्भ दिनांक | सफलता (प्रतिशत) | कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच/ अवसर | पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3) | परिवर्तन के कारण- लाभ में वृद्धि (1), लाभ में कमी (2), प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5)– उल्लेख करें |
|-------------------------------|--------------------|-------|---|------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|---|---|--|
| NIL                           | NIL                | NIL   | NIL   | NIL                                | NIL               | NIL          | NIL             | NIL   | NIL   | NIL  |
|                               |                    |       |   |                                    |                   |              |                 |   |   |  |
|                               |                    |       |   |                                    |                   |              |                 |   |   |  |
|                               |                    |       |   |                                    |                   |              |                 |   |   |  |
|                               |                    |       |   |                                    |                   |              |                 |   |   |  |
|                               |                    |       |   |                                    |                   |              |                 |   |   |  |
|                               |                    |       |   |                                    |                   |              |                 |   |   |  |
|                               |                    |       |   |                                    |                   |              |                 |   |   |  |
|                               |                    |       |   |                                    |                   |              |                 |   |   |  |



| 46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक |                                    |   |  |
|---|------------------------------------|---|--|
| पशुधन के प्रकार                           | ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग) | अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि) | प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन (प्रतिमाह) (रु०) |
| गाय (देशी नस्ल)                           | 140                                | सुखा चारा, पौष्टिक पशु आहार, खुले चराई  | 5500   |
| गाय (संकर नस्ल)                           | NIL                                |   | NIL  |
| भैंस (देशी नस्ल)                          | 65                                 | सुखा चारा, पौष्टिक पशु आहार, खुले चराई  | 12000  |
| भैंस (संकर नस्ल)                          | NIL                                |   | NIL  |
| बकरी                                      | 80                                 | खुले चराई   | 4000 (प्रति 6 माह)                               |
| सुअर                                      | NIL                                |   | NIL  |
| मुर्गी                                    | NIL                                |   | NIL  |
| मत्स्य                                    | NIL                                |   | NIL  |
| अन्य भेड                                  | 250                                | खुले चराई   | 5000 (प्रति 6 माह)                               |

## VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

| 47 जल की गुणवत्ता (पियजल या नल जल से आपूर्ति परिवार) |  |                                     |                          |                                     |                                     |                          |                                   |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| a  | आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?         | उपयुक्त                             | अनुपयुक्त                |                                     |                                     |                          |                                   |
|  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |                                     |                          |                                   |
| b  | जल का स्वाद कैसा लगता है?                                | तीक्ष्ण                             | नमकीन                    | सामान्य                             |                                     |                          |                                   |
|  |  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                          |                                   |
| c  | आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है? | नमकीन                               | गन्दा                    | मटमैला                              | बालू/कीचड़                          | गन्ध                     |                                   |
|  |  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | कुछ नलों का मटमैला व बालूयुक्त है |
| d  | जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग            | उबालकर                              | जल शोधक                  | आयोडीन/फिटकरी मिलाकर                | सौर शुद्धीकरण                       | क्ले वेसल फिल्ट्रेशन     | अन्य, (कृपया उल्लेख करें)         |





|  |           |                            |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|-----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | करते हैं? |                            |                          |                          |                          |                          |                          |
|  |           | <input type="checkbox"/> √ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| 48 तोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन |  |                                     |                                    |  |         |                            |                      |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|---------|----------------------------|----------------------|
| a                                       | अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा   | सब्जी का छिलका, घर की सफाई का कूड़ा |                                    |  |         |                            |                      |
| b                                       | आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?  | व्यवस्था नहीं है।                   |                                    |  |         |                            |                      |
| c                                       | कचरा संग्रह कितनी बार होता है?   | <input type="checkbox"/> √प्रतिदिन  | <input type="checkbox"/> साप्ताहिक | <input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन          |         |                            |                      |
|   |  | हां                                 | नहीं                               |  |         |                            |                      |
| d                                       | क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> √         | ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति |         |                            |                      |
| e                                       | क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> √         |  |         |                            |                      |
| f                                       | क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> √         |  |         |                            |                      |
| g                                       | आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?  | पुनःचक्रमण                          | कम्पोटिंग                          | वर्मी कम्पोस्ट                                 | अपशिष्ट | जलाना                      | अन्य (उल्लेखित करें) |
|   |  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                       |         | √ <input type="checkbox"/> |                      |

| 49 खुले में शौच मुक्त स्थिति |   |  |                                 |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|
| a                            | क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?                                     | <input type="checkbox"/> हां                         | <input type="checkbox"/> √ नहीं |
| b                            | स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या   | <input type="checkbox"/>                             | <input type="checkbox"/>        |
| c                            | सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या   | √ <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>        |
| d                            | क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?  | नहीं   |                                 |
| e                            | अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का | साफ-सफाई का अभाव, शौचालय निर्माण भी ठीक नहीं हुआ है। |                                 |





| 46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक |                                    |   |  |  |
|---|------------------------------------|---|--|--|
| पशुधन के प्रकार                           | ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग) | अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि) | प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन (प्रतिमाह) (रु०) |  |
| गाय (देशी नस्ल)                           | 140                                | सुखा चारा, पौष्टिक पशु आहार, खुले चराई  | 5500   |  |
| गाय (संकर नस्ल)                           | NIL                                |   | NIL  |  |
| भैंस (देशी नस्ल)                          | 65                                 | सुखा चारा, पौष्टिक पशु आहार, खुले चराई  | 12000  |  |
| भैंस (संकर नस्ल)                          | NIL                                |   | NIL  |  |
| बकरी                                      | 80                                 | खुले चराई   | 4000 (प्रति 6 माह)                               |  |
| सुअर                                      | NIL                                |   | NIL  |  |
| मुर्गी                                    | NIL                                |   | NIL  |  |
| मत्स्य                                    | NIL                                |   | NIL  |  |
| अन्य भेड                                  | 250                                | खुले चराई   | 5000 (प्रति 6 माह)                               |  |

#### VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

| 47 जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार) |   |                                     |                          |                                     |                                     |                          |                                   |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| a  | आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?          | उपयुक्त                             | अनुपयुक्त                |                                     |                                     |                          |                                   |
|  |   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |                                     |                          |                                   |
| b  | जल का स्वाद कैसा लगता है?                                 | तीक्ष्ण                             | नमकीन                    | सामान्य                             |                                     |                          |                                   |
|  |   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                          |                                   |
| c  | आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या हैं? | नमकीन                               | गन्दा                    | मटमैला                              | बालू/कीचड़                          | गन्ध                     |                                   |
|  |   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | कुछ नलों का मटमैला व बालूयुक्त है |
| d  | जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग             | उबालकर                              | जल शोधक                  | आयोडीन/फिटकरी मिलाकर                | सौर शुद्धीकरण                       | क्ले वेसल फिल्ट्रेशन     | अन्य, (कृपया उल्लेख करें)         |





|  |           |                            |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|-----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | करते हैं? |                            |                          |                          |                          |                          |                          |
|  |           | <input type="checkbox"/> √ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| 48 तोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन |  |                                     |                                    |  |         |                            |                      |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|---------|----------------------------|----------------------|
| a                                       | अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा   | सब्जी का छिलका, घर की सफाई का कूड़ा |                                    |  |         |                            |                      |
| b                                       | आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?  | व्यवस्था नहीं है।                   |                                    |  |         |                            |                      |
| c                                       | कचरा संग्रह कितनी बार होता है?   | <input type="checkbox"/> √प्रतिदिन  | <input type="checkbox"/> साप्ताहिक | <input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन          |         |                            |                      |
|   |  | हां                                 | नहीं                               |  |         |                            |                      |
| d                                       | क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> √         | ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति |         |                            |                      |
| e                                       | क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> √         |  |         |                            |                      |
| f                                       | क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> √         |  |         |                            |                      |
| g                                       | आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?  | पुनःचक्रमण                          | कम्पोटिंग                          | वर्मी कम्पोस्ट                                 | अपशिष्ट | जलाना                      | अन्य (उल्लेखित करें) |
|   |  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                       |         | √ <input type="checkbox"/> |                      |

| 49 खुले में शौच मुक्त स्थिति |   |  |                                 |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|
| a                            | क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?                                     | <input type="checkbox"/> हां                         | <input type="checkbox"/> √ नहीं |
| b                            | स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या   | <input type="checkbox"/>                             | <input type="checkbox"/>        |
| c                            | सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या   | √ <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>        |
| d                            | क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?  | नहीं   |                                 |
| e                            | अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का | साफ-सफाई का अभाव, शौचालय निर्माण भी ठीक नहीं हुआ है। |                                 |





|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
|  | अभाव, बहुत दूर आदि) |  |
|--|---------------------|--|

| 50 | अपशिष्ट जल  | घरेलू                               | व्यवसायिक                | औद्योगिक                 | कृषि गतिविधियां          | गंदा नाला                |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a  | अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b  | उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)         | 60 ली0/घर                           |                          |                          |                          |                          |
| c  | गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-            | नहीं                                |                          |                          |                          |                          |
| d  | अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो- | नहीं                                |                          |                          |                          |                          |

| 51 | स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा    |                                     |                                     |  |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|    | स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता | हां                                 | नहीं                                | उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)                |
| a  | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| b  | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| c  | उपस्वास्थ्य केन्द्र           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| d  | आंगनवाड़ी                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | प्राथमिक विद्यालय के भवन में केन्द्र संचालित है। |
| e  | आशा                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| f  | स्वास्थ्य कैम्प/मेला          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| g  | डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |

| 52 | रोग/बीमारी   |                                   |                           |                              |                                    |   |                          |                          |                             |
|----|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|    | विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं? | प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या | प्रभावित आयु समूह         |                              |                                    | सामान्य उपचार का विकल्प                         |                          |                          |                             |
|    |  |                                   | प्रभावित बच्चों की संख्या | प्रभावित व्यवस्कों की संख्या | प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या | स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें) | घरेलू देखभाल             | घर-घर जाने वाला          | अन्य (उल्लेख करें)          |
| a  | वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)            | 52                                | 22                        | 20                           | 10                                 | नहीं  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | अस्पताल एवं छोला छाप डाक्टर |





|   |  |    |    |    |      |                  |                          |                          |                             |
|---|--|----|----|----|------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| b | जल-जनित रोग<br>(हैजा / डायरिया / टाईफाईड / हैपेटाइटिस आदि)           | 63 | 30 | 13 | 20   | नहीं             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | अस्पताल एवं छोला छाप डाक्टर |
| c | श्वस सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं<br>(इनडोर एण्ड आउटडोर) | 30 | 5  | 5  | 20   | नहीं             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | अस्पताल एवं छोला छाप डाक्टर |
| d | कुपोषण   | 10 | 3  | 7  | नहीं | आशा एवं ए०एन०एम० | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | अस्पताल एवं छोला छाप डाक्टर |

## VII. उर्जा

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 53 |  |     |
| a  | आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं              | 370 |
| b  | ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या |     |
|    | ए०सी०  | 03  |
|    | एयर कुलर   | 25  |
|    | रेफ्रिजरेटर/फ्रीज  | 45  |

|    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| 54 | विद्युत कटौती की आवृत्ति                                       |                            |
| a  | दिन में कुछ बार  | <input type="checkbox"/> √ |
|    | दिन में एक बार   | <input type="checkbox"/>   |
|    | विद्युत कटौती नहीं   | <input type="checkbox"/>   |
| b  | प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?                              | 7 से 8 घण्टा               |
|    | यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है? | NIL                        |







| 55 | वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है? |                                     |
|----|--|-------------------------------------|
|    | दिन में कुछ बार                                  | <input type="checkbox"/>            |
|    | दिन में एक बार                                   | <input type="checkbox"/>            |
|    | अस्थिरता/उतार-चढ़ाव नहीं                         | <input checked="" type="checkbox"/> |

| 56 | पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग | संख्या |
|----|---|--------|
|    | डीजल चलित जेनरेटर                               | 03     |
|    | सौर उर्जा                                       | NIL    |
|    | इमरजेंसी लाईट                                   | 145    |
|    | इन्टवर्टर्स                                     | 55     |
|    | अन्य साधन (उल्लेख करें)                         | NIL    |

| 57 | नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा के स्रोत   |                                |                              |
|----|---|--------------------------------|------------------------------|
| a  | क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?   | इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या | कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) |
|    | घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना   | NIL                            |                              |
|    | विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना   | NIL                            |                              |
|    | चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना   | NIL                            |                              |
|    | ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना   | NIL                            |                              |
|    | अन्य सौर उर्जा स्थापना  | NIL                            |                              |
|    | सौर स्ट्रीट लाईट  | NIL                            |                              |
|    | बायोगैस   | NIL                            |                              |
|    | विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड   | NIL                            |                              |
| b  | क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें) | NIL                            |                              |

| 58 | भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन      | परिवारों की संख्या | प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना) |
|----|------------------------------------|--------------------|---|
|    | पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी) | 155                | 1 से 1.5 कु0                                    |
|    | बायोगैस                            | NIL                |   |





|    |   |  |                                |  |
|----|---|--|--------------------------------|--|
|    | एलपीजी गैस                              |  | 275                            | औसत 14 किलो0                             |
|    | विद्युत                                 |  | NIL                            |  |
|    | सौर उर्जा                               |  | NIL                            |  |
|    | अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि) |  | NIL                            |  |
| 59 | <b>वाहन की संख्या</b>                   |  |                                |  |
|    | <b>वाहन के प्रकार</b>                   | <b>ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)</b> | <b>प्रयुक्त ईंधन के प्रकार</b> | <b>तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)</b> |
| a  | जीप                                     | NIL  |                                |  |
| b  | कार                                     | 06   | डीजल 4, पेट्रोल 2              | 50-60 किमी0                              |
| c  | दो पहिया वाहन                           | 200  | पेट्रोल                        | 30-50 किमी0                              |
| d  | विद्युत चालित वाहन                      | NIL  |                                |  |
| e  | आटो                                     | 02   | पेट्रोल                        | 50-100 किमी0                             |
| f  | ई-रिक्शा                                | NIL  |                                |  |
| g  | अन्य (साइकिल)                           | 350  | -                              | 10-15 किमी0                              |

|    |                          |   |                                |  |
|----|--------------------------|---|--------------------------------|--|
| 60 | <b>कृषि यंत्र</b>        | <b>ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या</b> | <b>प्रयुक्त ईंधन के प्रकार</b> | <b>तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)</b> |
| a  | टैक्टर                   | 04  | डीजल                           | 50-70 किमी0<br>खेती कार्य व माल ढुलाई    |
| b  | कम्बाईन हारवेस्टर        | -   | -                              | -  |
| c  | अन्य (कृपया उल्लेख करें) | थ्रेसर, तावा, रोटावेटर, लेबलर                         | -                              | -  |

|    |   |                    |                                     |   |            |     |     |               |     |          |
|----|---|--------------------|-------------------------------------|---|------------|-----|-----|---------------|-----|----------|
| 61 | <b>ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)</b> |                    |                                     |   |            |     |     |               |     |          |
|    | ईंधन के प्रकार  | प्रतिदिन की बिक्री | पम्प से आपूर्ति वाले गांव की संख्या | कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें) |            |     |     |               |     |          |
|    |   |                    |                                     | टैक्टर  | कृषि यंत्र | जीप | कार | दो पहिया वाहन | आटो | ई-रिक्शा |





|   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| a | NIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | NIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 62 औद्योगिक इकाई |                  |        |   |  |
|------------------|------------------|--------|---|--|
|                  | उद्योग के प्रकार | संख्या | उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3) | उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन) |
|                  | NIL              |        |   |  |
|                  |                  |        |   |  |
|                  |                  |        |   |  |
|                  |                  |        |   |  |



## अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट



ग्राम पंचायत – आहोपुर  
विकासखण्ड – बदलापुर  
जनपद – जौनपुर

क्लाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना

2023-2024

## खतरा जोखिम नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण—

### जलवायु परिवर्तनशीलता— प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां/झटके एवं तनाव—

ग्राम पंचायत आहोपुर में भी सभी मौसम जाड़ा, सर्दी, गर्मी, बरसात का प्रभाव रहता है, समुदाय के साथ बातचीत करने पर ज्ञात हुआ कि 20–25 साल पहले बरसात जून माह से शुरू होकर अगस्त तक कुछ दिन के अन्तर पर हमेशा पानी बरसता रहता था, किन्तु विगत 4–5 वर्षों से बारिश जुलाई में एक या दो दिन ही हो रही है। फिर कई दिनों के बाद पानी बरसता है जिससे सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। सर्दी भी 15 नवम्बर से शुरू होकर फरवरी के अन्त एवं 15 मार्च तक पड़ती थी, किन्तु अब सर्दी देर से शुरू हो रही है दिसम्बर माह में सर्दी शुरू हो रही है और लोगों का कहना था कि 20 से 25 दिन ही सर्दी पड़ रही है जो कि जनवरी माह में समाप्त हो जा रही है। उसी तरह गर्मी पहले अप्रैल से शुरू होकर 15 जून तक गर्मी पड़ती थी किन्तु अब गर्मी मार्च से ही शुरू हो जा रही है।

समुदाय के लोगों के साथ आपदा, खतरा, जोखिम से सम्बन्धित सूचनाएँ पी0आर0ए0 के विभिन्न विधियों का उपयोग करते हुए प्राप्त सूचनाओं का संकलन किया गया जो कि निम्न है।

### गाँव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान करना एवं इनका प्राथमिकीकरण करना—

समुदाय के दैनिक दिनचर्या, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, साफ सफाई आपदाओं के कारण प्रभावित तो होते ही है। चर्चा के आधार पर आपदाओं की सूची तैयार की गयी, जिसमें सम्मिलित आपदाओं से उत्पन्न समस्या एवं प्रभाव को देखते हुए उनकी प्राथमिकता तय की गयी जिसमें सूखा महत्वपूर्ण है। परिणामस्वरूप खेती, आजीविका, पेयजल एवं स्वास्थ्य आदि में जोखिम की सम्भावना बढ़ती है।

### आपदा का इतिहास एवं क्षति—

गाँव में अलग-अलग समुदाय के साथ आपदाओं के बारे में विस्तृत चर्चा के उपरान्त आपदा का प्रभाव समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ा है जिनकी क्षति को लोग याद करते हैं। ग्राम पंचायत में वर्ष 1995 में सूखा की बड़ी घटना हुई थी जिसमें लगभग 125 हेक्टेयर की खेती प्रभावित हुई थी। उसके बाद से पिछले 2013 से लेकर 2015 तक सूखा ने लगभग पूरे गाँव को प्रभावित किया। 2018, 2019 एवं 2021 में तेज आंधी-तूफान की घटना हुई जिसमें धन जन का भारी नुकसान हुआ।

विस्तृत विवरण देखें संलग्नक 4

**आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर निम्न आपदाएँ ग्राम पंचायत आहोपुर को प्रभावित करते हैं—**

| आपदा का प्रभाव | जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर |
|----------------|-------|-------|-------|--------|----|-----|-------|-------|---------|---------|--------|---------|
| सूखा           |       |       |       |        |    | ←→  |       |       |         |         |        |         |
| जल जमाव        |       |       |       |        |    |     | ←→    |       |         |         |        |         |
| शीतलहर         | ←→    |       |       |        |    |     |       |       |         |         |        |         |
| लू             |       |       |       | ←→     |    |     |       |       |         |         |        |         |
| आधी तुफान      |       |       |       |        | ←→ |     |       |       |         |         |        |         |

आपदा का मौसमी विश्लेषण करने के दौरान समुदाय से हुई चर्चा में लोगों का कहना है कि वर्षा विहिन दिनों की संख्या में वृद्धि तथा गर्मी (तापमान) बढ़ने से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मई-जून के महीने में अत्यधिक गर्मी का पड़ना सामान्यतः मानसून के दिनों में वर्षा का न होना, कम होना, आदि घटनाएं विगत कई वर्षों से हो रही हैं। जिसका प्रभाव सिंचाई, पेयजल, अनाज उत्पादन, पशुओं हेतु चारे आदि पर हो रहा है। अर्थात् समुदाय को अधिक समस्या झेलना पड़ रहा है। समुदाय का कहना है कि रबी फसल में विगत वर्षों से गेहूँ में जब दाने लगने का समय होता है, उसी समय तापमान में वृद्धि होने से कम पैदावार की सम्भावना बनी रहती है। शीतलहर से अधिकांश परिवार जो बकरी पालते हैं उनमें नाना प्रकार की विमारी होती है तथा बकरियों का नुकसान होता है।

**(2) जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं ऑकलन—**

उपरोक्त आपदाओं के अनुसार होने वाले नुकसान, जोखिम, समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव के विस्तृत जानकारी प्राप्त किया गया। समुदाय के सभी वर्ग, महिला, पुरुष, दलित एवं वंचित समुदाय के सक्रिय भागीदारी से सूचना प्राप्त हुआ। आपदाओं का ग्राम पंचायत आहोपुर के पर्यावरण, बुनियादी एवं आधारभूत संरचना के साथ ही मानव जीवन, आजीविका एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। सूखा, जल जमाव, शीतलहर एवं लू आदि आपदाओं का आहोपुर के संदर्भ में विभिन्न प्रकार से जोखिम की सम्भावना बनती है। जिससे गाँव वालों को प्रतिवर्ष नुकसान होता है। जो निम्न है—



## खतरा एवं जोखिम, विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएँ—

| क्र० सं० | आसन्न आपदा/ खतरे | सम्भावित जोखिम का क्षेत्र | जोखिम  | प्रभावित क्षेत्र                     |           |  |
|----------|------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|
|          |                  |                           |  | आबादी                                | घर        | संसाधन   |
| 1        | सूखा             | पेयजल                     | जलस्तर का नीचे जाना।<br>पेयजल की कमी                                   | पूरा गाँव                            | 268       | 130, निजी नल, का जल स्तर नीचे चला जाता है                |
|          |                  | कृषि/सब्जी उत्पादन        | सिंचाई लागत अधिक   | पूरा गाँव                            | 268       | 100एकड़, खरीफ की खेती, 20 एकड़ सब्जी की खेती, पेड़, पौधा |
|          |                  | पशुपालन                   | चारा संकट, तापमान बढ़ने से विमारी का बढ़ना, दूध उत्पादन में कमी        | गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़             | 150 घर    | चारा गाह   |
| 2        | जल जमाव          | पेयजल                     | पेयजल का दूषित होना, जल जनित विमारी का प्रकोप                          | दलित बस्ती                           | 75 घर     | 130 निजी नलों एवं 8 इंडिया मार्का का जल दूषित होना       |
|          |                  | स्वास्थ्य                 | जल जनित विमारियों का बढ़ना, (टाईफाइड, डायरिया, दस्त, बुखार, पिलिया)    | पूरा गाँव                            | 370 घर    | 155 प्रभावित (115बच्चे, 25महिला, 15पुरुष)                |
|          |                  | स्वच्छता                  | सूखा कचरा व अपशिष्ट का फैलना, पशु के गोबर को सड़क किनारे खुले में रखना | पूरा गाँव                            | 370घर     | सड़क खड़न्जा   |
|          |                  | शिक्षा                    | आवागमन बाधित होने से विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम होना           | पाल बस्ती, मौर्या बस्ती, निषाद बस्ती | 105 घर    | सड़क   |
|          |                  | सामाजिक सुरक्षा           | वृद्ध, बच्चों, विकलांग महिलाओं का गिरना                                | पाल बस्ती, मौर्या बस्ती, दलित बस्ती  | 125 घर    | कच्चा रास्ता उबड़ खाबड़ रास्ता                           |
|          |                  | पशुपालन                   | दूध का उत्पादन कम होना, विमारी आदि का प्रकोप                           | 75 घर                                | 75 घर     | गाय, भैंस, बकरी, भेड़                                    |
|          |                  | कृषि                      | खरीफ की फसल का नुकसान विमारी कीट का प्रकोप                             | 270 घर                               | 270 घर    | 120एकड़  |
|          |                  | सब्जी उत्पादन             | सब्जी का फसल का खराब हो जाना   | कोईरी बस्ती                          | 60 घर     | 20 एकड़  |
|          |                  | आजीविका                   | स्थानीय स्तर पर मजदूरी न मिलना   | 596 जाब कार्ड                        | 403 मजदूर |  |
|          |                  | जल निकाय                  | तालाब में गंदा पानी का भरना  | पूरा गाँव                            |           | 4.5 एकड़ जल निकाय में गंदा पानी भरना                     |



|   |        |              |  |           |                    |   |
|---|--------|--------------|--|-----------|--------------------|---|
|   |        | खुला क्षेत्र | खुले में पेड़ की पत्ती खरपतवार, कृषि फसल अवशेष एवं घास पात की अधिकता, कीट-पतंगों का प्रकोप | पूरा गाँव |                    | खरपतवार घास पात की अधिकता               |
| 3 | शीतलहर | स्वास्थ्य    | मानव, विशेषकर बच्चों का ठंड लगना, ठंड आधारित विमारी का प्रकोप                              | पूरा गाँव | बुजुर्ग एवं बच्चें | मानव स्वास्थ्य की हानि                  |
|   |        | कृषि         | फसलों का नुकसान  | पूरा गाँव | 370घर              | खेत                                     |
|   |        | पशुपालन      | पशुओं को ठंड लगना  | पूरा गाँव | 75 घर              | 25-30बकरी की मृत्यु                     |
| 4 | लू     | स्वास्थ्य    | मानव एवं पशुओं का स्वास्थ्य खराब होना व लू लगना। टीकाकरण (बच्चों व महिला में बाधा)         | पूरा गाँव | 370 घर             | स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होना। पेयजल संकट |

### आजीविका के साधनों पर आपदा का प्रभाव—

ग्राम पंचायत आहोपुर के आजीविका के मुख्य साधन कृषि, कृषिगत मजदूरी एवं पशुपालन है। आजीविका के साधन आपदा से सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। फलतः लोगों का आजीविका हेतु पलायन होता है। अतः सम्बन्धित सूचनाएँ संकलित कर संलग्न की गयी है।

विस्तृत विवरण देखें संलग्न सं0 5

### 3— नाजुकता विश्लेषण—

#### 1— सूखा—

समुदाय के साथ बातचीत से यह निकलकर आया कि सूखा गाँव की सबसे बड़ी आपदा है, लोगों का कहना है कि बरसात अब अनियमित और असमय होती है। विगत कई वर्षों से जून में वारिश होती नहीं, जुलाई माह में एक या दो दिन में ही अधिक वर्षा हो जाती है फिर कई दिनों तक वर्षा नहीं होती है। इससे सूखा जैसी स्थिति बनती है। निम्नवत् स्थितियां सूखे की समस्या में वृद्धि करने में सहायक है—

- ❖ खेतों में मेड बन्दी जैसी गतिविधियों का अभाव है।
- ❖ गाँव में कुल 15 कुएँ हैं इनमें से सिर्फ 5 प्रयोग में हैं इसके अतिरिक्त 10 कुएँ में पानी के साथ पालीथीन गंदगी, खरपतवार, मिट्टी भरा हुआ है। जिसमें से 2 कुएँ टूटकर धँस गये हैं।
- ❖ खेतों में केवल रसायनिक व कीटनाशक दवा (फ्यूराडान, इंडोफिल एम0 45 इमिडा क्लोरोपिट, रोगार का प्रयोग किया जाता है।

- ❖ गाँव में बाग बगीचा तो कम है गाँव के तालाब एवं नदी के किनारे वबुल के पेड़ काफी मात्रा में है जो झाड़ी जैसा दिखते हैं। फलदार वृक्ष में आम, कटहल, जामुन के पेड़ हैं।  
वृक्षारोपण सड़क के किनारे एवं खेतों के मेड़ पर नहीं के बराबर है।

### सूखा का समुदाय पर प्रभाव—

- ❖ गर्मी के दिनों में 130 निजी हैन्डपंप का जल स्तर निचे चला जाता है जिससे पेयजल की दिक्कत होती है।
- ❖ सूखा के प्रभाव से खरीफ की फसल में सिंचाई की लागत बढ़ जाती है। विगत कई वर्षों से धान की फसल का 25 से 30 प्रतिशत उत्पादन कम हुआ है एवं 100एकड़ धान की खेती व 20 एकड़ सब्जी की खेती की उपज सुखे से कम होती है।
- ❖ पशुओं के लिए चारे का संकट (सूखा एवं हरा चारा) हो जाता है तथा तापमान बढ़ने से दूध उत्पादन भी कम हो जाता है एवं विभिन्न प्रकार की बिमारियों का प्रकोप भी होता है।

### समुदाय पर जल जमाव पर प्रभाव—

जल जमाव से पाल वस्ती एवं दलित बस्ती के लगभग 10 से 15 मिट्टी के घर प्रभावित होते हैं जिससे फर्श में सीलन रहता है। पिछले वर्ष की मानसून में बारिश व जल जमाव के कारण 15 मिट्टी के घर गिर गये जिससे जन धन का नुकसान हुआ है।

- ❖ ग्राम पंचायत के सभी पूरवों का कूड़ा— कचरा जल जमाव के दौरान फैलता है एवं गंदे पानी के साथ सड़ता है, जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याएं व विभिन्न प्रकार की विमारियों से समुदाय प्रभावित रहता है। जैसे— सर्दी, जुखाम, बुखार आदि।
- ❖ ग्राम पंचायत से जौनपुर से सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ को जाने वाली मुख्य सड़क (NH56) को जोड़ने वाला रास्ता पीली नदी से होकर जाता है। पीली नदी पर कोई पुल न हो पाने के कारण पीपा पुल से आवागमन होता है। मानसून के समय नदी में पानी भर जाने के कारण समुदाय को दूसरे रास्ते से आवागमन करना पड़ता है। ग्राम पंचायत के आपस के पुरवों में भी आने—जाने वाली सड़क पर जल जमाव के कारण आवागमन प्रभावित होता है।

### शीतलहर—

ग्राम पंचायत के लोग शीतलहर को भी एक आपदा की दृष्टि से देखते व समझते हैं। सर्दियों के मौसम में शीतलहर का प्रभाव विगत कई वर्षों से जनवरी के महीने में रहता है। शीतलहर के दिनों की संख्या कम ज्यादा होती रहती है। समुदाय का कहना है कि

शीतलहर मनुष्य, पशु एवं अन्य जीव जन्तु के स्वास्थ्य के साथ-साथ कृषि को भी प्रभावित करता है। प्रत्येक वर्ष शीतलहर का प्रभाव पशुपालन पर प्रभाव पड़ता है। ठण्ड से ज्यादातर बकरियां बीमार पड़ती हैं। जिनके इलाज हेतु किसानों पर अधिक आर्थिक बोझ पड़ता है।

शीतलहर के कारण कृषि कार्य, मजदूरी, आजीविका तो प्रभावित होती ही है, पशुओं के दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। ठण्ड के कारण बच्चों में खॉंसी, बुखार, निमोनिया एवं दस्त हो जाती है। फसलों में आलू, दलहन एवं तिलहन पर पाले का प्रभाव पड़ता है। समुदाय का कहना है कि आलू की फसल पर पाला लगने से 40 प्रतिशत एवं बुआई किये गये तिलहन की फसल का पाले से 25-30 प्रतिशत का नुकसान होता है। कीट पतंगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है।

**उपरोक्त के अतिरिक्त समुदाय के व्यवहारगत एवं ढाँचागत संरचना, जो कि निम्नवार है।**

- ❖ गाँव में समुदाय आधारित संगठन जैसे सामुदायिक आनाज बैंक, किसान संगठन, युवा मण्डल दल, महिला मण्डल आदि सामाजिक संगठन की कमी है। आपदा के समय समुदाय को सरकारी एवं वाह्य सहायता पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
- ❖ लोगों को सरकारी एवं गैर सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी एवं जागरूकता नहीं है। फलतः समुदाय की नाजुकता बढ़ जाती है। समुदाय पशुपालन तो करता है किन्तु नस्ल सुधार, पशुओं का बीमा, फसल बीमा आदि की जानकारी न के बराबर है। लोगों से बातचीत के दौरान ज्ञात हुआ कि उपरोक्त से सम्बन्धित कुछ लोगों को जानकारी है लेकिन लाभ लेने की प्रक्रिया के जटिल होने के कारण प्रयास ही नहीं करते हैं। ग्राम पंचायत में सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा से सम्बन्धित गतिविधियां नहीं हैं। अधिकांश घरों की पक्की छत है। जहाँ सौर ऊर्जा का प्रयोग सड़क के किनारे प्रकाश एवं सिंचाई हेतु करने की प्रबल सम्भावना है। ग्राम पंचायत में हर जगह कचरा खुले में गलियों, सड़कों, खड़न्जा आदि के किनारे लोग रखे हुए हैं। समुदाय में कचरा प्रबन्धन की जागरूकता का अभाव है। मानसून के दिनों में यह कचरा चारों तरफ फैल जाता है। जिससे जल जनित विमारियां बढ़ती हैं।
- ❖ समुदाय के लोग अधिकांशतः गेहूँ, सरसों एवं धान ही उगाते हैं। खेती में विविधता, मिश्रित खेती एवं फसल चक्र, स्थाई कृषि एवं शून्य लागत आदि गतिविधियाँ नहीं हैं। जिससे किसानों को आपदा के समय जोखिम का सामना करना पड़ता है।

- ❖ कृषिगत गतिविधियों में उर्वरक, यूरिया, डाई, पोटैस (N.P.K.) कीटनाशक में इंडोफील M45, मीरा 71, खरपतवार नाशक के रूप में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है।
- ❖ समुदाय के लोग गोबर का प्रयोग जैविक खाद का कम्पोस्ट खाद बनाने हेतु नहीं करते हैं। और न ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बल्कि सड़क के किनारे रखते हैं या कन्डे/उपले के रूप में प्रयोग करते हैं।
- ❖ कृषि परामर्श एवं मौसम पूर्वानुमान चेतावनी तंत्र का अभाव है जिसके कारण समय पूर्व सूचना व जानकारी नहीं मिलती है। इसके कारण लोगों की नाजुकता में वृद्धि होती है।

#### 4- क्षमता विश्लेषण-

ग्राम पंचायत के समुदाय के लोगों के साथ मिलकर आपदा के संदर्भ में गाँव के लोगों की क्षमता ऑकलन का कार्य किया गया जिसमें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले आपदा एवं खतरों से प्रभावित होने वाले भौतिक संसाधन, पर्यावरणीय एवं मानव संसाधन की पहचान होने से आपदा के खतरों से निपटने में आसानी होती है। ग्राम पंचायत आहोपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से 5 किमी० दक्षिण की ओर स्थित है। गाँव में ग्रामीणों की सुविधा हेतु सामुदायिक शौचालय (चालू नहीं है) उपलब्ध है। बच्चों के शिक्षा हेतु प्रा० विद्यालय है, लोगों के आवागमन हेतु गाँव में मुख्य सड़क खड़न्जा और इंटरलाकिंग है। सम्पर्क मार्ग के रास्ते कच्चे हैं। जल निकासी हेतु कोई नाली का निर्माण नहीं है। पेयजल हेतु इंडिया मार्का हैण्डपम्प व निजी हैण्डपम्प है। गाँव में कुल छोटे बड़े 4 तालाब हैं ग्राम सभा की जमीन पर 3 जगह 15-20 पेड़ों का फलदार बागीचा है। संगठन के तौर पर कुल 7 महिला स्वयं सहायता समूह बने हैं। जिसमें 10-12 महिला सदस्य हैं। सभी समूह का बैंक से लिंक है लेकिन C.C.L. 3 का हो चुका है।

#### सुविधा संसाधन मानचित्र से लिये गये आंकड़े एवं तथ्य-

गाँव में उपलब्ध भौतिक एवं पर्यावरणीय संसाधनों को सामाजिक मानचित्रण में अंकित किया गया। जबकि मानव संसाधन के बारे में समुदाय के साथ चर्चा कर सूचनाएं प्राप्त हुई जो निम्न हैं।

#### भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गाँव की दूरी

| विवरण          | संख्या | सम्पर्क व्यक्ति का नाम व संख्या | गाँव से दूरी |
|----------------|--------|---------------------------------|--------------|
| विकास खण्ड     | 1      | बदलापुर                         | 10 किमी०     |
| प्रा० विद्यालय | 1      | श्रीमती श्यामा मौर्या           | गाँव में     |

|                               |   |   |                          |
|-------------------------------|---|---|--------------------------|
|                               |   | 9170653091  |                          |
| आंगनवाड़ी केन्द्र             | 2 | श्रीमती सीमा सिंह 9956063406<br>निशा पाल 9170517589 | प्रा0 विद्यालय में<br>.. |
| उच्च प्रा0 विद्यालय           | 1 | खानपुर  | 1.5 किमी0                |
| पोस्ट आफिस                    | — | लालगंज  | 2.5 किमी0                |
| बजार                          |   | लालगंज, सिगरा मऊ                                    | 2.5 किमी0                |
| बीज एवं खाद गोदाम             |   | लालगंज  | 2.5 किमी0                |
| पंचायत भवन                    | — | नहीं बना है।  | —                        |
| सरकारी राशन की दुकान          | 1 | रामअवध 8756155072                                   | 0.0 किमी0                |
| थाना                          | 1 | बदलापुर   | 10 किमी0                 |
| तहसील                         | 1 | बदलापुर   | 10 किमी0                 |
| प्रा0 स्वा0 केन्द्र एम्बुलेंस | 1 | 102, 103, सिगरा मऊ                                  | 2.5 किमी0                |
| निजी वि0 इंगलिस मिडियम        | 1 | लालगंज, सिगरा मऊ                                    | 2.5 किमी0                |
| डिग्री कालेज                  | 2 | 1 महिला, 1 पुरुष सिगरा मऊ                           | 2.5 किमी0                |
| आपदा विभाग                    | 1 | जौनपुर  | 50 किमी0                 |
| जिला चिकित्सालय               | 1 | जौनपुर  | 50 किमी0                 |
| बस स्टेशन                     | 1 | सिगरा मऊ  | 6 किमी0                  |
| रेलवे स्टेशन                  | 1 | सिगरा मऊ  | 7 किमी0                  |
| बैंक                          | 1 | सिगरा मऊ  | 2.5 किमी0                |
| हाईस्कूल                      | 1 | सिगरा मऊ  | 2.5 किमी0                |

### प्राकृतिक संसाधन, उपलब्धता, संख्या एवं दूरी

| क्रमांक                  | संसाधन         | संख्या  | विवरण    | दूरी        |
|--------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| <b>पर्यावरणीय संसाधन</b> |                |         |          |             |
| 1                        | तालाब          | 4       |          | 0–0.5 किमी0 |
|                          | निजी तालाब     | 2       |          | 0.5 किमी0   |
| 2                        | कुआँ           | 15      |          | 0–0 किमी0   |
| 3                        | नाला           | 1       |          | 0.2 किमी0   |
| 4                        | बाग            | 3       |          | 0.2 किमी0   |
| 5                        | नदी            | 1       | पीली नदी | 0.5 किमी0   |
| 6                        | कृषिगत क्षेत्र | 104 हे0 |          | 0–0 किमी0   |

|                    |                        |         |   |           |
|--------------------|------------------------|---------|---|-----------|
| 7                  | खुला क्षेत्र<br>(भीटा) | 3 हे०   |   | 0.2 किमी० |
| <b>मानव संसाधन</b> |                        |         |   |           |
| 1                  | ग्राम प्रधान           | 1       | मनोज कुमार सिंह 9794195169  | 0-0 किमी० |
| 2                  | शिक्षक / शिक्षिका      | 4       | श्यामा मौर्या 9170653091<br>सर्वेश सिंह 8127599206<br>माताफेर 9651236569<br>प्रभा देवी 7518887009 | 0.1 किमी० |
| 3                  | आंगनवाड़ी              | 2       | सीमा सिंह 9956063406<br>निशा पाल 9170577589   | 0.1 किमी० |
| 4                  | आशाबहू                 | 1       | श्रीमती शान्ती देवी 7054097765  | 0-0 किमी० |
| 5                  | ए०एन०एम०               | 1       | गायत्री यादव 8726450999   | 2.5 किमी० |
| 6                  | झोला छाप<br>डाक्टर     | 1       | डा० बृजेश कुमार 7887006288  | 0-0 किमी० |
| 7                  | भूतपूर्व सैनिक         | 3       | —   | 0-0 किमी० |
| 8                  | सफाईकर्मी<br>तैराक     | 1<br>25 | उमेश चन्द सरोज 9793228553   |           |

उपरोक्त उपलब्ध सुविधाओं एवं संसाधनों का आपदा के समय महत्वपूर्ण योगदान रहता है जो आपदा के प्रभाव को कम करने में मददगार होती है। यह पूरी प्रक्रिया सहभागिता के आधार पर समुदाय की मदद करती है। जिसका विवरण दिया गया है।

#### वित्तीय संसाधन—

ग्राम पंचायत के पास सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध है जो समुदाय के लिये उपयोगी होता है।

| क्र०सं० | मद                        | वर्ष 2022-23 |
|---------|---------------------------|--------------|
| 1       | 15वाँ वित्त आयोग / मनरेगा | 2202120.00   |
| 2       | स्वयं के राजस्व का श्रोत  | 00           |

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु सभी सहभागी प्रयासों एवं गतिविधियों को करने के उपरान्त समूह चर्चा द्वारा ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति, सम्बन्धित समस्याएँ, समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य योजना के बारे में उपरोक्त

सूचनाओं, तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गयी, तत्पश्चात् जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम न्यूनीकरण को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किया गया है जिसमें आपदा, जोखिम के कारण व समाधान आदि के बारे में संकलन क्रमवार है जो निम्न है-

| क्र० सं० | कार्य का क्षेत्र                                     | कार्य का नाम                                | कार्य का विवरण   | परिसम्पत्ति का स्थान   | अनुमानित धनराशि   | अवधि                      | योजना का परिव्यय                      |
|----------|--|---|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1        | मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा साफ सफाई एवं स्वच्छता | 7 कुएँ की सफाई एवं मरम्मत कार्य             | ग्राम पंचायत के अलग-अलग पुरवों में कचरे से पटे कुओं की सफाई एवं मरम्मत | ब्राह्मण बस्ती 1<br>दलित बस्ती 2<br>बनिया बस्ती 1<br>यादव बस्ती 1<br>ठाकुर बस्ती 2   | 6 लाख             | 3 माह<br>गर्मी के<br>मौसम | 15वाँ वित्त<br>आयोग                   |
| 2        |  | कूड़ा पात्र रखवाना                          | कूड़ा निस्तारण हेतु 15 कुड़ा पात्र रखवाना                              | दलित बस्ती 4<br>मौर्या बस्ती 2<br>ब्राह्मण बस्ती 2<br>पाल बस्ती 3<br>ठाकुर बस्ती 3<br>यादव बस्ती 1   | 30 हजार           | 1 माह                     | 15वाँ वित्त<br>आयोग                   |
| 3        |  | नैडेप, जैविक खोंद का पिट निर्माण            | व्यक्तिगत स्तर पर 10 नैडेप, 25 वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण           | पाल बस्ती<br>10 वर्मी कम्पोस्ट<br>3 नैडेप<br>मौर्या बस्ती,<br>10 वर्मी<br>कम्पोस्ट, 4 नैडेप<br>दलित बस्ती, 2<br>वर्मी कम्पोस्ट<br>ठाकुर बस्ती, 3<br>नैडेप, 3 वर्मी<br>कम्पोस्ट | 3 लाख<br>50 हजार  | 6 माह                     | 15वाँ वित्त<br>आयोग एवं<br>कृषि विभाग |
| 4        |  | पानी सफाई हेतु जैव आधारित ट्रिटमेंट केन्द्र | गंदे पानी की सफाई हेतु 5 ट्रिटमेंट केन्द्र                             | बनिया बस्ती 1<br>ब्राह्मण व पाल<br>बस्ती 1<br>दलित बस्ती 1<br>मौर्या बस्ती 1<br>ठाकुर बस्ती 1  | 12 लाख<br>50 हजार | 6 माह                     | 15वाँ वित्त<br>आयोग                   |
| 5        |  | हैण्ड पम्प रिबोर                            | शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु 15 हैण्ड पम्प को रिबोर करवाना             | ठाकुर बस्ती 2<br>पाल बस्ती 4<br>ब्राह्मण बस्ती 2<br>मौर्या बस्ती 4   | 9 लाख             | 6 माह                     | 15वाँ वित्त<br>आयोग                   |



|    |  |   |  |   |                              |                          |                                   |
|----|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|    |  |   |  | कोहार बस्ती 1<br>बनिया बस्ती 2  |                              |                          |                                   |
| 6  |  | जैविक, अजैविक<br>कूड़ा प्रबन्धन केन्द्र     | ग्राम पंचायत की जमीन में<br>संरचना का निर्माण  | दलित बस्ती 1<br>ठाकुर बस्ती 1<br>पाल बस्ती 1<br>मौर्या बस्ती 1  | 5 लाख<br>50 हजार             | 6 माह                    | 15वाँ वित्त<br>आयोग               |
| 7  |  | नाली निर्माण                                | ❖ दुर्गविजय दलित के<br>घर से नाले तक 300<br>मी०<br>❖ लाल बहादुर पाल के<br>घर से पीली नदी तक<br>200 मी०<br>❖ झगडू दलित के घर<br>से नाले तक 300 मी०<br>❖ रामअवध कोटेदार के<br>घर से नाले तक 300<br>मी०<br>उपरोक्त नाला निर्माण<br>R.C.C. | —   | 98 लाख                       | 1 साल<br>बरसात<br>बाद    | 15वाँ वित्त<br>आयोग               |
| 8  |  | नाला सफाई एवं<br>खोदाई                      | गाँव के पश्चिम पिथा<br>तालाब से दलित बस्ती होते<br>हुए पीली नदी तक 1<br>किमी०  | नाला, (ड्रेनेज)   | 20 लाख                       | 2 माह<br>बरसात<br>के बाद | 15वाँ वित्त<br>आयोग               |
| 9  | बुनियादी आधार भूत<br>संरचना एवं पर्यावरण | आंगनवाड़ी केन्द्र का<br>निर्माण             | आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन<br>(कमरा, शौचालय, पेयजल,<br>बरमदा आदि) का निर्माण   | ग्राम पंचायत<br>द्वारा प्रदत्त<br>जमीन पर   | 20 लाख                       | 6 माह                    | 15वाँ वित्त<br>आयोग               |
| 10 |  | सोख्ता गड्ढा                                | जल प्रबन्धन हेतु 45 सोख्ता<br>गड्ढा  | ब्राह्मण बस्ती 3<br>पाल बस्ती 6<br>मौर्या बस्ती 10<br>बनिया बस्ती 3<br>दलित बस्ती 15<br>ठाकुर बस्ती 5 | 1 लाख<br>57 हजार<br>5 सौ रू० | 3 माह                    | 15वाँ वित्त<br>एवं मनरेगा         |
| 11 |  | तालाब जीर्णोद्धार<br>संरक्षण एवं<br>साफसफाई | 2 तालाब का सफाई,<br>चौहद्दी, चबुतरा, वृक्षारोपण<br>आदि का कार्य<br>के कनजहिया तालाब (2<br>हेक्टेयर) पीथा तालाब (1<br>हेक्टेयर)   | कंजहिया<br>तालाब<br>पीथा तालाब  | 15 लाख                       | 3 माह                    | 15वाँ वित्त<br>मनरेगा/वन<br>विभाग |
| 12 |  | सड़क का<br>R.C.C./इंटरलाकिंग                | ❖ विश्व बैंक की सड़क से<br>रामलखन मास्टर के<br>घर तक 300 मी०<br>❖ विश्व बैंक सड़क से   | —   | 30 लाख<br>10 लाख             | 6 माह                    | 15वाँ वित्त<br>एवं मनरेगा         |

|    |  |  |  |   |                            |                |  |
|----|--|--|--|---|----------------------------|----------------|--|
|    |  |  | मेवालाल के घर तक<br>100 मी0  |   |                            |                |  |
| 13 | बुनियादी आधार भूत<br>संरचना एवं पर्यावरण | सड़क का R.C.C.<br>इंटरलाकिंग               | ❖ कंजरिया तालाब के<br>पास से ब्राह्मण बस्ती<br>तक 600 मी0<br>❖ मुन्ना दूबे के पाही से<br>अशोक दूबे के घर तक<br>इंटरलाकिंग 250 मी0  | —   | 60 लाख<br>25 लाख           | 6 माह          | 15वाँ वित्त<br>एवं मनरेगा                  |
| 14 |  | खड़न्जा                                    | ❖ भोला मोर्या के घर से<br>जय प्रकाश दूबे के घर<br>तक खड़न्जा 500 मी0<br>❖ ममता गिरि के घर से<br>देवस्थान तक खड़न्जा<br>400 मी0<br>❖ प्रा0 विद्यालय से दलित<br>बस्ती जाने वाले रास्ता<br>पर खड़न्जा 200 मी0 | —   | 25 लाख<br>20 लाख<br>10 लाख | 3 माह          | 15वाँ वित्त<br>एवं मनरेगा                  |
| 15 |  | मेढ़ बन्दी कर<br>वृक्षारोपड़               | छायादार, फलदार, टिम्बर<br>वाले वृक्षों का रोपड़, पौधों<br>की सुरक्षा हेतु जाली के<br>साथ ट्रीगार्ड   | तालाब के चारों<br>ओर एवं अन्य<br>ग्राम पंचायत<br>की भूमि पर               | 10 लाख                     | 3 माह          | 15वाँ वित्त<br>वन विभाग                    |
|    |  | सौर ऊर्जा द्वारा<br>प्रकाश की व्यवस्था     | 20 घरों के छतों पर सौर्य<br>ऊर्जा के लिए पैनल एवं<br>प्रकाश व्यवस्था।<br>गाँव के सड़क पर प्रकाश<br>हेतु सोलर लाईट  | 20 लाभार्थी का<br>घर<br>100 लाईट<br>ग्राम पंचायत के<br>सभी सातो<br>पुरवाँ | 4 लाख<br>—                 | 3 माह<br>3 माह | 15वाँ वित्त<br>आयोग<br>15वाँ वित्त<br>आयोग |
|    | आजीविका/कृषि/पशु<br>पालन                 | नर्सरी का निर्माण<br>(फलदार एवं<br>इमारती) | 3 समूहों के माध्यम से पाली<br>हाउस/नेट हाउस बनाकर<br>नर्सरी तैयार करना   | दलित बस्ती  | 3 लाख                      |                | मनरेगा                                     |
|    |  | स्थाई पशु आश्रय<br>सील                     | व्यक्तिगत स्तर पर 3-5<br>पशु क्षमता वाले 20 पशु<br>आश्रय स्थल का निर्माण   | पाल बस्ती 7<br>मोर्या बस्ती 5<br>गिरि बस्ती 3<br>ठाकुर बस्ती 5            | 20 लाख                     | 6 माह          | 15वाँ वित्त<br>आयोग                        |

## खुली बैठक

ग्राम पंचायत आहोपुर की आगामी वित्तीय वर्ष हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के प्रधान श्री मनोज कुमार सिंह रोजगार सेवक प्रतिनिधि श्री संतोश सिंह, पंचायत सहायक बृजेश पाल के साथ ग्राम पंचायत के विभिन्न पूरवों में छोटी-छोटी खुली बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उपरोक्त पंचायत प्रतिनिधि सदस्यों के अलावा स्वयं सहायता समूह के सदस्य आंगनवाड़ी, आशा, ग्रामीण किसान महिलाएँ, पुरुष के साथ अन्य बुजुर्ग एवं बच्चों शामिल हुए। बैठक में ग्राम पंचायत विकास योजना के संदर्भ में विस्तृत बातचीत की गयी।

### विस्तृत विवरण देखें संलग्नक 1

## ट्रांजेक्ट वाक

बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक प्रतिनिधि पंचायत सहायक, किसान महिलाएं एवं समुदाय के लोगों के साथ ग्राम पंचायत के 7 मजरो का ट्रांजेक्टवाक किया गया। प्राथमिक विद्यालय से ट्रांजेक्टवाक शुरू कर ठाकुर बस्ती, ब्राह्मण, पाल बस्ती, कोईरी बस्ती, दलित बस्ती, बनिया बस्ती, गिरि बस्ती, कोहार बस्ती के साथ 4 तालाब एवं गाँव के पास निकल रही पीली नदी पर पीपा पुल व चेक डैम देखते हुए पुनः प्राइमरी स्कूल पर समाप्त हुआ। सभी मजरो की आपस की दूरी 1/2 किमी० से 1 किमी० है।

### विस्तृत विवरण देखें संलग्नक सं० 2

## सामाजिक मानचित्रण


सभी मजरो के भ्रमण के पश्चात् ग्राम पंचायत में ही स्थित प्राइमरी विद्यालय के परिसर में ग्रामवासियों द्वारा सामाजिक मानचित्रण बनाने हेतु प्रयास किया गया, इसके आधार पर निम्न सूचनाएँ तालिका में है।

| विवरण                              | संख्या | गुणात्मक विवरण   |
|------------------------------------|--------|--|
| ग्राम पंचायत की वसाहत का क्षेत्रफल |        | 5 हे०  |
| कुल टोलों की संख्या                | 7      | ठाकुर बस्ती, ब्राह्मण पाल बस्ती, कोईरी, दलित, तेली, वरनवाल, गिरि, यादव |
| कुल घरों की संख्या                 | 370    | 370  |
| कुल पक्के घरों की संख्या           | 315    | 315  |

|                                     |    |                   |
|-------------------------------------|----|-------------------|
| कुल कच्चे घरों की संख्या            | 55 | 55                |
| आर्थिक रूप कमजोर परिवारों की संख्या | 62 | लगभग सभी पुरवो पर |
| विकलांग जनों की संख्या              | 11 | 5 पुरुष, 6 महिला  |
| कुछ महिला मुखिया परिवारों की संख्या | 30 | सभी टोलो पर       |
| इंडिया मार्का हैण्डपम्प             | 22 | सभी टोलो पर       |

### जातिगत विवरण-

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| सामान्य जाति के घरों की संख्या  | 43  |
| पिछड़ी जाति के घरों की संख्या   | 185 |
| अनुसूचित जाति के घरों की संख्या | 142 |
| कुल घरों की संख्या              | 370 |



### वातावरण निर्माण-

ग्राम पंचायत आहोपुर की आगामी वर्ष हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के समस्त समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत के सभी पुरवों पर समुदाय के साथ जन सम्पर्क एवं वार्ड स्तर की छोटी-छोटी बैठकों का आयोजन कर समुदाय को इस सहभागी प्रक्रिया में शामिल करने हेतु जागरूक किया गया व पूरी प्रक्रिया के उद्देश्यों को बताया गया। जिसमें मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण इसका जनमानस कृषि, पशुधन आदि पर पड़ने वाले प्रभाव व प्रभाव को कम करने हेतु सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा इस दिशा में किये जा रहे सतत प्रयास को समुदाय को बताया गया। उत्तर प्रदेश के 39 जनपद जो कि जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक प्रभाव को झेल रहे हैं उनमें से जनपद जौनपुर के विकासखण्ड बदलापुर के अन्तर्गत आहोपुर ग्राम पंचायत का इस कार्य हेतु चयन किया गया। बैठकों में समुदाय को बताया गया कि पहले भी हमारे ग्राम पंचायत की विकास योजना बनती रही है परन्तु इस तीन से चार दिनों में जलवायु परिवर्तन/मौसम से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान हेतु विकास के सभी मुद्दों के साथ जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करनी है जिसमें हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए।

ग्राम पंचायत आहोपुर के पश्चिम स्थित पिथा तालाब के पास से दलित बस्ती होते हुए नाला पीली नदी में जाकर मिलता है। जो कि खरपतवार मिट्टी का गाद, जल, भरण क्षमता न हो पाने के कारण मानसून के समय वर्षा का जल नाले से नदी में नहीं जा पाता है, फलतः पूरा पानी कृषिगत भूमि व दलित बस्ती तक फैलता है साथ ही साथ गाँव के पास से ही पीली नदी होकर गुजरती है जो कि कम लम्बाई एवं कम गहराई की नदी है। लेकिन मानसून के समय इसका पानी नजदीक के पाल व मौर्या बस्ती के कृषिगत भूमि व आबादी के घरों को भी प्रभावित करती है।

| क्र0सं0 | पंचायत सदस्य का नाम  |              |
|---------|----------------------|--------------|
| 1       | श्री मनोज कुमार सिंह | ग्राम प्रधान |
| 2       | श्रीमती शेषा देवी    | पंचायत सदस्य |
| 3       | श्रीमती आशा देवी     | पंचायत सदस्य |

|    |                     |              |
|----|---------------------|--------------|
| 4  | श्री संतोश          | पंचायत सदस्य |
| 5  | श्री मोती लाल       | पंचायत सदस्य |
| 6  | श्री प्रिनीश कुमार  | पंचायत सदस्य |
| 7  | श्री राधेश्याम      | पंचायत सदस्य |
| 8  | श्री अखिलेश         | पंचायत सदस्य |
| 9  | श्रीमती प्रेमा देवी | पंचायत सदस्य |
| 10 | पंकज कुमार          | पंचायत सदस्य |
| 11 | राजेन्द्र प्रसाद    | पंचायत सदस्य |
| 12 | प्रीति सिंह         | पंचायत सदस्य |

### पंचायत समितियों का विवरण—

#### ➤ नियोजन एवं विकास समिति

|   |             |         |
|---|-------------|---------|
| 1 | मनोज सिंह   | अध्यक्ष |
| 2 | आशा देवी    | सदस्य   |
| 3 | अलिखेश      | सदस्य   |
| 4 | प्रेमा देवी | सदस्य   |
| 5 | प्रिनीश     | सदस्य   |
| 6 | पंकज        | सदस्य   |
| 7 | प्रिति सिंह | सदस्य   |

#### ➤ शिक्षा समिति

|   |             |         |
|---|-------------|---------|
| 1 | मनोज सिंह   | अध्यक्ष |
| 2 | शेषा सिंह   | सदस्य   |
| 3 | अखिलेश      | सदस्य   |
| 4 | प्रेमा देवी | सदस्य   |
| 5 | राधेश्याम   | सदस्य   |
| 6 | पंकज        | सदस्य   |
| 7 | सन्तोश      | सदस्य   |

#### ➤ प्रशासनिक समिति

|   |           |         |
|---|-----------|---------|
| 1 | मनोज सिंह | अध्यक्ष |
|---|-----------|---------|

|   |             |       |
|---|-------------|-------|
| 2 | आशा देवी    | सदस्य |
| 3 | राधेश्याम   | सदस्य |
| 4 | प्रेमा देवी | सदस्य |
| 5 | प्रिनीश     | सदस्य |
| 6 | मोती लाल    | सदस्य |
| 7 | प्रिति सिंह | सदस्य |

➤ पेयजल एवं स्वच्छता समिति

|   |             |         |
|---|-------------|---------|
| 1 | मनोज सिंह   | अध्यक्ष |
| 2 | मोती लाल    | सदस्य   |
| 3 | अखिलेश      | सदस्य   |
| 4 | प्रेमा देवी | सदस्य   |
| 5 | प्रिनीश     | सदस्य   |
| 6 | शेषा देवी   | सदस्य   |
| 7 | शैलेन्द्र   | सदस्य   |

➤ निर्माण कार्य समिति

|   |             |         |
|---|-------------|---------|
| 1 | राधेश्याम   | अध्यक्ष |
| 2 | मोती लाल    | सदस्य   |
| 3 | अखिलेश      | सदस्य   |
| 4 | आशा         | सदस्य   |
| 5 | प्रिनीश     | सदस्य   |
| 6 | पंकज        | सदस्य   |
| 7 | प्रिति सिंह | सदस्य   |

➤ स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति

|   |                  |         |
|---|------------------|---------|
| 1 | प्रिनीश          | अध्यक्ष |
| 2 | आशा देवी         | सदस्य   |
| 3 | राधेश्याम        | सदस्य   |
| 4 | प्रिति सिंह      | सदस्य   |
| 5 | राजेन्द्र प्रसाद | सदस्य   |



|   |        |       |
|---|--------|-------|
| 6 | सन्तोश | सदस्य |
| 7 | पंकज   | सदस्य |

➤ **विद्यालय प्रबन्धन समिति**

|    |                        |                            |
|----|------------------------|----------------------------|
| 1  | श्री घनश्याम पाल       | अध्यक्ष                    |
| 2  | श्रीमती उषा देवी       | उपाध्यक्ष                  |
| 3  | श्री सभाजीत            | सदस्य                      |
| 4  | श्री लक्ष्मीकान्त      | सदस्य                      |
| 5  | श्रीमती इन्दू देवी     | सदस्य                      |
| 6  | श्री कप्तान            | सदस्य                      |
| 7  | श्रीमती अनिता देवी     | सदस्य                      |
| 8  | श्रीमती शर्मिला देवी   | सदस्य                      |
| 9  | श्रीमती गीता दूबे      | सदस्य                      |
| 10 | श्रीमती दिलराजी        | सदस्य                      |
| 11 | श्रीमती प्रतिभा मौर्या | सदस्य                      |
| 12 | श्री श्यामा मौर्या     | सदस्य                      |
| 13 | शशिधर                  | (प्रधानाध्यापक) सचिव       |
| 14 | गायत्री यादव           | ए०एन०एम०                   |
| 15 | शेषा देवी              | नामित सदस्य (पंचायत सदस्य) |

**ड्राम्जेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गई स्थितियां**

|                  |  |
|------------------|--|
| <p>बसाहट</p>     | <p>ग्राम पंचायत आहोपुर में कुल सात पुरवे है जो कि एक दूसरे से आधा किमी<sup>0</sup> से 1 किमी<sup>0</sup> की दूरी पर बसे हुए है। सभी पुरवे जाति के आधार पर बसे हुए है। जिसमें ठाकुर, ब्राह्मण व पाल, मौर्या, दलित, तेली, वर्नवाल, गिरि, यादव के अलवा केवट, प्रजापति, कहार, विश्वकर्मा, सोनार जाति के लोग है। ग्राम पंचायत में एक दूसरे पुरवे को जोड़ने वाली सड़क खड़न्जा, इन्टरलाकिंग व कच्चे रास्ते है। खड़न्जा व कच्चे रास्ते भी अच्छी हालात में नहीं है। गाँव के पक्के मकान अधिकांशतः है। कच्चे मकान में मिट्टी के घर, कुछ पक्के घर पर, फूस, टीनशेड व एडवेस्टर की सीट लगी हुई है। पिछले वर्ष मानसून के समय 10-15 मिट्टी के घर गिर गए थे जो कि आज तक उसी स्थिति में है।</p> <p>गाँव में कुआँ, इंडिया मार्का हैण्ड पम्प व निजी 6 नम्बर का हैण्ड पम्प है। ग्रामिणों के अनुसार 6 नम्बर का निजी हैण्ड पम्प लगभग सभी के घर के सामने दिखा। गाँव के 5 कुआँ में भी समरसेबल लगाकर सिंचाई का कार्य भी लोग कर रहे है। अपने घर के आस-पास खाली जमीन में लोग लहसून, धनिया, बैंगन, मिर्चा, पालक आदि का स्वयं के प्रयोग हेतु सब्जी लगाए हुए है।</p> |
| <p>तालाब/नदी</p> | <p>ग्राम पंचायत में 4 तालाब है। समुदाय के अनुसार दो तालाब पर अतिक्रमण है जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.5 हेक्टेयर है। दो और तालाब जो कि कन्जहिया तालाब 2 हेक्टेयर व पिथा तालाब 1 हेक्टेयर के नाम से जाना जाता है। दोनों तालाब में पानी नहीं है व झाड़ी व खरपतवार से भरा हुआ है इसके अलावा 2 निजी तालाब है 1 तालाब गिरी का व दूसरा ठाकुर परिवार का है जिसको बनवाने में ग्राम पंचायत का सहयोग प्राप्त हुआ है। गाँव के पास से ही उत्तर की दिशा में नदी है जो कि पीली नदी के नाम से जानी जाती है। पाल बस्ती के पास पीली नदी पर ही 2015 में चेक डैम बना है जिसके महत्व को समुदाय के लोग अच्छा मान रहे है।</p> <p>पिथा तालाब के पास से दलित बस्ती होते हुए एक नाला है जो कि पीली नदी में आकर मिलता है। यह नाला मिट्टी के गाद व खरपतवार</p>  |

|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>से भर गया है। मानसून के समय उससे पानी नहीं निकल पाता है जिसकी सफाई करने की आवश्यकता है।</p> <p>पीली नदी पर ही जहाँ चेक डैम बना हुआ है उसी के पास पीपा पुल है जो हर मानसून के समय बह जाता है। समुदाय के अनुसार गाँव का निकट बाजार व शहर सिगरा मऊ जाने हेतु यह मुख्य रास्ता है जिससे 5 गाँव के लोग आते-जाते हैं यह रास्ता सरल व कम दूरी का है। उपयुक्त रास्ता न हो जाने के कारण गाँव के लोगों को ज्यादा दूरी तय कर जाना पड़ता है। जिससे समय, श्रम व आर्थिक नुकसान होता है।</p>   |
| बाग बगीचा    | <p>ग्राम पंचायत के प्रत्येक मजरो में व आस-पास नीम, पीपल, कटहल, बरगद, सिसम, जामुन, महुआ, बासं, लिप्टस, सागौन, केला, बेर, आवला के फलदार वृक्ष, व्यक्तिगत व 10 परिवार का 10-15 पेड़ का बाग है। गाँव में अन्य जलावनी लकड़ी के भी पेड़ पौधे हैं। नदी के किनारे, व तालाब पर भी बबूल के झाड़ी जैसे वृक्ष लगे हुए हैं जिनका प्रयोग गाँव का कोई भी व्यक्ति कर सकता है।</p> <p>गाँव में 1 परिवार का अपने निजी खेत में मेड़ पर चारों तरफ यूकेलिप्टस का पेड़ लगा हुआ है जो करीब 150 पेड़ है।</p>  |
| भौतिक संसाधन | <p>ग्राम पंचायत में सरकारी 22 इंडिया मार्का हैण्ड पम्प है जो कि पेयजल हेतु उपलब्ध है लेकिन 4-5 हैण्ड पम्प का पानी गन्दा आता है जो कि पीने योग्य नहीं है। लोगों के अनुसार पानी रखने पर हल्का पीला हो जाता है व कभी-कभी दुर्गन्ध आती है। पीने हेतु 6 नम्बर का छोटा हैण्ड पम्प भी लोगों ने लगा रखा। गाँव पंचायत के लगभग बीच में दलित बस्ती के पास प्राथमिक विद्यालय है। विद्यालय के ही भवन में आंगनवाड़ी केन्द्र चलता है। पंचायत भवन अभी बना नहीं है। ग्राम प्रधान के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में बनने की उम्मीद है। विद्यालय व दलित बस्ती के पास अम्बेडकर की मूर्ति के पास ही 4 सीट (2 पुरुष, 2 महिला) का सामुदायिक शौचालय बना है लेकिन अभी चालू नहीं है।</p> <p>विद्यालय के भवन में स्थित हैण्ड पम्प का पानी भी गन्दा आता है। प्रधानाध्यापक के अनुसार तीन बार बोरिंग किया गया फिर भी पानी गन्दा कभी-कभी आता रहता है।</p> |

### संलग्नक 3

ग्राम पंचायत के सभी मजराओं के भ्रमण के पश्चात् प्राथमिक विद्यालय के परिसर में उपस्थित ग्रामवासी पुरुष व महिलाओं द्वारा सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया, जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में है।

| विवरण                                | संख्या      | गुणात्मक विवरण  |
|--------------------------------------|-------------|---|
| ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल            | 115.123 हे० | 7 मजराओं की बसाहट, बाग बगीचा, तालाब एवं कृषिगत क्षेत्र  |
| कुल टोला/मजराओं की संख्या            | 7           | जाति आधारित टोला, ठाकुर, ब्राह्मण व पाल, मौर्या, दलित, तेली, वर्नवाल, गिरी व यादव, लोहार, कहार                          |
| कुल घर की संख्या                     | 370         | प्रत्येक टोले पर पक्के छत वाले मकान है।   |
| कुल पक्के घर की संख्या               | 315         | ठाकुर 20, ब्राह्मण पाल 55, मौर्या 60, दलित 146, तेली वर्नवाल 12, गिरी यादव 7, लोहार कहार 4 एवं केवट 5, कोहार 5, सोनार 1 |
| कुल कच्चे घर की संख्या               | 55          | ठाकुर 5, ब्राह्मण पाल 11, मौर्या 3, दलित 18, तेली वर्नवाल 6, गिरी यादव 3, लोहार कहार 4, केवल 1, कोहार 3, सोनार 1        |
| आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की संख्या | 62          | सभी पुरवों पर   |
| विकलांग की संख्या                    | 11          | 5 पुरुष, 6 महिला  |
| महिला मुखिया परिवार की संख्या        | 30          | सभी मजराओं में  |
| इंडिया मार्का हैण्ड पम्प             | 22          | सभी टोलों पर  |

ग्राम पंचायत आहोपुर राष्ट्रीय मार्ग 56 जो कि विकास खण्ड मुख्यालय बदलापुर से सुल्तानपुर को जाने वाली सड़क पर बदलापुर से 6 किमी० दूर सिगरा मऊ के दक्षिण 3 किमी० की दूरी पर अवस्थित है। जैसा कि ग्राम पंचायत की बसाहट के सन्दर्भ में उपरोक्त तालिका में वर्णित है यहाँ पर ठाकुर, ब्राह्मण, पाल, मौर्या, केवट, दलित, तेली, वर्नवाल,


गिरी, यादव, कोहार, विश्वकर्मा, कहार व सोनार जाति के लोग अलग-अलग अपने जाति के हिसाब से बसे हुए है।

गाँव में 62 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है इनके पास खेती योग्य जमीन कम है, मजदूरी ही मुख्य सहारा है इनका घर भी कच्चे व मिट्टी के है। सरकारी योजनाओं की जानकारी भी नहीं है और न ही वहाँ तक इनकी पहुँच ही है। गाँव में विकलांग लोगों की संख्या 11 है। जिसमें महिला व पुरुष है इनको पेंशन भी उपलब्ध नहीं है और न ही इनका पंजीकरण हुआ है।

लगभग 65 प्रतिशत लोग साक्षर है लेकिन महिलाओं की साक्षरता पुरुष के मुकावले कम है लगभग 45 प्रतिशत की है। ग्राम पंचायत में 30 परिवार ऐसे है जो अपने घर की मुखिया है।

### आजीविका के साधन—

- खेती
- कृषिगत मजदूरी
- नौकरी
- पशुपालन
- पलायन
- गैर कृषि मजदूरी
- व्यवसाय / दुकान
- अन्य धन्धा



| आजीविका के साधन | व्यक्ति की संख्या |
|-----------------|-------------------|
| खेती            | 308               |
| कृषिगत मजदूरी   | 45                |
| नौकरी           | 20                |
| पशुपालन         | 75                |
| पलायन           | 30                |
| गैर कृषि मजदूरी | 130               |
| व्यवसाय / दुकान | 20                |
| अन्य धन्धा      | 35                |

**आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा व घटना क्रम**

ग्राम पंचायत आहोपुर का ऐतिहासिक समय रेखा आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के साथ-साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया कि आपदाएँ कब-कब आई हैं जिसका प्रभाव पशुधन, मानव व कृषि पर पड़ा है तत् पश्चात् उसके निराकरण हेतु गाँव स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं। समुदाय के साथ बातचीत में यह बताया कि विगत 15-20 वर्षों में सूखा पड़ने से खरीफ की फसल का उत्पादन कम होता था व आर्थिक बोझ भी बढ़ता था मानसून के समय जल जमाव, सर्दी में शीतलहर एवं लू का प्रकोप भी ग्राम पंचायत के जल जमाव, सर्दी में शीतलहर एवं लू का प्रकोप भी ग्राम पंचायत के जन जीवन को प्रभावित करती है। इसी के साथ विगत 2 वर्ष पूर्व कोरोना भी एक आपदा के रूप में आई जिसके बचाव हेतु लॉकडाउन के दौरान लोग बाग अपने-अपने घरों में बन्द हो गए थे। इसका सबसे अधिक प्रभाव खेती में तैयार उत्पादन हेतु बाजार न मिल पाने के कारण आर्थिक क्षति हुई व आजीविका भी प्रभावित हुई।

| क्र० सं० | वर्ष | आपदा/ खतरा | घटनाओं का कारण                      | मृतको की संख्या | प्रभावित लोगों की संख्या   | आर्थिक क्षति                         | न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य   |
|----------|------|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1        | 1995 | सूखा       | वारिस का कम होना                    | —               | पूरा गाँव                  | 105 हे० पूरी कृषि गत भूमि प्रभावित   | पेयजल हेतु इंडिया मार्का हैण्ड पम्प पीली नदी पर चेक डैम बनाने का प्रयास |
| 2        | 2001 | जल जमाव    | जल निकासी का अभाव व नाले का भर जाना | —               | 50-60 परिवार की दलित बस्ती | फलस व सब्जी की खेती का नुकसान        | कोई कार्य नहीं  |
| 3        | 2005 | आधी तुफान  | प्राकृतिक                           | —               | पूरा गाँव                  | मकान के टीन का नुकसान 30-40 परिवार   | कोई कार्य नहीं  |
| 4        | 2010 | जल जमाव    | जल निकासी का अभाव                   | —               | दलित बस्ती व 40-50 परिवार  | खेती की सब्जी व खरीफ की फसल की क्षति | वाधित नाले की सफाई हेतु प्रयास  |
| 5        | 2010 | शीतलहर     | प्राकृतिक                           | —               | पूरा गाँव                  | सरसों की फसल व बकरियाँ का (20-25) मर | कोई कार्य नहीं  |

|   |                 |                 |                                  |   |  |  |  |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------------|---|--|--|--|
|   |                 |                 |                                  |   |  | जाना   |  |
| 6 | 2013 से 2015 तक | सूखा            | समय से वर्षा न होना व कम होना    | — | पेयजल हेतु हैण्ड पम्प का सूखना जल स्तर नीचे जाना | खेती प्रभावित धान की फसल में सिंचाई हेतु अधिक धन लगाना | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ पीली नदी पर चेक डेम निर्माण हेतु प्रयास व 2015 में निर्माण हुआ</li> <li>❖ तालाब की साफ सफाई</li> <li>❖ हैण्ड पम्प का रिवोर एवं सिंचाई हेतु रिवोर</li> </ul> |
| 7 | 2020-21         | करोना का प्रभाव | गाँव में सूरत व दिल्ली से आए लोग | 5 | 60-70 लोग  | रोजगार बाधित व अतिरिक्त आर्थिक क्षति                   | कोविड अनुरूप व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन व साफ सफाई   |
|   | 2018, 19 व 2021 | आंधी तुफान      | प्राकृतिक                        | — | —  | 10 मकान का नुकसान                                      |  |

### संलग्नक 5

#### आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव—

| क्र० सं० | आजीविका के प्रकार | परिवार की संख्या | आपदा    | आपदा का प्रभाव |       |    | क्या प्रभाव पड़ता है।  |
|----------|-------------------|------------------|---------|----------------|-------|----|--|
|          |                   |                  |         | अधिक           | मध्यम | कम |  |
| 1        | कृषि              | 308              | सूखा    |                |       |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ सिंचाई खर्च अधिक लगता है।</li> <li>❖ फसल उत्पादन कम होना</li> <li>❖ फसल सूख जाती है</li> </ul>  |
|          |                   |                  | जल जमाव |                |       |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ एक मजरे से दूसरे मजरों में आने-जाने में दिक्कत</li> <li>❖ रबी के मौसम में देर से बुआई करनी पड़ती है।</li> <li>❖ धान की फसल में पियरा रोग लगता है व कीट का प्रकोप बढ़ जाता है।</li> <li>❖ लगभग 15 हे० जमीन में पैदावार भी कम होती है।</li> </ul> |
|          |                   |                  | शीत लहर |                |       |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ पेड़-पौधे की पत्तियां व फसल झुलस जाती है।</li> <li>❖ आलू में पाला लगता है।</li> <li>❖ सरसों की फसल में माहो का लगना।</li> </ul>   |



|   |         |     |         |  |  |   |
|---|---------|-----|---------|--|--|---|
|   |         |     |         |  |  | ❖ फसल का बढ़ाव भी प्रभावित होता है।   |
|   |         |     | लू      |  |  | ❖ जायद की फसल का उत्पादन कम होना।<br>❖ फसल का सूख जाना  |
| 3 | मजदूरी  | 175 | सूखा    |  |  | ❖ कृषिगत मजदूरी का कार्य नहीं मिलता है।<br>❖ परिवार के भरण-पोषण पर असर पड़ता है।<br>❖ आर्थिक संकट पैदा होने से कर्ज बढ़ता है।<br>❖ पलायन करना पड़ता है। |
|   |         |     | जल जमाव |  |  | ❖ आवगमन अवरुद्ध होता है।<br>❖ स्थानीय स्तर पर भी काम नहीं मिलता है।<br>❖ कृषि के कार्य में भी मजदूरी कम मिलती है।<br>❖ आर्थिक संकट पैदा होता है।        |
|   |         |     | शीत लहर |  |  | ❖ परिवार का खर्चा बढ़ जाता है।<br>❖ स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।<br>❖ मजदूरी का कार्य नहीं मिलता है।<br>❖ बच्चों अस्वस्थ रहते हैं।                     |
| 3 | पशुपालन | 75  | सूखा    |  |  | ❖ पशु चारे का अभाव<br>❖ धूप से पशुओं में बीमारी का बढ़ जाना<br>❖ दूध का उत्पादन कम हो जाता है।  |
|   |         |     | जल जमाव |  |  | ❖ पशुओं में विमारी बढ़ती है।<br>❖ सूखा चारे का अभाव होता है।<br>❖ पशुओं चराने में भी दिक्कत आती है।   |
|   |         |     | शीत लहर |  |  | ❖ पशुओं (विशेषकर बकरी) में बीमारी बढ़ जाती है।  |

|   |                              |    |         |  |  |   |
|---|------------------------------|----|---------|--|--|---|
|   |                              |    |         |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ पशु हेतु चारों का अभाव होता है।</li> <li>❖ ठण्ड से बचने हेतु आर्थिक बोझ बढ़ता है।</li> </ul>   |
| 4 | स्वयं का व्यवसाय (दुकान आदि) | 55 | सूखा    |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ बिक्री कम होती है।</li> <li>❖ दुकान की आमदनी कम हो जाती है।</li> </ul>   |
|   |                              |    | जल जमाव |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ बाजार आने जाने में असुविधा होती है।</li> <li>❖ कच्चा माल खराब हो जाता है।</li> <li>❖ दुकान में सामान के रख रखाव में दिक्कत होती है।</li> </ul> |
|   |                              |    | शीत लहर |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ धन्धा मन्दा हो जाता है।</li> <li>❖ परिवार का खर्चा बढ़ जाता है।</li> </ul>   |

टीम का नाम – श्रीमती ऊषा गुप्ता  
श्री जयशंकर भाई  
श्री रविशंकर

संस्था का नाम – भारतीय जनकल्याण एवं प्रशिक्षण संस्थान

# अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

| क्र. सं.                                    | सुझायी गई गतिविधियाँ  | विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)  | संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला  | अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव   |
|---|-----------------------|--|---|--|
| <b>हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना</b> |                       |  |   |  |
| 1   | वृक्षारोपण गतिविधियाँ | <p><b>चरण 1:</b> वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p><b>चरण 2:</b> भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p><b>चरण 3:</b> भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>                                      | <p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)<sup>93</sup> = <b>₹70 प्रति पेड़</b> (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)<sup>94</sup><br/>= <b>₹1,200 प्रति इकाई</b></p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: <b>₹1.5 लाख/हेक्टेयर</b></p> | <p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO<sub>2</sub>e)</p> |
| 2   | आरोग्य वन             | <ul style="list-style-type: none"> <li>300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है।</li> <li>लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है।</li> </ul> |   | <p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>  |
| 3   | कृषि वानिकी           | <p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ <b>चरण 1</b> से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>   | <p>कृषि वानिकी की लागत<sup>95</sup> = <b>₹40,000/हेक्टेयर<sup>96</sup></b></p>  |  |

93 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

94 लागत बाजार भाव के अनुसार

95 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

96 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

| क्र. सं. | सुझायी गई गतिविधियां | विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है) | संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला | अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव |
|----------|----------------------|---|--|------------------------------------|
|----------|----------------------|---|--|------------------------------------|

## सतत कृषि

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| 1 | सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई | <p><b>चरण 1:</b> कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>   | ₹1 लाख प्रति हेक्टेयर                            |  |
| 2 | बांधों का निर्माण                                    | <p><b>चरण 1:</b> सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p><b>चरण 2:</b> सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p><b>चरण 3:</b> मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है</li> <li>- ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं।</li> </ul> | 1 मी. मेड़बंदी के लिए <sup>97</sup> = ₹150 रुपये |  |
| 3 | कृषि तालाबों का निर्माण                              | <p><b>चरण 1:</b> 5-10 तालाब</p> <p><b>चरण 2:</b> 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m<sup>3</sup></p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>   | 1 कृषि तालाब का निर्माण <sup>98</sup> = ₹90,000  |  |

97 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

98 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

| क्र. सं. | सुझायी गई गतिविधियां     | विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)   | संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला  | अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव |
|----------|--------------------------|---|---|------------------------------------|
| 4        | प्राकृतिक खेती की अपनाना | <p><b>चरण 1:</b> कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p> | <p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): <b>₹60,000</b></p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): <b>₹33,000</b></p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--&gt; प्रति एकड़ लागत = <b>₹2,500</b></p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---&gt; प्रति एकड़ लागत = <b>₹2,500</b></p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = <b>₹1,00,000</b></p> <p>कुल लागत<sup>99</sup>: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e-&gt;2.471 * 1,00,000 = <b>₹2,47,100</b></p> |                                    |

99 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी ( UPSOCA\_Tariff\_20March.pdf (apeda.gov.in) ) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

| क्र. सं. | सुझायी गई गतिविधियां | विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है) | संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला | अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव |
|----------|----------------------|---|--|------------------------------------|
|----------|----------------------|---|--|------------------------------------|

## जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 | वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं  | <p><b>चरण 1:</b> सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p><b>चरण 2:</b> सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p><b>चरण 3:</b> 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p> | <p>10 m<sup>3</sup> क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत<sup>100</sup> = <b>₹35,000</b></p> <p>1 पुनर्भरण गड्डे की लागत = <b>₹35,000<sup>101</sup></b></p>  |  |
| 2 | जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी) | <p><b>चरण 1:</b> जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p><b>चरण 2:</b> जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p><b>चरण 3:</b> जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>                     | <p>अनुमानित लागत<sup>102</sup>: 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = <b>₹7 लाख</b></p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 m<sup>3</sup> क्षमता) का निर्माण = : <b>₹7 लाख</b></p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = <b>₹1,200 प्रति यूनिट</b></p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = <b>₹3,75,000</b></p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = <b>₹50,000</b></p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = <b>₹20 प्रति यूनिट</b></p> |  |
| 3 | जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना  | <p><b>चरण 1:</b> मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण)</p> <p><b>चरण 2 और 3:</b> चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें</p>  | अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें   |  |

100 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

101 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

102 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

| क्र. सं. | सुझायी गई गतिविधियां | विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है) | संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला | अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव |
|----------|----------------------|---|--|------------------------------------|
|----------|----------------------|---|--|------------------------------------|

## सतत और उन्नत गतिशीलता

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| 1 | मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना             | <b>चरण 1:</b> सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य<br><b>चरण 2 और 3:</b> सड़कों का निरंतर रखरखाव  | सड़क रखरखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत :<br><b>₹50,00,000 प्रति किलोमीटर</b>                    |  |
| 2 | मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना    | ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-रिक्शा  | 1 ई-रिक्शा की कीमत:<br>~ <b>₹3,00,000</b> उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक            |  |
| 3 | ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा | <b>चरण 1:</b> डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना<br><b>चरण 2 &amp; 3:</b> निरंतर जागरूकता | 1 ई-ट्रैक्टर की कीमत =<br><b>₹6,00,000</b><br>1 कर्माशियल ई-वाहन की कीमत = <b>₹5 से ₹10 लाख</b> |  |



| क्र. सं. | सुझायी गई गतिविधियां | विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है) | संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला | अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव |
|----------|----------------------|---|--|------------------------------------|
|----------|----------------------|---|--|------------------------------------|

## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

|   |                                      |  |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1 | अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना | <p><b>चरण 1:</b></p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को शामिल करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्क्रेप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p> | <p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या<sup>103</sup> =</p> <p>कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है</p> <p>स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p> |  |
|   |                                      | <p><b>चरण 2:</b></p> <p>a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई</p> <p>b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>e. साझेदारी को बढ़ाना</p>   | <p>प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत</p> <p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।</p>  |  |

103 लागत बाजार भाव के अनुसार

| क्र. सं. | सुझायी गई गतिविधियां     | विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)  | संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला   | अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव |
|----------|--------------------------|--|--|------------------------------------|
|          |                          | <b>चरण 3:</b><br>a. रखरखाव कार्य<br>b. साझेदारी को बढ़ाना  | लागत <sup>104</sup> : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹95,000 से 1,00,000<br>2. 1 कूड़ादान/कंटेनर <sup>105</sup> = ₹15,000  |                                    |
| 2        | जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन | <b>चरण 1:</b><br>a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना<br>b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल:<br>1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय<br>2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री | कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/ जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार)<br>संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न <sup>106</sup> की जा सकती है = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2<br>प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार) |                                    |
|          |                          | चरण II और III:<br>a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना<br>b. साझेदारी को बढ़ाना   | लागत <sup>107</sup> :<br>1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹4,50,000<br>2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ: ₹35,00,000   |                                    |

104 लागत बाज़ार भाव के अनुसार

105 एसबीएम गाइडलाइन्स और एचआरवीसीए में इनपुट के अनुसार लागत

106 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20>

107 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

| क्र. सं. | सुझायी गई गतिविधियां            | विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)   | संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला | अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव |
|----------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 3        | एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध | <b>चरण 1:</b><br>a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध<br>b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम<br>c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना<br>d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल | विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी         |                                    |
|          |                                 | <b>चरण 2:</b><br>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम<br>b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना  | अतिरिक्त 200 महिलाएं                                     |                                    |
|          |                                 | <b>चरण 3:</b><br>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम<br>b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना   | अतिरिक्त 300 महिलाएँ                                     |                                    |

| क्र. सं. | सुझायी गई गतिविधियां | विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है) | संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला | अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव |
|----------|----------------------|---|--|------------------------------------|
|----------|----------------------|---|--|------------------------------------|

## स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

|          |   |   |  |
|----------|---|---|--|
| सौर छतें | <p><b>चरण 1:</b> सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p> | <p>सौर क्षमता<sup>108</sup> की गणना के लिए एमएनआरई सोलर रूफटॉप पोर्टल का उपयोग करें।</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) =<br/>स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से</p> <p>कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000<sup>109</sup></p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या =<br/>उत्पादित बिजली/365</p> | <p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)*<br/>0.82/ 1000 =<br/>___ टन CO<sub>2</sub></p> |
|----------|---|---|--|

108 [https://solarrooftop.gov.in/rooftop\\_calculator](https://solarrooftop.gov.in/rooftop_calculator)

109 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

| क्र. सं. | सुझायी गई गतिविधियां | विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)  | संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला   | अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव |
|----------|----------------------|--|--|------------------------------------|
|          |                      | <p><b>चरण 2 और 3:</b><br/>परिवार<br/>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p><b>चरण 2:</b> स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p><b>चरण 3:</b> स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p> <p>#एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत</p> | <p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=<br/>पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत<sup>#</sup> = ₹50,000<sup>110</sup></p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p> |                                    |
| 2        | कृषि-फोटोवोल्टिक     | <p><b>चरण 2:</b> उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p><b>चरण 3:</b> उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50%</p> <p>उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>   | <p>प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत<sup>111</sup> = ₹1 लाख</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>   |                                    |

110 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

111 स्थापना/लगाने की लागत बाजार दर के अनुसार

| क्र. सं. | सुझायी गई गतिविधियां          | विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)   | संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला  | अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव   |
|----------|-------------------------------|---|---|--|
| 3        | सौर पंप                       | <b>चरण 1:</b> 20% डीजल पम्पों का बदला जाना <b>चरण 2:</b> 50% डीजल पम्पों का बदला जाना <b>चरण 3:</b> 100% डीजल पम्पों का बदला जाना   | स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप<br>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट<br>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पादन = कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ)<br>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = वार्षिक उत्पादित बिजली / 365<br>प्रति पंप लागत <sup>112</sup> = ₹3 से 5 लाख | डीजल की खपत को कम करना = 390 लीटर/ प्रति/वर्ष<br>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390<br>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO <sub>2</sub> e) |
| 4        | रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग | <b>चरण 1:</b> 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता<br><b>चरण 2:</b> 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता<br><b>चरण 3:</b> 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता | 1 बायोगैस प्लांट की लागत = <b>₹50,000</b> 2 से 3 m <sup>3</sup> बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = <b>₹45,000</b><br>1 बेहतर चूल्हे की लागत = <b>₹3,000</b> <sup>113</sup>   |  |

112 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

113 बाजार दर के अनुसार लागत

| क्र. सं. | सुझायी गई गतिविधियां | विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)   | संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला   | अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव |
|----------|----------------------|---|--|------------------------------------|
| 5        | ऊर्जा दक्षता (ईई)    | <p><b>चरण 1:</b> सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p><b>चरण 2:</b> सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना।</p> <p><b>चरण 3:</b> सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p> | <p>1 एलईडी बल्ब की लागत = <b>₹70</b></p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = <b>₹220</b></p> <p>1 ईई पंखे की लागत = <b>₹1,110<sup>114</sup></b></p> |                                    |
| 6        | सौर स्ट्रीटलाइट्स    | प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।   | <p>1 हाई-मास्ट की लागत = <b>₹50,000</b></p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = <b>₹10,000<sup>115</sup></b></p>                             |                                    |

## आजीविका और हृदित उद्यमशीलता को बढ़ाना

|   |   |                          |   |  |
|---|---|--------------------------|---|--|
| 1 | सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना | कोल्ड स्टोरेज की स्थापना | <p>क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित</p> <p>लागत<sup>116</sup>: <b>₹8-15 लाख प्रति यूनिट</b></p> |  |
|---|---|--------------------------|---|--|

114 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

115 बाजार दर के अनुसार लागत

116 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

# अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

## एसडीजी 2: जीरो हंगर



**लक्ष्य 2.3:** भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

**लक्ष्य 2.4:** वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

**लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.:** सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

## एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



**लक्ष्य 3.3:** एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

**लक्ष्य 3.9:** खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

## एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



**लक्ष्य 6.1:** पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

**लक्ष्य 6.3:** वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

**लक्ष्य 6.4:** सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

**लक्ष्य 6.5:** सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

**लक्ष्य 6.8:** स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

**लक्ष्य 6.a :** अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।



## एसडीजी 7: किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



**लक्ष्य 7.1:** किफ़ायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।


**लक्ष्य 7.2:** ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

**लक्ष्य 7.3:** ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

**लक्ष्य 7.a :** नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

**लक्ष्य 7.b:** विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

## एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



**लक्ष्य 8.3:** विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

## एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



**लक्ष्य 9.1:** गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

## एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



**लक्ष्य 11.2:** सभी के लिए सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

**लक्ष्य 11.4:** विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

**लक्ष्य 11.7:** वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

## एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



**लक्ष्य 12.2:** प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

**लक्ष्य 12.4:** वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

**लक्ष्य 12.5:** वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

**लक्ष्य 12.5:** वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

**लक्ष्य 12.8:** वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

## एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही



**लक्ष्य 13.1:** सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

**लक्ष्य 13.2:** जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

**लक्ष्य 13.3:** जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

## एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



**लक्ष्य 15.1:** अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

**लक्ष्य 15.2:** वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

**लक्ष्य 15.3:** वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्यवाही करना।

**लक्ष्य 15.9:** वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

## अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

| पौधों का नाम                  | प्रजाति (फैमिली) | स्थानीय नाम       | उपयोग/औषधीय गुण   |
|-------------------------------|------------------|-------------------|---|
| <b>इमारती लकड़ी के पेड़</b>   |                  |                   |   |
| अकेसिया निलोटिका              | फैबेसी           | बबूल              | गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।  |
| फ़िक्स रिलिजियोसा             | मोरेसी           | पीपल              | इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।   |
| आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस     | मेलियासी         | नीम               | नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है। |
| डालबर्गिया सिस्सो             | फैबेसी           | शीशम              | इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि   |
| मधुका लॉगिफोलिया              | सैपोटेसी         | महुआ              | यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।  |
| शोरिया रोबस्टा                | डिट्टरोकार्पेसी  | साल               | इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।  |
| सिनामोमम तमाला                | लौरैसी           | भारतीय तेज पत्ता  | यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।  |
| <b>फल और जंगली खाद्य पौधे</b> |                  |                   |   |
| मैंगीफेरा इंडिका              | एनाकार्डिएसी     | आम (मैंगो)        | इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है   |
| आर्टोकार्पस हेटरोफिलस         | मोरेसी           | कटहल , (जैकफ्रूट) | इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।        |
| सिडियम गुजावा                 | मायर्टेसी        | अमरूद (गुआवा)     | यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।  |

| पौधों का नाम                     | प्रजाति (फैमिली) | स्थानीय नाम        | उपयोग/औषधीय गुण  |
|----------------------------------|------------------|--------------------|--|
| एगारिकस कैम्पेस्ट्रीस एल         | एगारिकेसी        | धरती का फूल        | एक प्रकार का मशरूम।  |
| अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग    | अलंगियासी        | ढेरा (एको)         | इसके पके फल खाए जाते हैं।  |
| अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट    | अरेसी            | हाथीपाँव, जिमी कंद | इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।   |
| क्रोटोलारियाजंशिया एल.           | फैबेसी           | सनई                | हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।   |
| मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब | सैपोएटेसी        | खिरनी              | इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।  |
| यूजेनिया जाम्बोलाना              | मायर्टेसी        | जामुन              | इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।   |
| एगल मार्मेलोस                    | रूटेसी           | बेल                | कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।  |
| मोरस रूबरा                       | मोरेसी           | शहतूत              | शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं। |

### औषधीय गुणों वाले पेड़

|                         |               |          |   |
|-------------------------|---------------|----------|---|
| विथानियासोमिफेरा        | सोलानेसी      | अश्वगंधा | यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।   |
| बकोपा मोनिएरी           | प्लांटैगिनेसी | ब्राह्मी | इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।  |
| एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता | एकैथेसी       | कालमेघ   | यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है। |
| राउवोल्फिया सर्पेन्टिना | एपोसिनेसी     | सर्पगंधा | इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।   |

| पौधों का नाम                            | प्रजाति (फैमिली) | स्थानीय नाम                        | उपयोग/औषधीय गुण   |
|---|------------------|------------------------------------|---|
| <b>औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़</b> |                  |                                    |   |
| एकौरस कैलमस एल.                         | अरेसी            | बाख, बाल, घोर्बच                   | ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।  |
| ऐस्पैरैगस ऐडसेंटेसरोक्सबी               | लिलिएसी          | शतावरी                             | हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।  |
| सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।          | सेलास्ट्रेसी     | उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन | विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।   |
| <b>अन्य पेड़</b>                        |                  |                                    |   |
| पोपुलस सिलियाटा                         | सैलिकैसी         | सेमल, कपोक                         | इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।  |
| यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस                   | मायर्टेसी        | तैलपत्र                            | खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। |

# નોટ્સ

